पंचायती राज संस्थाओं हेतु प्रशिक्षण मैनुअल

समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण

प्राक्कथन

साभार

संक्षिप्तियां

विषय सूची

1. प्राक्कथन
2. साभार
3. संक्षिप्तियां
4. विवरण
5. संदर्भ
6. परिशिष्ट

प्रशिक्षण मॉड्यूल–1– आपदा प्रबंधन – परिचय एवं मूल तत्व

सत्र	विषय	पृष्ठ
1	परिचय एवं प्रशि**क्षण** उद्देश्य	
2	आपदा प्रबंधन – मूल तत्व एवं आपद जोखिम न्यूनीकरण	
3	जलवायु परिवर्तन का प्रभाव एवं अंगीकरण	
4	आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु क्षमता निर्माण में पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों की भूमिका	

प्रशिक्षण **मॉड्यूल–2–** आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु क्षमता निर्माण एवं सहभागी सामुदायिक जोखिम आंकलन

सत्र	विषय	पृष्ठ
1	आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु क्षमता निर्माण का महत्व एवं प्रक्रिया	
2	समुदाय आधारित आपदा जोखिम आंकलन	
3	समुदाय आधारित आपदा जोखिम नियोजन	
4	समुदाय संचालित आपदा जोखिम न्यूनीकरण समितियां एवं कार्य दल	

प्रशिक्षण मॉड्यूल–3– समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण – विकारपरक योजना से जुड़ा हुआ क्रियान्वयन

सत्र	विषय	पृष्ठ
1	आपदा प्रबंधन क्रियान्वयन	
2	मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन	
3	आपदा जोखिम संचार	

भ्रमण –4– फील्ड प्रैक्टिस/भ्रमण

प्रशिक्षण मॉड्यूल–5– महत्वपूर्ण पारस्परिक सम्बंध मुद्दे एवं समापन

सत्र	विषय	पृष्ठ
1	सामुदायिक जोखिम न्यूनीकरण कोष	
2	जेंडर संचेतना	
3	अन्तर्निहित आपदा जोखिम न्यूनीकरण	
4	समापन - समापन - भविष्य की योजना - प्रतिक्रिया सत्र - धन्यवाद	

प्रशिक्षण मॉड्यूल – 1

आपदा प्रबंधन – परिचय एवं मूल तत्व

सत्र – 1

सत्र उद्देश्य

इस सत्र के अन्त में, प्रतिभागी एवं सत्र विशेषज्ञ एक दूसरे से परिचित हो चुके होंगें,

- प्रशिक्षण लक्ष्य एवं उद्देश्य की परिभाषा एवं चर्चा
- प्रतिभागियों की अपेक्षाओं का आंकलन
- प्रशिक्षण हेतु बेसिक नियम तय करना

प्रस्तावना

इस मैनुअल का उद्देश्य स्थानीय शासन यथा– हिमांचल प्रदेश में समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की क्षमता वृद्धि में सहयोग करना है, अपेक्षा की जाती है कि हिमांचल प्रदेश सरकार एवं स्थानीय शासन के अधिकारियों द्वारा इस प्रशिक्षण मॉड्यूल को यथा अनुकूल प्रयोग किया जाएगा।

विगत कुछ वर्षों में समुदाय स्तर पर आपदाओं के जोखिम को कम करने हेतु कई पहल की गयी है जिन्हें समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण का नाम दिया गया है (CBDRR), जिसका एक महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य घटक है – ग्राम की एक आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना CBDRR पद्वति स्थानीय समुदाय को अवसर प्रदान करती है कि वह प्रारम्भ में अपने अनुभवों के आधार पर स्वयं की स्थिति का मूल्यांकन कर सकें, इस पद्वति के अर्न्तगत, स्थानीय समुदाय न केवल योजना बनाने एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनता है अपितु उसके क्रियान्वयन में भी एक मुख्य भूमिका निभाता है, आपदा तैयारी एवं न्यूनीकरण गतिविधियो में समुदाय को सम्मिलित करने का तर्क इस अवधारणा पर आधारित है कि समुदाय ही वास्तविक पीड़ित एवं प्रथम प्रतिक्रिया करने वाला है एवं उसने आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए अपने तौर तरीके तथा रणनीति विकसित कर रखी है, इसीलिये यह आवश्यक है कि समुदाय के इस स्थानीय ज्ञान और संसाधनों को सराहा जाए और उसी के आधार पर आपदा के प्रभाव के दृष्टिगत लोगों की क्षमता में वृद्वि की जा सके, इसके अतिरिक्त आपदा की रोकथाम का अधिकार लोगों से नहीं छीना जाना चाहिए अन्यथा उनकी निर्भरता बाहरी हस्तक्षेप पर इतनी अधिक हो जाएगी कि उसके न आ सकने पर वे और अधिक शक्तिहीन रह जायेगें, वास्तव में सहभागी तरीकों से समुदाय नेतृत्व और प्रशिक्षित सामुदायिक कैडर की श्रृंखला विकसित करने से समुदाय के लचीलेपन और साधन सम्पन्नता को उपयोग में लाने में सहायता मिलेगी जिससे समुदाय में आपदाओं व आकस्मिक विपत्तियों का सामना करने की क्षमता विकसित हो सकेगी। आपातकाल के दौरान समुदाय के जुड़ाव और सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त तथा संगठित कार्यवाही आवश्यक है।

अतः आपदा न्यूनीकरण गतिविधियां सहभागी पद्वति पर आधारित होनी चाहिए जिसमें स्थानीय समुदाय को मात्र निष्क्रिय लक्ष्य के बजाय पहले से सक्रिय साझेदार मानते हुए अधिक से अधिक सम्मिलित किया जानये, इसके अतिरिक्त यह भी सत्य है कि मात्र बड़ी आपदाएं ही जीवन और आजीविका को नष्ट नहीं करती बाढ़, अकाल, सूखा और भूस्खलन की छोटी छोटी घटनाओं से होने वाली संग्रहित हानि बड़ी आपदाओं से होने वाले नुकसान से अधिक बड़ी हो जाती है। जिससे कि स्थानीय स्तर पर लोगों में अधिक संवेदनशीलता विकसित हो सके। इन आपदाओं पर मीडिया का ध्यान कम ही जाता है और समुदाय को भी इस विनाश से निपटने के लिए उनके अपने भरोसे ही छोड़ दिया जाता है। इन्हीं सब कारणों से समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन में निवेश करना अधिक प्रासंगिक व औचित्यपूर्ण हो जाता है।

प्रशिक्षण के उद्देश्य

प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं:

- समुदाय आधारित आपदा जोखिम पर पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की क्षमता वृद्वि एवं उन्हें जोखिम सूचित विकास विकास की प्रक्रिया में सम्मिलित करना।
- ग्राम स्तरीय जोखम न्यूनीकरण योजना विकसित करने की प्रक्रिया पर पंचायती राज संसथाओं के सदस्यों का अभिमुखीकरण।
- समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रक्रिया के मुख्य घटकों एवं परिव्याप्त मुद्दों के प्रति पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को संवेदित करना।

प्रशिक्षण विधिः

- संवादात्मक व्याख्यान
- प्रस्तुतिकरण
- समूह कार्य एवं खेल
- विस्तृत चर्चा
- अभ्यास
- क्षेत्र भ्रमण

प्रतिभागियों की संख्या प्रत्येक प्रशिक्षण में 30–35 प्रतिभागी

प्रशिक्षण अवधि

ये प्रशिक्षण कार्यक्रम पांच दिवसीय होगें जिनमें प्रत्येक दिन/ मॉड्यूल चार सत्र होगें। चूंकि यह क्षेत्र आधारित कार्यक्रम है जिसमें अनेक प्रकार की गतिविधियां एवं अभ्यास सम्मिलित है।, अतः यदि आवश्यकता हो तो प्रशिक्षक को प्रोत्साहित किया जाये वह फील्ड विजिट से एक दिन पूर्व प्रतिभागियों को उनके भौगालिक क्षेत्र में प्रचलित खतरों के उचित प्रबंधन व न्यूनीकरण के साथ साथ्ज्ञ आपदा प्रबंधन के मूल अवधारणा से भी परिचित करा दें।

सत्र	समय (घंटे)	विषय	उद्देश्य	प्रणाली
	09.30–10.00	पंजीकरण एवं प्रारम्भ		
सत्र 1 परिचय एवं प्रशिक्षण उद्देश्य	1000. 1100	आइस ब्रेकिंग	इस सत्र के प्रारम्भ में • प्रतिभागीगण एवं संदर्भ व्यक्तियों का एक दूसरे से परिचय होगा। • प्रशिक्षण लक्ष्य एवं उद्देश्यों को परिभाषित किया जायेगा। • प्रतिभागियों की अपेक्षाओं को अंकित किया जायेगा। • प्रशिक्षण के मुख्य नियम निर्धारित किये जायेगें।	खेल, प्रस्तुतिकरण एवं व्यक्तिगत चर्चा ''लक्ष्य प्राप्ति हेत सीखने का अनुबन्ध''
	10.00–11.00	**चाय ब्रेक**		
सत्र 2 आपदा प्रबंधन के मूल तत्व एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण	11.15–13.00	आपदा प्रबंधन का परिय एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण	इस सत्र के अन्त तक प्रतिभागी निम्न का वर्णन कर सकने योग्य हो जायेगें। • आपदा प्रबंधन की विभिन्न अवधारणायें जैसेः खतरे,	व्याख्यान/प्रस्तुतिकरण/वीडियो

			जोखिम, संवेदनशीलता, क्षमताएं • आपदाओं के प्रकार • आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरण • आपदा प्रबंधन में उभरते हुए प्रचलन	
	13.00–14.00	भोजन अवकाश		
सत्र 3 जलवायु परिवर्तन का प्रभाव एवं अनुकूलन	1400.1530	जलवायु परिवर्तन का प्रभाव एवं अनुकूलन उपाय	इस सत्र के अंत तक प्रतिभागी निम्न का वर्णन • जलवायु परिवर्तन की मूल अवधारणा • वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रभाव • भारत में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव • जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन का अर्थ • जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता • अनुकूलन की विकास के साथ सम्बद्वता • अनुकूलन का विकास नियोजन के साथ समेकीकरण	स्कूर्ति अभ्यास : ''नॉट्स ऑफ पीपुल'' व्याख्यान / प्रस्तुतिकरण / वीडियो
	15.30–15.45	**चाय अवकाश**		
सत्र 4 समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण में पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की भूमिका	15:45.16:30	समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं आपदाओं के विभिन्न चरणों में पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की भूमिका	इस सत्र के अन्त तक प्रतिभागी निम्न का वर्णन कर सकने योग्य हो जायेंगें। • समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण में पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की भूमिका • आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों में पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की सेक्टर विशिष्ट भूमिका (तैयारी, प्रतिक्रिया, एवं प्रतिलाभ)	प्रस्तुतिकरण / व्याख्यान / समूह अभ्यास–1

दिवस–2 एवं सहभागी सामुदायिक जोखम आंकलन

सत्र	समय (घंटे)	विषय	उद्देश्य	तरीका
सत्र 1 समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण का	09.30–09.45	विगत दिन का पुनरावलोकन	पिछले दिन की सीख को याद करना	खेल : **बाल टॉस रिव्यू** खेल : अगले सत्रों के लि **''रि–अरेन्ज द क्लास रूम''**

महत्व एवं प्रक्रिया	09.45–1100	समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण का महत्व एवं प्रक्रिया	इस सत्र के अन्त तक प्रतिभागी निम्न का वर्णन कर सकने योग्य हो जायेंगे। • समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण की अवधारणा का संक्षिप्त वर्णन • समुदाय आधारित तरीकों का महत्व • समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रक्रिया के चरणों का संक्षिप्त वर्णन	प्रस्तुतिकरण / व्याख्यान एवं विस्तृत चर्चा
	11.00–11.15	**चाय अवकाश**		
सत्र 2 समुदाय आधारित आपदा जोखिम आंकलन	1115. 1300	समुदाय आधारित आपदा जोखिम आंकलन	इस सत्र के अन्त तक प्रतिभागी निम्न का वर्णन कर सकने योग्य हो जायेंगे। • आपदा जोखिम आंकलन • समुदाय आधारित आपदा जोखिम आंकलन, प्रक्रिया एवं टूल्स	प्रस्तुतिकरण / व्याख्यान समूह अभ्यास–।।
	13.00–14.00	**भोजन अवकाश**		
सत्र 3 समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण नियोजन	14.00–15.30	समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरा नियोजन एवं इसको विकास परक योजना से जोड़ना	इस सत्र के अन्त तक प्रतिभागी निम्न का वर्णन कर सकने योग्य हो जायेंगे। • समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन की परिभाषा, नियोजन प्रक्रिया • समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन के नियोजन के चरणों का वर्णन • आपदा जोखिम उपायों को विकास कार्य योजना में किस प्रकार सम्मिलित किया जाये?	स्फूर्ति खेल : **''नॉट्स ऑफ पीपुल''** प्रस्तुतिकरण / व्याख्यान समूह अभ्यास–।।।
	15.30–15.45	**चाय अवकाश**		
सत्र 4 समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण समितियां एवं कार्य दल	15.45–16.30	समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण समितियों एवं कार्य दलों का गठन व प्रशिक्षण	इस सत्र के अन्त तक, प्रतिभागी निम्न का वर्णन कर सकने योग्य हो सकेंगे: • समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण समितियों एवं कार्य दलों के गठन के चरण • आपदाओं के विभिन्न चरणों में समितियों एवं कार्य दलों के कार्य • आपदा जोखिम न्यूनीकरण समितियों एवं कार्य दलों का प्रशिक्षण	स्फूर्ति खेल : **''नाट्स ऑफ पीपुल''** प्रस्तुतिकरण / व्याख्यान समूह अभ्यास – ।।।

विषय–3– समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण का विकास योजना के साथ जोड़ते हुए

सत्र	समय (घंटे)	विषय	उद्देश्य	तरीका
सत्र–1 समुदाय प्रबंधित क्रियान्वयन	09.30–10.00	गत दिवस का पुर्नवलोकन	पिछले दिन की सीख को याद करना	**खेल : बाल टॉस रिव्यू**
	10.00–11.00	समुदाय प्रबंधित क्रियान्वयन	इस सत्र के अन्त तक, प्रतिभागी निम्न का वर्णन कर सकने योग्य हो जाएंगे: • समुदाय प्रबंधित क्रियान्वयन के मुख्य पहलू:संसाधन जुटाने की प्रक्रिया • सहभागी समीक्षा एवं मॉनीटरिंग प्रक्रिया • सहभागी क्रियान्वयन प्रक्रिया के सिद्वान्त • आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं समुदाय प्रबंधित क्रियान्वयन को विकास कार्य योजना में कैसे समाहित किया जाये?	प्रस्तुतिकरण एवं विस्तृत चर्चा
	11.00–11.15	**चाय अवकाश**		
सत्र 2 मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन	1.115–13.00	सहभागी मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन	इस सत्र के अंत तक प्रतिभागी निम्न का वर्णन कर सकने योग्य हो जाएंगे : • सहभागी मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन के सिद्वान्त • मॉनीटरिंग के प्रकार • मूल्यांकन प्रक्रिया	**प्रस्तुतिकरण एवं विस्तृत चर्चा**
	1300. 1400	**भोजन अवकाश**		
सत्र 3 आपदा जोखिम संचार	14.00–15.30	आपदा जोखिम संचार	इस सत्र के अंत तक प्रतिभागी निम्न का वर्णन कर सकने योग्य हो जाएंगे • आपदा जोखिम संचार की रूपरेखा • जोखिम संचार के उद्देश्य एवं महत्व • जोखिम संचार में महत्वपूर्ण विचार एवं व्यवस्थित नियोजन पद्वति	**स्फूर्ति खेल : ''नॉट्स ऑफ पीपुल''** प्रस्तुतिकरण/व्याख्यान समूह अभ्यास – 4
	15.30–15.45	**चाय अवकाश**		
सत्र 4 फील्ड अभ्यास के लिए योजना	15.45–16.30	फील्ड अभ्यास के लिए योजना		**ब्रेन स्टार्मिंग एवं समूह कार्य** सभी प्रतिभागियों को फील्ड अभ्यास के दौन निम्न कार्य करने के लिए चार समूहों में बांटा जाएगा : 1. मौसमी कैलेण्डर एवं जोखिम मानचित्रण 2. ट्रांजेक्ट वाक एवं सामाजिक/जोखिम मानचित्रण 3. आजीविका एवं जोखिम का

				मुकाबला करने की रणनीति का विश्लेषण 4. सामुदायिक संगठनों की क्षमता का आंकलन

दिवस – 4 – फील्ड अभ्यास/विजिट

सत्र	समय (घंटे)	विषय	उद्देश्य	तरीका
सत्र–1 फील्ड अभ्यास	09.30–10.00	विगत दिन का पुनरावलोकन	पिछले दिन की सीख को याद करना	**खेल : बाल टॉस रिव्यू/समूह प्रस्तुतिकरण**
	10.00–13.00	समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण टूल्स का फील्ड अभ्यास	इस अभ्यास के अंत तक प्रतिभागी विधियों के प्रयोग, सामुदायिक जोखिम तथा अवसरों के आंकलन हेतु उचित साधनों व तरीकों का उपयोग करने में सक्षम हो जाएगें	**समूह–1**–मौसमी आपदाओं को सूचीबद्व एवं मानचित्रित करना **समूह–2**–माचित्रण एवं ट्रांजक्ट वॉक **समूह–3 परिवारों** (House Hold) **का** साक्षात्कार (सैम्पल आधारित) एवं मैट्रिक्स तैयार करना **समूह–4**–समूह चर्चा व मुख्य सूचना प्रदाताओं का साक्षात्कार
	13.00–14.00	भोजन अवकाश		

दिवस – 5 – महत्वपूर्ण परिव्याप्त मुद्दे तथा समापन

सत्र	समय (घंटे)	विषय	उद्देश्य	तरीका
सत्र 1 सामुदायिक आपदा न्यूनीकरण **कोष**	09.30–10.00			
	10.00–11.00	सामुदायिक आपदा न्यूनीकरण कोष	इस सत्र के अंत तक प्रतिभागी निम्न का वर्णन कर सकने योग्य हो जाएंगे: • आपदा न्यूनीकरण कोष का महत्व एवं उद्देश्य • आपदा न्यूनीकरण कोष के प्रबंधन से जुड़े मुद्दे	प्रस्तुतिकरण एवं विस्तृत चर्चा
	11.00–11.15			
सत्र 2 जेंडर बोध	11.15–13.00	समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण जेंडर बोध दृष्टिकोण	इस सत्र के अंत तक प्रतिभागी निम्न का वर्णन कर सकने योग्य हो जाएंगे: • सेक्स एवं जेंडर में अंतर • गतिविधि प्रोफाइल, • आपदा में त्रिपक्षीय भूमिका (पूर्व, दौरान, पश्चात्) • व्यवहारिक एवं रणनीतिक जेंडर आवश्यकताएं • आपदा प्रबंधन/ आपदा जोखिम न्यूनीकरण में	प्रस्तुतिकरण एवं विस्तृत चर्चा

			महिलाओं की भूमिका की मैट्रिक्स	
	13.00—14.00	**भोजन अवकाश**		
सत्र 3 समेकित आपदा जोखिम न्यूनीकरण	14.00—15.30	समेकित आपदा जोखिम न्यूनीकरण	इस सत्र के अंत तक प्रतिभागी समेकित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के महत्व एवं दृष्टिकोण को समझने में सक्षम हो सकेगे:	प्रस्तुतिकरण एवं विस्तृत चर्चा
	15.30—15.45	**चाय** अवकाश		
सत्र 4 समापन	15.45—16.30	समापन एवं धन्यवाद ज्ञापन	इस सत्र के अंत तक प्रतिभागी निम्न का वर्णन कर सकने योग्य हो जाएंगे: • भविष्य की योजना तय करना • प्रशिक्षण, मूल्यांकन एवं प्रतिक्रिया सत्र समापन भाषण एवं धन्यवाद ज्ञापन	**समापन खेल : ''सर्कल ऑफ फ्रेंड्स''** एवं विचार विमर्श, चर्चाएं

प्रशिक्षण एवं सीख अनुबंध

प्रशिक्षक द्वारा सभी प्रतिभागियों से अनुरोध किया जायेगा कि वे पांच दिवसीय प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक समाप्त होने के पश्चात् प्रशिक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहमत हों, इससे प्रतिभागी प्रशिक्षण कार्यक्रम के तुरन्त बाद एक कार्य योजना तैयार करने और क्षमता विकास कार्यक्रम को एक परिणाम व उपलब्धि के रूप में उपयोग के लिए प्रोत्साहित होंगे।

उदाहरण के रूप में : '' इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के एक माह के अन्दर अपने पंचायत कार्यालय के किसी भी सदस्यों को प्रशिक्षित करने हेतु'' इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के एक माह के अन्दर अपनी पंचायत में कम से कम दो या तीन समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजनाएं विकसित करने हेतु''।

इस गतिविधि के लिए बोर्ड (White Board) या फ्लिप चार्ट पर एक या दो लक्ष्य लिख कर प्रत्येक प्रतिभागी से यदि वे सहमत हो तो उसके नीचे हस्ताक्षर करने के लिए कहा जा सकता है परन्तु इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर प्रतिभागियों के साथ अनुबंध/स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रतिभागियों की अपेक्षाएं

प्रशिक्षण के उद्‌देश्य व रूपरेखा के विषय में प्रतिभागियों को अवगत करने के पश्चात् उन्हें अलग अलग रंगों के चार्ट पेपर (छोटै आकार में कटै हुए) देकर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से उनकी अपेक्षाएं लिखने को कहा जा सकता है। सुगमकर्ता प्रत्येक प्रतिभाग से इन चार्ट पेपर को एकत्र करके प्रशिक्षण कक्ष की दीवार पर ''विभिन्न सत्रों व विषयों'' के शीर्षक के नीचे यथोचित स्थान पर चिपका सकता है।

उदाहरणतः यदि कोई प्रतिभागी ''आपदा की परिभाषा'' के विषय में जानकारी चाहता है तो सुगमकर्ता इसे ''सत्र–2–आपदा पबंधन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण के मूल तत्व तथा विषय – आपदा एवं आपदा प्रबंधक'' शीर्षक के नीचे चिपका सकता है।

इसी प्रकार सभी सत्रों एवं विषयों को चार्ट पेपर पर लिखकर प्रशिक्षण कक्ष की दीवार पर चिपका दिया जाना चाहिए जिससे की प्रतिभागियों की अपेक्षाओं को अलग अलग श्रेणियों के अंतर्गत विभाजित किया जा सके। इस गतिविधि से प्रशिक्षक/सुगमकर्ता को दोबारा जांचने में और ये सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत तक सभी प्रतिभागियों की अपेक्षाएं पूर्ण हो सकें।

यह गतिविधि 10–15 मिनट में पूरी हो जानी चाहिए।

प्रशिक्षण के बुनियादी नियम निर्धारित करना

मुख्य या अगले सत्र आरम्भ करने से पूर्व प्रशिक्षण के कुछ बुनियादी नियम स्पष्ट कर दिये जाने चाहिए जिन पर प्रशिक्षक, सुगमकर्ता एवं प्रतिभागियों, सभी की सहमति हो, जैसे :

- प्रशिक्षण कक्ष में समय से पहुंचना, देर से पहुंचने की स्थिति में उसे सबके द्वारा तय किये गए कुछ कार्य करने होंगे।
- प्रशिक्षण के दौरान सभी अपने मोबाइल फोन/लैपटॉप या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान को स्विच–ऑफ/शांत/नि–शब्द अवस्था में रखेंगे।
- किसी भी विषय विशेष पर चर्चा के लिए एक बैठक होगी।
- इस प्रकार ये नियम प्रतिभागियों तथा प्रशिक्षक/सुगमकर्ता द्वारा निर्धारित समत एवं सूचीबद्व किये जायेंगे यह गतिविधि 5–10 मिनट में पूरी कर ली जाएगी।

यह गतिविधि प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अनुशासन एवं आत्मसम्मान बनाये रखने में सहायक होगी। इसे White Board/फि्लप चार्ट पर लिखा जा सकता है और सभी की सूचना के लिए चार दिनों तक प्रशिक्षण कक्ष में लगा रहने देना चाहिए।

सत्र – 2

आपदा प्रबंधन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण के आधार

सत्र के उद्देश्य

सत्र के अन्त में प्रतिभागी बता सकेंगे –

- आपदा एवं आपदा प्रबंधन के आधार, जैसे विपदा, जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता
- आपदा के प्रकार
- आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरण
- आपदा प्रबंधन की उभरती प्रणाली

मुख्य अवधारणायें

- जब कोई विपदा संवेदनशीलता समुदाय को इस तरह प्रभावित करती है जिससे जान–माल का नुकसान हो और बाधायें खड़ी हों तो वह एक आपदा बन जाती है।
- संवेदनशीलता कुछ व्यापक क्रमिक परिस्थितियो का सेट है जो समुदाय की आपदाओं को रोकने, नियंन्त्रित करने, तैयारी करने, आपदाओं का सामना करने की क्ष्ज्ञमताओं को विपरीत रूप से प्रभावित करती है।
- क्षमतायें वे संसाधन, साधन एवं शक्तियां हैं जो घरों एवं समुदाय में होते हैं तथा समुदाय को आपदा के प्रति सांमजस्य, सामना, तैयारी, रोकथाम, नियंत्रण एवं त्वरित पुनरूत्थान के योग्य बनाते हैं।
- आपदा जोखिम विपदा की परिस्थिति में विनाश एवं नुकसान की संभावना है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण में वह सभी कार्य शामिल हैं जो कि सम्पत्ति, जान–माल की हानि की संभावनाओं को न्यूनतम करने के लिए विपदा को नियंन्त्रित करने अथवा जोखिम पर लगे तत्वों की संवेदनशीलता को कम करने वाले हों।

विषय वस्तु की रूपरेखा

यह सत्र आपदा, आपदा प्रबंधन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण के परिचय के माध्यम से पांच दिवसीय प्रशिक्षण की पृष्ठभूमि तैयार करता है। सामान्यतः आपदप प्रत्यक व्यक्ति को बुरी तरह से प्रभावित करती है परन्तु सभी स्तरों पर उपयुक्त तैयारी एवं आपदा नियन्त्रण के उपायों से आपदा जोखिम को कम किया जा सकता है। इस सत्र में विशेषतः हम यह समझेंगे कि आपदा किस प्रकार से समुदाय को प्रभावित करती है और समुदाय आधारित प्रयास किस प्रकार से आपदा जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। यह सत्र बताता है कि आपदा प्रबंधन की अवधारणा क्या है एवं समुदाय स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण की आवश्यकता क्यों है।

सत्र की अवधि 1 घंटा 45 मिनट (11.15–11.30)

सत्र की विस्तृत योजना

विषय – 1 आपदा एवं आपदा प्रबंधन के मूलभूत शब्दाबली प्रशिक्षक मार्गदर्शिका (30 मिनट) आवश्यक सामग्री फ्लिप चार्ट, व्हाइट बोर्ड, कम्प्यूटर एवं प्रोजेक्टर, मार्कर, रंगीन चार्ट पेपर।

प्रशिक्षक प्रतिभागियों को ''आपदा एवं आपदा प्रबंधन पर आप क्या समझते हैं'' पर ब्रेन स्टार्मिंग के साथ सत्र शुरू कर सकते हैं। इसके उपरान्त प्रस्तुतिकरण दिखाकर निम्नानुसार व्याख्या कर सकते हैं।

आपदा

किसी समुदाय समाज की कार्य प्रणालियों (functioning) का गंभीर विध्वंस जिसमें बृहद स्तर पर जान–माल, आर्थिक या पर्यावरण की हानि व हानिकारक प्रभाव, जिसका सामना प्रभावित समुदाय/समाज द्वारा स्वयं के संसाधनों से करना संभव न हो।

टिप्पणी

आपदाओं को सामान्यतः विपदाओं का सामना, संवेदनशीलता की विद्यमान परिस्थितियां, संभावित परिस्थितियों/प्रभावों का सामना करने व उन्हें न्यूनतम करने के उपायों की अपर्याप्त क्षमताओं, के परिणाम के रूप में वर्णित किया जाता है। आपदा के प्रभावों में जान की हानि चोट एवं बीमारियां, सम्पत्ति का नुकसान, विनाश, सेवाओं में बाधा, सामाजिक एवं आर्थिक अव्यवस्था एवं पर्यावरण का विगड़ना शामिल है।

विपदा

एक खतरनाक सार, मानवीय कार्य या परिस्थिति जिसके कारण जानें जायें, लोग घायल हो, अस्वस्थ्य हो, सम्पत्ति का नुकसान हो, आजीविकाओं और सेवाओं का नुकसान हो, सामाजिक–आर्थिक अव्यवस्था या पर्यावरण का नुकसान हो।

टिप्पणी

ह्यूगो (Hyogo) फ्रेमवर्क के फुटनोट 3 के अनुसार प्रकृतिजन्य, पर्यावरण से जुड़ी टेक्नालॉजी जनित एवं जोखिम सम्बंधी ''विपदायें आपदा जोखिम न्यूनीकरण से सम्बंधित है। ऐसी विपदायें विभिन्न प्रकार के भूगोलिक, अन्तरिक्ष, जलीय (हाईड्रोलॉजिकल) सामुद्रिक, जैविक एवं तकनीकी स्रोतों से और कभी कभी उनके पारस्परिक प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होती है। तकनीकी विपदाओं को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तीव्रताओं की बारम्बारता के अध्ययन एवं वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर संख्यात्मक रूप से विवरण किया जाता है।

संवेदनशीलता

किसी समुदाय, व्यवस्था, निर्मित सम्पत्तियों की विशेष लक्षण एवं परिस्थितियां जो उन्हें विपदा से उत्पन्न विनाशकारी प्रभावों के समक्ष कमजोर करती है।

टिप्पणी

भौतिक, सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय कारकों से उत्पन्न संवेदनशीलता के विभिन्न पक्ष होते हैं, उदाहरण के लिए भवन निर्माण की गलत डिजाइन, अपर्याप्त सुरक्षा, जनता में जागरूकता एवं सूचना की कमी, जोखिम एवं सामना करने की तैयारी एवं उपायों की सीमित औपचारिक पहचान/स्वीकृति, विवेकपूर्ण पर्यावरण प्रबंध के प्रति उपेक्षा/समुदाय एवं समय के साथ यह संवेदनशीलता परिवर्तित होती है। यह परिभाषा संवेदनशीलता को सम्बंधी कारकों (समुदाय, व्यवस्था या सम्पत्ति) की विशेषताओं जो कि इसके एक्सपोजर से स्वतंत्र हों के रूप में चिन्हित करती है परन्तु सामान्य प्रयोग में संवेदनशीलता अपने कारकों के एक्सपोजर को शामिल करती है।

जोखिम

किसी घटना की संभावना एवं इसके नकारात्मक प्रभवों का सम्मिश्रण ही जोखिम है।

टिप्पणी

यह परिभाषा आई.एस.ओ./आई.ई.सी. गाइड 73 से मिलती जुलती है। ''जोखिम'' शब्द के दो अलग अलग शब्दार्थ/भाव हैं : इसका लोक प्रचलित प्रयोग चान्स या संभावनाओं पर बल देता है जबकि तकनीकी स्वरूप में यह परिणामों पर जोर देता है, किसी विशेष कारक स्थान एवं समय के कारण से होने वाले ''संभावित नुकसान'' के संदर्भ में समझा जाता है।

क्षमता

समुदाय, समाज या संगठन (जिसका प्रयोग स्वीकृत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये किया जा सकता हो) में उपलब्ध शक्तियों, विशेषताओं और संसाधनों का सम्मिश्रण।

टिप्पणी

इन्फ्रास्ट्रक्चर और/अथवा भौतिक साधन, संस्थायें, सामाजिक कोचिंग की क्षमतायें, मानवीय ज्ञान, कौशल एवं सामूहिक विशेषताओं जैसे कि सामाजिक रिश्ते, नेतृत्व एवं प्रबंधन आदि क्षमताओं में शामिल किये जा सकते हैं। क्षमताओं को सामर्थ्य के रूप में भी समझा जा सकता है। क्षमता आंकलन वह प्रक्रिया है जिससे वांछित लक्ष्यों के सापेक्ष किसी समूह की सामर्थ्य की समीक्षा होती है एवं उन दोनों के बीच में अन्तर को सुधार के लिए चिन्हित किया जाता है।

क्षमता विकास

निश्चित समय में सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोग, संगठन एवं समाज द्वारा अपनी क्षमताओं को उत्प्रेरित एवं विकसित करने के लिए अपनाई जाने वाली एक नियोजित प्रक्रिया है जिसमें जानकारी, कौशल, प्रणालियां एवं संस्थाओं में सुधार भी शामिल है।

टिप्पणी

क्षमता विकास एक ऐसी अवधारणा है जो कि क्षमता सृजन (कैपेसिटी बिल्डिंग) को विस्तारित करता है जिससे समयानुसार क्षमता विकासक्रम को बनाने एवं बनाये रखने के सभी पहलुओं को शामिल करता है। यह विभिन्न प्रकार की सीखो (learning) एवं प्रशिक्षण को शामिल करता है लेकिन साथ ही संस्थाओं के विकास, राजनैतिक जागरूकता, वित्तीस संसाधनों प्रौद्योगिक प्रणालियां तथा व्यापक स्तर पर सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण को विकसित करने के निरन्तर प्रयासों को भी शामिल करता है।

आपदा जोखिम प्रबंधन

विपदा के प्रतिकूल प्रभावों एवं आपदा की संभावनाओं को कम करने के उद्देश्य से प्रशासकीय दिशा–निर्देशों, संगठनों, व्यवहारिक कौशल एवं क्षमताओं को नीतियों के कार्यान्वयन तथा सामना करने की परिष्कृत सामर्थ्य की व्यवस्थित प्रणाली/प्रक्रिया ही आपदा जोखिम प्रबंधन है।

टिप्पणी

आपदा से जुड़े विशेष बिन्दुओं को समझने के लिए ''जोखिम प्रबंधन'' शब्द को विस्तृत करते हुए आपदा जोखिम प्रबंधन को प्रयोग किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य, रोकथाम, नियन्त्रण एवं तैयारी के उपायों एवं कार्यों के माध्यम से विपदा के प्रतिकूल प्रभावों से बचाव, उन्हें कम करने अथवा स्थानान्तरित करना है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण

यह आपदा कारकों के विश्लेषण एवं प्रबंधन के व्यवस्थित प्रयासों के माध्यम से आपदा के जोखिम को न्यूनतम करने की अवधारणा एवं अभ्यास है जिसमें विपदा के प्रति एक्सपोजर को कम से कम करना, लोगों एवं सम्पदाओं की संवेदनशीलता को घटाना, भूमि एवं पर्यावरण का विवेकपूर्ण प्रबंधन के साथ ही विपरीत परिस्थित का सामना करने की उन्नत तैयारी भी शामिल है।

टिप्पणी

संयुक्त राष्ट्र ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए ह्यूगो (Hyogo) फ्रेमवर्क 'फॉर **एक्शन (जिसमें 2005 में अंगीकृत किया गया) के माध्यम से एक समग्र पद्वति निर्धारित की जिसमें संभावित यह अपेक्षित है कि ''आपदा समुदाय और देश में होने वाले जान–माल,** सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय

सम्पदाओं के नुकसान में सार्थ्क्ष्क कमी आयेगी।'' आपदा न्यूनीकरण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय नीति'' आई.एस.डी. आर., सरकारों, संगठनों एवं सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं को एक ऐसा माध्यम प्रदान करती है जिससे इस फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन में सहयोग किया जा सके। कभी–कभी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के स्थान पर ''आपदा न्यूनीकरण'' का प्रयोग किया जाता है परन्तु यह ध्यान देने योग्य है कि ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण'' आपदा जोखिम के वर्तमान प्रकारों की और इन जोखिमें को कम करने के लिए विद्यमान संभावनाओं की बेहतर पहचान कराता है।

जलवायु परिवर्तन

अ) इण्टर गवर्मेन्टल पैनल ऑन क्लाइमेट चेन्ज (IPCC) के अनुसार जलवायु परिवर्तन ''जलवायु के स्तर में वह परिवर्तन जिसको (सांख्यिकीय टेस्ट का प्रयोग करते हुए) मीन और/या इसके घटकों के बदलावों में परिवर्तन के जो कि लम्बे अन्तराल या दशकों तक बने रहते हैं, के माध्यम से चिन्हित किया जा सकता हो। जलवायु में परिवर्तन – प्राकृतिक अन्दरूनी प्रक्रियाओं के कारण या बाहरी दबावों अथवा लगातार एन्थ्रोप्रोजेनिक कारणों से वातावरण के घटकों के अनुपात अथवा भूमि के प्रयोग में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।''

ब) द यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेशनल ऑन क्लाइमेट चेन्ज (UNFCCC) के अनुसार जलवायु परिवर्तन'' जलवायु में वह परिवर्तन जो कि तुलनीय समय अन्तराल पर अध्ययन होने वाले प्राकृतिक जलवायु बदलाव के अतिरिक्त मनुष्य की गतिविधियों के कारण परोक्ष या अपरोक्ष रूप से वैश्विक वातावरण के प्राकृतिक स्वरूप को परिवर्तित कर देता है।''

टिप्पणी

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उद्देश्य से सन्दर्भानुसार कोई भी परिभाषा उपयुक्त हो सकती है। **यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेशनल ऑन क्लाइमेट चेन्ज (**UNFCCC) की परिभाषा को दायरा सीमित है क्योंकि यह प्राकृतिक कारणों से होने वाले जलवायु परिवर्तन को अलग कर देती है। **इण्टर गवर्मेन्टल पैनल ऑन क्लाइमेट चेन्ज (**IPCC) की परिभाषा को सामान्य प्रयोग के लिए इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि ''जलवायु में ऐसा परिवर्तन जो कि प्राकृति कारणों अथवा मानवीय कार्यों के कारण हों और लम्बे समय तक बना रहे।

अंगीकरण

वास्तविक या अपेक्षित प्राकृतिक उद्दीयन या इसके प्रभावों की प्रतिक्रिया में मानव या प्राकृतिक व्यवस्था में होने वाले सांमजस्य जो कि हानि को **कम करते हैं अथवा लाभकारी अवसरों का दोहन करते हैं।**

टिप्पणी

यह परिभाषा, जलवायु परिवर्तन के बिन्दुओं को इंगित करती है, इसको **यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेशनल ऑन क्लाइमेट चेन्ज** (UNFCCC) के सेक्रेटेरिएट से लिया गया है। अंगीकरण की विस्तृत अवधारणा जलवायु से भिन्न कारकों जैसे मिट्टी की कटाव अथवा सतही घटाव पर भी लागू होती है। अंगीकरण स्वायत्त तरीके से घटित होता है उदाहरण स्वरूप बाजार में परिवर्तन अथवा नीतियों एवं योजनाओं के माध्यम से रचित अंगीकरण उनके आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपाय प्रत्यक्ष रूप से बेहतर अंगीकरण में योगदान करते हैं।

आपदा जोखिम

समुदाय या समाज विशेष को भविष्य में निश्चित वर्षों तक जीवन, स्वास्थ्य स्तर, आजीविका, परिसम्पत्तियां और सेवायें में संभावित हानियां।

टिप्पणी

आपदा जोखिम की परिभाषा आपदा को जोखिमपूर्ण परिस्थितियों के लगातार बने रहने के परिणाम से उत्पन्न होने वाली अवधारणा को दर्शाती है। आपदा जोखिम विभिन्न प्रकार की संभावित उन हानियों को भी शामिल करता है जिनको बहुधा गिना नहीं जा सकता। फिलहाल विद्यमान विपदाओं, जनसंख्या के पैटर्न व सामाजिक, आर्थिक विकास की जानकारी से आपदा जोखिम का आंकलन एवं चिन्हीकरण किया जा सकता है।

$$\text{जोखिम} = \frac{\text{विपदा x संवेदनशीलता}}{\text{क्षमता}}$$

प्रस्तुतीकरण 1:

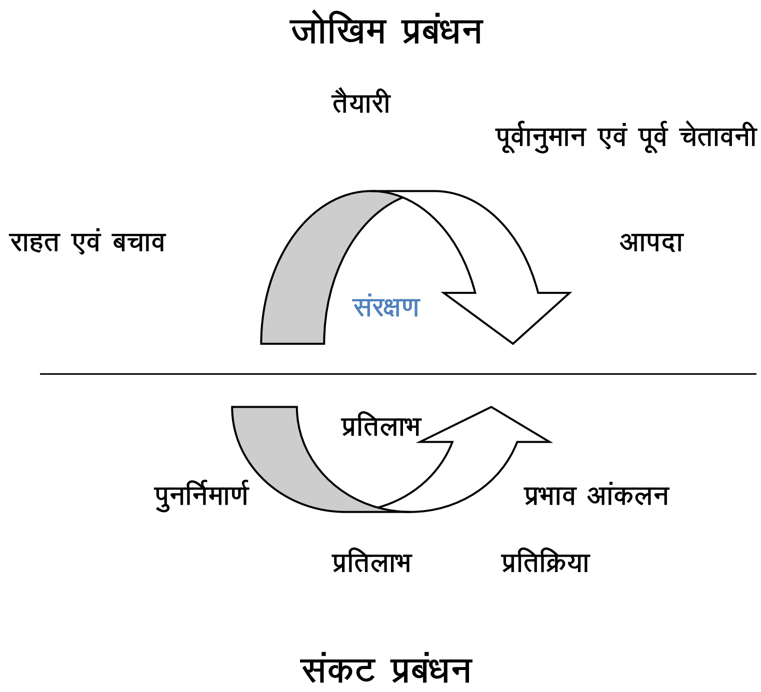

टिप्पणी

चित्र के माध्यम से प्रशिक्षक प्रतिभागियों को जोखिम प्रबंधन/जोखिम न्यूनीकरण एवं संकटकालीन प्रबंधन/आपातकालीन प्रतिक्रिया आदि अवधाओं को समझ सकते हैं। यह चित्र उन गतिविधियों को भी दर्शा रहे हैं जो आपदा की स्थिति में कई चरणों में की जाती है।

विषय – 2 खतरों के प्रकार (15 मिनट)

प्रशिक्षक मार्गदर्शिका
''ब्रेन स्टॉमिंग अभ्यास'' का प्रयोग करते हुए प्रशिक्षक प्रतिभागियों से यह प्रश्न कर सकते हैं? कि ''उन्हें कितने प्रकार की विपदाओं की जानकारी है और उन्होंने अपने क्षेत्र में कितनी खतरों को देखा हैं''. 4–5 प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया लेकर प्रशिक्षक प्रस्तुतीकरण (पी.पी.टी.) के माध्यम से (चित्रों का प्रयोग करते हुए)

निम्न प्रकार के खतरों के सम्बंध में समझायें

विपदाओं (खतरों) के प्रकार
खतरों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है जैसे भूगर्भीय हाइड्रो मैट्रियोलाजिकल या जैविक, विपदायें की घटनायें परिमाण तीव्रता, बारम्बारता, अवधि, क्षेत्रीय विस्तार घटने की गति, स्थानिक फैलाव आदि।

भूगर्भीय विपदायें : इनमें धरती की अन्दरूनी प्रक्रियाए शामिल होती हैं अथवा उनकी उत्पत्ति **विपर्तनिक** होती है। उदाहरण के लिए भूकम्प, भूगर्भीय गड़बड़ी, टी सूनामी, ज्वालामुखी एवं उत्सृजन तथा बाहरी प्रक्रियायें जैसे बृहद स्तरीय आन्दोलन भूस्खलन (लैण्ड स्लाइड), शिला स्खलन (रॉक स्लाइड्स), चट्टान गिरना या हिमस्खलन, सतह ध्वस्त होना एक्सपेन्सिव स्वाइल, डेबिस या कीचड़ बहना, भूगर्भीय विपदाओं से संबंधित हैं। यह विपदायें उत्पति एवं प्रभाव में क्रर्मिक या संयुक्त हो सकती हो सकती है।

हाईड्रोमेट्रोलॉजिकल विपदायें : बाढ़, मलवा एवं कीचड़ का बहाव, ट्रापिकल चक्रवात, तूफान, अन्धड़ बारिश एवं अन्धड़युक्त तुफान एवं अन्य गंभीर प्रकार के तूफान, सूखा, जंगल की आग, रेगिस्तान, अत्यधिक तापमान, धूल और बालू के तूफान, पर्माफ्रोस्ट और वर्फानी/हिमस्खलन इत्यादि विपदायें अपनी उत्पत्ति एवं प्रभाव में अकेले क्रमिक या संयुक्त हो सकते हैं।

मानवजनित विपदायें इन विपदाओं की उत्पत्ति मानव के पर्यावरण में सफाई/व्यवहार के परिणाम स्वरूप होती है। इनमें तकनीकी विपदायें शामिल हैं जो कि खतरनाक पदार्थो जैसे – मर्करी, एस्बेस्ट्स, फाइबर, कोयले की धूल आदि के सफाई में आ जाना शामिल है। एसिड, बारिश, वातावरण या सतही जल का प्रदूषित हो जाना ग्लोबल वार्मिंग आदि मानवजनित विपदाओं के दुष्परिणाम हैं।

विषय–3– आपदा प्रबंधन चक्र (30 मिनट)

आपदा प्रबंधन चक्र सामान्यतः चार स्तर पर होते है एवं यह सभी निम्न तीन चरणों के अर्न्तगत आते हैं।

आपदा – पूर्व चरण 1 : आपदा रोकथाम तैयारी, नियंत्रण आदि इस सिद्वान्त पर आधारित है कि देखभाल से बेहतर ''है रोकथाम''। इस चरण में वह भी कदम शामिल हैं जो कि आपदा रोधी समुदाय एवं ढांचा बनाने के लिए आवश्यक है।

आपदा दौरान चरण – 2 : आपदा की प्रतिक्रिया एवं राहत कार्यों में त्वरित खोज एवं बचाव कार्य, प्रभावित समुदाय के लिए खाना, कपड़ा एवं सैल्टर आदि शामिल हैं।

आपदा – पश्चात् चरण –3 : पुर्नवास, पुर्ननिर्माण, पुनरूत्थान के कार्यों का उद्देश्य सभी आवश्यक सेवाओं/सुविधाओं को आपदा पूर्व की स्थिति में लाना। इनका उद्देश्य ऐसे उपायों को अपनाना होता है जिसमें कि सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक ढांचे का पुनरूत्थान लम्बे समय तक बना रहे एवं ऐसी प्रक्रियाओं पर ध्यान देना होता है कि भविष्य में आने वाली आपदायें समुदाय पर गंभीर एवं अपरिवर्तनीय ढंग से प्रभाव न डाल सकें।

दीर्घावधि विकास भविष्य की ओर कदम के रूप में आपदारोधी अवस्थानायें खड़ी करने एवं आपदा प्रबंधन की गतिविधियों को विकास योजनाओं की मुख्य धारा में शामिल करने पर केन्द्रित होता है।

आपदा प्रबंधन की गतिविधियां

आपदा स्तर	कार्य की प्रकृति
रोकथाम	रोकथाम के कार्यकलापों का उद्देश्य पूर्णतः विपदाओं के विपरीत प्रभावों को न होने देना और पर्यावरण तकनीकी तथा जैविक आपदाओं को न्यूनतम करने के आधार उपलब्ध कराना होता है। सामाजिक एवं तकनीकी **संभाव्यता** तथा **लागत/व्यय** के विचारों के आधार पर आपदाओं से बार–बार प्रभावित होने वाली क्षेत्रों के रोकथाम के उपायों पर निवेश समुचित है।

नियंत्रण	नियंत्रण का अर्थ आपदा की संभावना एवं विस्तार को न्यूनतम करने की कार्यवाही, नियंत्रण की कार्यवाही, आपदा के पूर्व, दौरान एवं पश्चात्, कमी भी की जा सकती है परन्तु इस शब्द का प्रयोग अधिकांशतः संभावित आपदाओं के प्रति की जाने वाली कार्यवाही के लिए किया जाता है। नियंत्रण के उपाय ढांचागत और गैर ढांचागत दोनों ही प्रकार के होते हैं। ढांचागत उपाय वे उपाय हैं जिनको आसानी से देखा जा सकता है। जैसे – भवनों को मजबूत बनाना, आपदा रोधी निर्माण एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर, गैर ढांचागत कार्य दिखते नहीं हैं एवं इनकों आसानी से गिना नहीं जा सकता लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे – जागरूकता उत्पन्न करना, शिक्षण एवं प्रशिक्षण, नियम कानून बनाना और उनका पालन।
तैयारी	तैयारी के सभी सत्र अधिक कार्यवाहियां एवं उपाय शामिल हैं जो विपदा के समय प्रभावशाली प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करते हैं। जैसे – समय पर प्रभावी चेतावनी, आपातकालीन योजना की तैयारी इनवेन्ट्री, जोखिम पर होने वालों के लिए योजना अस्थायी रूप से लोगों एवं सम्पत्तियों से स्थान को खाली कराना। इसमें वे उपाय भी शामिल हैं जो सरकार को समुदाय एवं व्यक्तियों को आपदा की परिस्थिति में त्वरित कार्यवाही एवं आपदा का सामना करने की शक्ति प्रदान करते हैं।
प्रतिक्रिया / राहत	राहत कार्य त्वरित कम अवधि या निर्धारित अवधि के हो सकते हैं जैसे – प्रभावित क्षेत्र में खोज एवं बचाव कार्य, भोजन वितरण, अस्थायी सैल्टर, चिकित्सा एवं देखभाल आदि आपदा के पश्चत् के सामान्य कार्य हैं। राहत में वे सभी नीतियां व उपाय शामिल हैं जो लोगों की तकलीफों एवं परेशानियों को कम करने में सहायक हों। जिससे कि प्रभावित लोग अचानक अपने परिजनों एवं आजीविका खोने के सदमें से उभर सकें। राहत कार्य को मुख्य रूप से प्रभावित लोगों को सामान्य जीवन पुन' शुरू करने में सहायक होते हैं।
पुर्नवास	आपदा के पश्चात् प्रभावित लोगों को जीवन यापन की उनकी पूर्व स्थिति को बहाल करने के लिए किये गये निर्णय एवं कार्यवाहियां पुर्नवास में शामिल हैं। जिनसे लोगों को आपदा से हुए परिवर्तनों के साथ सामंजस्य की प्रक्रिया में सुविधा एवं उत्साह मिले।
पुर्ननिर्माण	पुर्नवास के उपरान्त आपदा प्रभावित समुदाय को पुनः स्थापित करने के लिए किये गये कार्य पुर्ननिर्माण के होते हैं। इन कार्यों में स्थायी भवनों का निर्माण सभी सेवाओं की पुनः बहाली व भौतिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को आपदा पूर्व की स्थिति में लाना शामिल है।
पुनरूत्थान	पुनरूत्थान का तात्पर्य पुर्नवास व पुर्ननिर्माण से सम्बंधित निर्णय एवं कार्यों से है जो आपदा के उपरान्त इस दृष्टिकोण से किये जाते हैं कि प्रभावित समुदाय को सामान्य जीवन, परिस्थितियां बहाल हों तथा उनमें सुधार हो सके। साथ ही साथ आपदा जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक परिवर्तन को प्रोत्साहित एवं सुगम करते हैं। पुनरूत्थान के कार्य प्रभावित क्षेत्र की परिस्थितियों को सुधारने के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपयों को अपनाते हैं और ये प्रयास करते हैं कि विकास कार्य इस प्रकार हों कि आपदा जोखिम और संवेदनशीलता न्यूनतम हो सके। सम्बंधित क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों में आपदा को विकास का अवसर मानते हुए पुनरूत्थान की योजनाओं को मुख्य धारा में रखने की आवश्यकता है।

विषय – 4 आपदा प्रबंधन के उभरते प्रचलन (30 मिनट)

प्रचलन	केन्द्र बिन्दु
पारम्परिक / प्रचलित पद्वति	इसका ध्यान आपदा आने के पश्चात् प्रबंधन पर होता है। इसमें फोकस प्रतिक्रियात्मक या राहत प्रतिमान पर होता है। इसमें भोजन, सैल्टर, चिकित्सा व स्वास्थ्य, आकस्मिक योजनाएं, स्थान खाली कराना, संगठन एवं प्रशिक्षण, पूर्व चेतावनी, विपदा, मानीटरिंग प्रणाली शामिल हैं। इसमें नियंत्रण प्रतिमान भी शामिल हैं जो कि विपदा संभावित क्षेत्रों को चिन्हित करने भौतिक संवेदनशीलता के प्रारूप, पुर्नस्थापित जोखिम व कोड बनाने पर केन्द्रित है।
वैकल्पिक / प्रगतिशील पद्वति	यह दृष्टिकोण विकास प्रतिमान पर आधारित है जिसके केन्द्र में उत्पत्ति के कारक (भूमि एवं सम्पत्ति को मिल्कियत) संवेदनशीलता की

	प्रक्रिया में समुदाय की क्षमता की अभिवृर्धन ऋण सुविधा, आजीविका का विविधीकरण व प्रोद्यौगिकी इनोवेशन है। जोखिम न्यूनीकरण प्रतिमान इसी दृष्टिकोण का एक अवयव है। यह पारम्परिक ज्ञान एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मिश्रण है। इसका उद्देश्य है विपदा का संवेदनशीलता एवं क्षमताओं का आंकलन करने के साथ ही आपदा जोखिम के प्रति लोगों को समझने का आंकलन करना भी है। नुकसान को सहने के नीतियां को अधिक अनुकूलतम बनाना, वैश्विक समस्याओं के स्थानीय समाधान करना और समुदाय को सजीव की भांति न समझकर निर्जीत की भांति।
कान्ट्रेक्ट/अनुबंध विस्तार पद्वति	इस दृष्टिकोण की यह मान्यता है कि आपदा प्रबंधन की सभी आयामों को अव्ययों जैसे – रोकथाम, नियंत्रण, प्रतिक्रिया, पुनरूत्थान, सभी आपदा बाहुल्य क्षेत्रों में एक साथ कार्य किया जा सकता है। प्रत्येक अवयव ''कान्ट्रैक्ट या विस्तार'' का संबंधित महत्व विपदा एवं समुदाय की संवेदनशीलता के अनुपात पर निर्भर करता है। इसके अनुसार जब विपदा समुदाय की प्रबंधकीय क्षमताओं की ऊपर नियंत्रण की जाती है तो आपदा आती है। जिससे कि समुदाय की संवेदनशीलता बढ़ जाती है।

भारत में विशेष रूप से हिमांचल प्रदेश में विपदा, संवेदनशीलता एवं जोखिम

भारत में विशेषकर हिमांचल प्रदेश में विपदा, संवेदनशीलता एवं जोखिम अपनी जलवायु व फीजियोग्राफिक परिस्थितियों के कारण विश्व का सर्वाधिक आपदा बाहुल्य क्षेत्र रहा है। 50 प्रतिशत भू–क्षेत्र मध्यम से तीव्र भूकम्प का क्षेत्र है। 40 मिलियन हेक्टेअर (12 प्रतिशत) क्षेत्र बाढ़ एवं नदी के कटान बाहुल्यता वाले हैं। 7500 किमी. लम्बी समुद्रतटीय (कोस्ट लाइव) के लगभग 5700 किमी. में चक्रवात और सुनामी की संभावनाएं हैं। लगभग 60 प्रतिशत खेती योग्य जमीन सूखे के प्रति संवेदनशील हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भूस्खलन और हिमस्खलन की आशंका वाले क्षेत्र हैं। आपदा के प्रति उच्च संवेदनशीलता का संबंध बढ़ती हुयी जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, उच्च जोखिम क्षेत्रों में विकास कार्य पर्यावरण का असंतुलन व जलवायु में परिवर्तन से जोड़ा जा सकता है।

आपदा के प्रति मनुष्यों की संवेदनशीलता के संदर्भ में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग की जनसंख्या सबसे अधिक प्रभावित है। संवेदनशील वर्ग में बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे विशेष तौर पर छोड़े गये बच्चे, आपदा से अनाथ बच्चे एवं दिव्यांग उच्च जोखिम पर हैं। आपदा प्रबंधन एक्ट–2005 एवं आपदा प्रबंधन एक्ट–2009 के अनुसार आपदा के कारण दो प्रकार के हैं:

1. प्राकृतिक एवं 2. मानव जनित

पूर्व में बताए गए प्राकृतिक कारकों के अतिरिक्त अनेक मानव जनित कार्य जैसे बढ़ता हुआ डेमोग्राफिक दबाव, बिगड़ती हुई पर्यावरण परिस्थिति, जंगलों का खत्म होना, नदियों के चैनल पर बड़े–बड़े डैम का निर्माण, खेती के गलत तौर तरीके, अनियोजित शहरीकरण आदि देश में आपदाओं की बहुल्तः एवं बारम्बारता के लिए उत्तरदायी है।

हिमांचल प्रदेश की आपदा प्रोफाइल

अपनी जटिल भूगर्भीय रचना के साथ ही जटिल तलरूप (टोपोग्राफी) के साथ पर्वत श्रृंखलाओं, पहाड़ियों एवं घाटियों का मिश्रित स्वरूप बनाता है। शिवालिक पर्वत सैण्डस्टोन शैल एवं मिट्टी से बनता है जो कि इयोसिन, मियोसिन, प्लियोसिन (Eocene, Miocene & Pliocene) के समय में अस्तित्व में आये। इसका केन्द्रीय भाग जो उत्तर में चम्बा जनपद से दक्षिण में शिमला तक फैला है। जटोग वर्ग की चट्टानों का प्रतिनिधि करता है। यह चट्टानें प्रोटेआरगिक समय की है। पूर्वी उत्तर भाग में अनक्लासिफाइड ग्रेनाइट, कुल्लू, पूर्वी शिमला, लाहौल स्थिति व किन्नूर जनपद के हिस्सों के केन्द्रीय भाग का घेरा बनाती है। पूर्व में बृहत्तर हिमालय जैसी पर्वत श्रेणियों में बनावट दिखती है जो कि लाहौल स्थिति जनपद की काजा तहसील में पाये जाते हैं। सबसे पुरानी चट्टानें ग्रेनाइट है जो कुल्लू जनपद में लाटकी के नजदीक

जयोटी– बांगररू व बन्देल में पाये जाते हैं। यह ग्रेनाइट क्रस्ट स्टेज के समय के हैं जबकि अपनी वर्तमान स्थिति के 8000 किमी. दक्षिण–पूर्व में स्थित था।

जलवायु–जोखिम

सम्पूर्ण राज्य में ऊंचाई के साथ ही जलवायु भिन्न हो जाते हैं। दक्षिण निम्न भाग में 400–900 की ऊंचाई के क्षेत्र में ऊष्ण में ऊष्ण उप–आर्द्रता, 900–1800 मीटर की ऊंचाई पर गर्म एवं शीतोष्ण, 900–2400 मी. पर ठण्डा एवं शीतोष्ण, 2400–4800 मी. पर कोल्ड एल्पाइन एवं अत्यधिक ठंडी जलवायु है। बिलासपुर, कांगड़ा, मण्डी, सिरमोर एवं उना जनपदों में उप–ऊष्णकटबंधीय, मानसून हल्की एवं सूखी ठण्ड, गर्म ग्रीष्म का मौसम रहता है। शिमला जनपद की जलवायु ऊष्णकटबंधीय अपलैण्ड तरह की है यहां सूखी ठण्ड व कम समय की हल्की गर्म नम ग्रीष्म ऋतु है। चम्बा जनपद में आर्द्र उप ऊष्णकटबंधीय जलवायु के साथ हल्की ठण्ड एवं लम्बी नम ग्रीष्म रहती है। कुल्लू जनपद में मुख्य रूप से आर्द्र उप ऊष्ण कटवबंधीय जलवायु के साथ नम सर्दियां, लम्बी गर्म ग्रीष्म एवं समुद्री मौसम रहता है। जनवारी से फरवरी के दौरान ऊंचाई पर भारी हिमपात के कारण तापमान बहुत कम हो जाता है। जिससे पूरे प्रदेश में खराब मौसम एवं पश्चिमी उतर चढ़ाव का प्रभाव रहता है।

हिमांचल की गोद में बचे हिमांचल प्रदेश 33.22ई से 33.12 ई एवं 75.45 ई से 79.4 ई के अक्षांश के बीच है। दक्षिण पूर्व में उत्तराखण्ड, पूर्व में चीन, दक्षिण पश्चिम में हरियाणा, एवं उत्तर में जम्मू कश्मीर है। प्रदेश की भौगोलिक स्वरूप हिमांचल प्रदेश के मौसमी विशेषताओं को नियंत्रित एवं पारिभाषित करता है। ससाथ ही प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं के गहनता एवं घटना को प्रभावित करता है। पूर्व में आपदाओं से हुए नुकसान एवं उनकी व्यापकता की प्रकृति को देखते हुए यह राज्य देश के सर्वाधिक अस्थिर एवं आपदा प्रवृत्त राज्यों में से एक है। दक्षिण उत्तरी तटस्वरूप एवं जलवायु की गठन जिससे विभिन्न विपदाओं की तीव्रता एवं उभार स्पष्ट होते हैं। उसे निम्नानुसार समझा जा सकता है।

जोन–1

उप ऊष्ण कटबंधीय निम्न पहाड़ी शिवालिक क्षेत्र– यह क्षेत्र नीचे के पर्वतों का है, बारिश 800–1800 मिमी. होती है। यह क्षेत्र अधिक सपाट होने के कारण ग्रीष्म की कमी से ग्रसित रहता है। घाटियां सामान्यतः संकरी हैं जिसमें अच्छी खेती योग्य समतल क्षेत्र कम है। अधिकतर झरने संकरी घाटियों में हैं। जिसमें हाल में तीव्र उठान के लक्षण दिखते हैं। समुद्री तल में 500–1200 मी. की ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं।

जोन–2

मध्य पर्वतीय जोन धौला घाट के दक्षिण–पश्चिम में कम हिमालय श्रृंखला एवं रवि व चंपक नदी की घाटियों से यह क्षेत्र बनता है। यह राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 32 प्रतिशत एवं उपजाऊ क्षेत्र का 53 प्रतिशत है। इसे एल्टीट्‌टयूड समुद्री स्तर तल के बीच से 800–1600 की रेंज में है औसत वार्षिक वर्षा 1800 मिमी. है।

जोन–3

सूखा पहाड़ी क्षेत्र जोन 2 का ऊपर जलग्रहण क्षेत्र जो 3 है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत एवं उपजाऊ क्षेत्रफल का 11 प्रतिशत कवर करता है। ऊंचाई रेंज समुद्री स्तर से 1600–2700 मी. है। औसत वार्षिक वर्षा 1000–1500 मिमी. है।

जोन–4

ठण्डा पहाड़ी क्षेत्र – हिमालय पार वृहद ग्रेट हिमालय व जांगस्कर श्रृंखला के बीच का ठण्डा रेगिस्तान है। सामान्यतः समुद्र स्तर से 2700 मी. की ऊंचाई पर है, बृहद हिमालय की छाया बारिश के कारण वार्षिक बारिश का औसत 200 मिमी. से कम है। यह जोन राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 8 प्रतिशत एवं उपजाऊ क्षेत्र का 3 प्रतिशत क्षेत्रफल कवर करता है।

हिमाचल प्रदेश का कृषि जलवायु क्षेत्र

हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन योजना 2012, HPDDDMA राजस्व विभाग (आपदा प्रबंधन प्रकोष्ट हि.प्र.) पृष्ठ 12.2.1.2 प्राकृतिक एवं मानव जनित संभावित विपदायें प्रदेश के त्वरित कार्यवाही योग्य हैं। क्योंकि यह प्रत्येक वर्ष किसी न किसी प्रकार की विपदाओं का सामना करता है। प्रदेश की नाजुक परिस्थितियों एवं भूगर्भीय संरचना के साथ भौतकीय जलवायु के परिवर्तन इनको प्रकृति की अनिमियितताओं के प्रति संवेदनशील बनाते हैं।

हिमाचल प्रदेश में जनपदवार विपदा की चुनौतियां

जनपद	भूकम्प	भूस्खलन	मध्यम	मध्यम	जंगल की आग	सूखा	बादल फटना
कांगड़ा	अधिक उच्च	निम्न	मध्यम	मध्यम	उच्च	उच्च	मध्यम
चम्बा	अधिक उच्च	उच्च	उच्च	मध्यम	उच्च	मध्यम	उच्च
हमीरपुर	उच्च	निम्न	निम्न	–	अधिक उच्च	मध्यम	निम्न
मण्डी	अधिक उच्च	उच्च	उच्च	–	अधिक उच्च	मध्यम	उच्च
कुल्लू	अधिक उच्च	अधिक उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	मध्यम	अधिक उच्च
बिलासपुर	उच्च	मध्यम	निम्न	–	अधिक उच्च	मध्यम	निम्न
ङना	उच्च	निम्न	उच्च	–	मध्यम	उच्च	निम्न
सिरमोर	उच्च	निम्न	निम्न	–	अधिक उच्च	मध्यम	मध्यम
सोलन	उच्च	मध्यम	निम्न	–	मध्यम	मध्यम	निम्न
किन्नौर	उच्च	उच्च	उच्च	अधिक उच्च	मध्यम	मध्यम	अधिक उच्च
लाहुल व सिपिटी	मध्यम	मध्यम	मध्यम	अधिक उच्च	मध्यम	मध्यम	उच्च
शिमला	अधिक उच्च	उच्च	उच्च	मध्यम	उच्च	मध्यम	उच्च

संस्थागत एवं कानूनी फ्रेमवर्क एवं स्थानीय प्राधिकरणों की भूमिका

हिमांचल प्रदेश में आपदा प्रबंधन के लिए प्रभावी कार्यतंत्र प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार के अधिनियम–2005 के अंगीकृत किया है।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के सेक्शन 14 के सब-सेक्शन (2) के धारा के अर्न्तगत माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हिमांचल प्रदे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 01 जून, 2007 में किया गया, जिनमें निम्न सदस्य हैं :

1.	मा. मुख्यमंत्री,	अध्यक्ष
2.	मा. राजस्व मंत्री	सदस्य
3.	मुख्य सचिव	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
4.	प्रमुख सचिव, (राजस्व)	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, (गृह)	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, (लो.नि.वि.)	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव, (स्वास्थ्य)	सदस्य

8.	पुलिस महानिदेशक	सदस्य
9.	सचिव/अपर सचिव (राजस्व)	सदस्य सचिव

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का शासनादेश है कि राज्य अधिशासी समिति की सदस्या से राज्य के आपदा प्रबंधन योजना की नीतियों का निर्धारण अनुमतियां प्रदान करेगा।

भूमिका एवं उत्तरदायित्व

1. राज्य आपदा प्रबंधन की नीतियां बनाना।
2. राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के अनुरूप राज्य की योजना हेतु अनुमति प्रदान करना।
3. राज्य के विभिन्न विभागों के लिए दिशा निर्देश तैयार करना जिसमें वे परस्पर संयोजन एवं एकीकृत रूप से आपदा रोकथाम व नियंत्रण को अपने विकास योजनाओं एवं परियोजनाओं में शामिल कर सके एवं आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान कर सके।
4. राज्य की योजना को राज्य एवं जनपद स्तर पर लागू करना।
5. तैयारी एवं नियंत्रण के लिए धनराशि के प्रावधान की संस्तुति करना।
6. राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा कर यह सुनिश्चित करना कि कम से कम जीवन रेखा से संबंधित स्ट्रक्चर बनाने में रोकथाम एवं नियंत्रण के उपायों को शामिल किया जाए। नियंत्रण, क्षमता अभिवर्द्धन एवं तैयारी के लिए विभिन्न विभागों द्वारा अपनाये गये उपायों की समीक्षा करना।

राज्य अधिशासी समिति

आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के अनुच्छेद 20 के उप अनुच्छेद(1) के अनुसार हिमांचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्न सदस्यों के साथ (राज्य अधिशासी समिति) का गठन 01,जून 2007 को किया गया।

क्र.सं.	अधिकारी	पदनाम
1	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2	अति. मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (वन)	सदस्य
3	प्रमुख सचिव (राजस्व)	सदस्य
4	प्रमुख सचिव (गृह)	सदस्य
5	प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य)	सदस्य
6	प्रमुख सचिव (लोक निर्माण विभाग)	सदस्य
7	प्रमुख सचिव (वित्त)	सदस्य
8	प्रमुख सचिव (सिंचाई व लोक स्वास्थ्य)	सदस्य
9	सचिव (सामान्य प्रशासन)	सदस्य
10	निदेशक (एच.आई.पी.ए.) शिमला	सदस्य
11	सचिव/अति. सचिव (राजस्व)	सदस्य सचिव

तकनीकी समितियां

आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 की धारा 21 उपधारा (1) के अर्न्तगत राज्य अधिशासी समिति द्वारा टी.सी.पी. एक्ट एवं शहरी निकायों के भवन निर्माण कानूनों में संशोधन के विषयों पर गौर करने के लिए यह उप समिति का गठन किया गया।

राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र

राज्य में आपदा प्रतिक्रिया से संबंधित सभी गतिविधियों का मुख्य केन्द्र राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र (एस.ई.ओ.सी.) होगा।

जनपदीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

यह प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप योजना, समन्वय एवं निगरानी की जिला इकाई के रूप में कार्य करेगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सेक्शन 25 के अनुसार प्रदेश के प्रत्येक जनपद के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित किये गये हैं जिनमें निम्न सदस्य होते हैं।

क्र.सं.	अधिकारी	पदनाम
1	उपायुक्त	अध्यक्ष

2	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
4	अधीक्षण अभियंता (लो.नि.वि.)	सदस्य
5	अधीक्षण अभियंता (सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य)	सदस्य
6	अधीक्षण अभियंता (एच.पी.पी. एंड पी.)	सदस्य
7	अध्यक्ष, जिला परिषद्	सदस्य

जिला आपदा प्रबंधन परामर्श **समितियां** इन समितियों की नीति जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। जिसमें आपदा प्रबंधन के संदर्भ में विषय विशेष पर परामर्श प्राप्त किया जा सके। इस समिति में सरकारी विभागों, शोध संस्थाओं एवं गैर सरकारी संगठनों आदि से आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञ सदस्य होंगे।

जिला आपातकालीन प्रचालन केन्द्र जिले में आपदा प्रतिक्रिया से संबंधित सभी कार्यों का केन्द्रीय स्थल जिला आपातकालीन प्रचालन केन्द्र होगा। यह आपातकालीन प्रतिक्रियाओं के संबंध में उच्च स्तर एवं निम्न स्तर दोनों से संवाद एवं संयोजन करेगा।

तहसील/उप तहसील/विकास खण्ड आपदा प्रबंधन समिति जिला प्राधिकरण के निर्देशों के अनुरूप यह समितियां विकास खण्ड के स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना बनाने एवं उसके कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी।

ग्राम पंचायत/ग्राम्य आपदा प्रतिक्रिया समिति पंचायत प्रधान की अध्यक्षता में इस समिति का गठन, आपदा के प्रति सबसे पहले कदम उठाने वाली इकाई के रूप में किया जाएगा। पंचायत सचिव इस समिति के सचिव एवं पटवारी व वार्ड सदस्य इसके सदस्य होंगें।

आपदा रूझान 2004—2013—2014 का एक तुलनात्मक अध्ययन

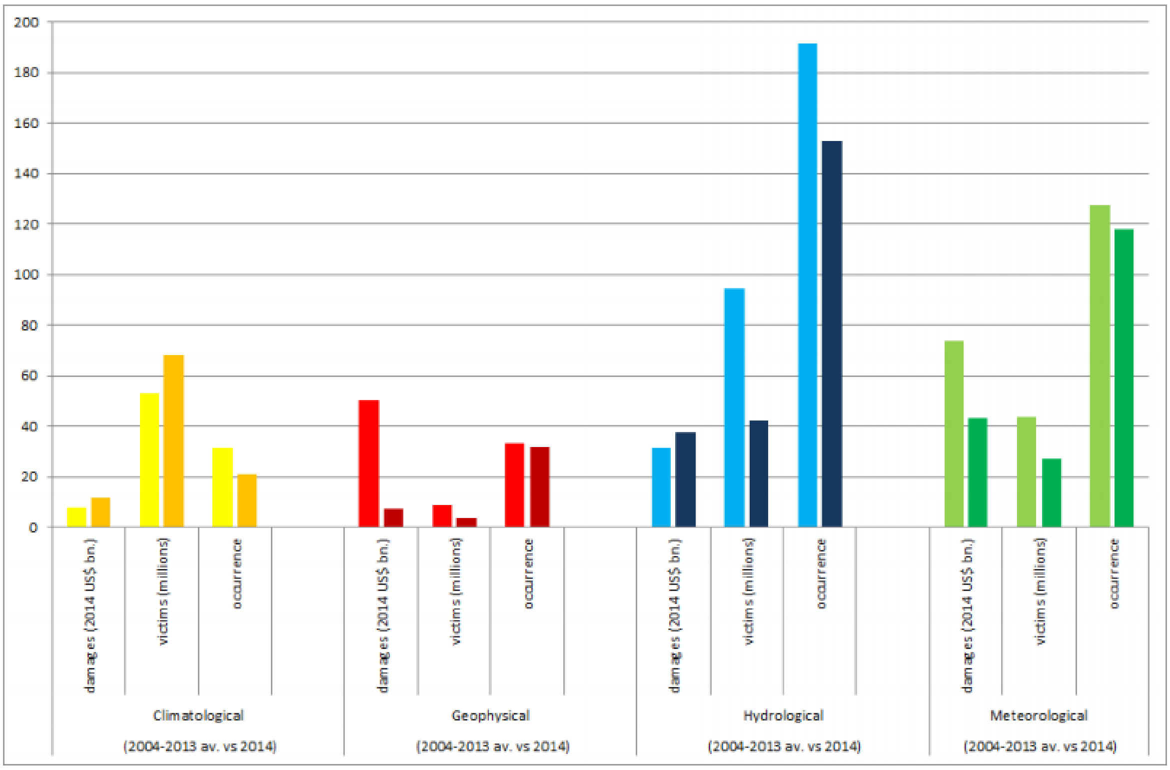

2014 में (324) आपदाएं रिपोर्ट की गई जबकि 2013 में इसकी संख्या (331) की तुलना में 2.1 प्रतिशत कम है। यह पिछले दशक के औसत (384) से 15.6 प्रतिशत कम है जो कि सूचित आपदाओं की संख्या में

स्थिरता एवं धीमी गति से कमी की संभावना की पुष्टि करता है। 2014 में आपदाओं से हुई मृत्यु (7823) की संख्या, पिछले दशक में सबसे कम थी जबकि 2013 में (21,629) 2014–13 का वार्षिक औसत (99,820) था। हैती के भूकम्प का वर्ष 2010 (2,97,598) जो कि इण्डियन ओशियन में आई टी सुनामी के वर्ष 2004 (2,41,658) वर्ष 2008 में (2,35,293) म्यांमार के नरगिस चक्रवात से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। 2014 में दर्ज पीड़ितों (140.7 मिलियन) ककी संख्या दशक, में तीसरे क्रम में थी 2013 के पीड़ितों की संख्या (100.5 मिलियन) से 40.1 प्रतिशत ज्यादा थी। इस दशक के वार्षिक औसत 199.2 मिलियन पीड़ितों की तुलना में 2014 में पीड़ितों की संख्या 29.2 प्रतिशत कम थी।

प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसानों में वर्ष 2014 (99.2 बिल्यिन डालर) का नुकसान पिछले दशक के वार्षिक के औसत से 39 प्रतिशत कम थे। 2014 में हुए नुकसान 2004 से इस दशक में चतुर्थ नम्बर पर थे। जो कि जापान में टी सुनाम व थाईलैण्ड में लम्बी बाढ़ के वर्ष 2011 में (US$388.8 विलियन डालर एवं हरीकैन कैटरीना के वर्ष 2005 US$261.3 बिलियन डालर) से बहुत कम थे। वर्ष 2014 में सूचित प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में कमी की वजह जलवायु जनित आपदाओं एवं हाइड्रोलॉजिकल आपदाओं की संख्या में कमी आना था। जलवायुजनित आपदाओं में जंगल की आग (4) निम्नतर स्तर पर दशक के वार्षिक औसत से 44 प्रतिशत कम, तथा सूखा (17) दशक के दौरान तीसरे निस्तारण स्तर पर वार्षिक औसत से 23 प्रतिशत कम थे। हाइड्रोलॉजिकल आपदाओं में बाढ़ (131) भी 2014 में दशक के औसत से 23 प्रतिशत कम एवं दूसरे निम्नतम स्तर पर रही। मौसमी आपदाओं 2014 में उच्चतम तापमान (18) दशक के तीसरे निम्नतम स्तर पर औसत से 30 प्रतिशत कम था। इसके विपरीत 2014 में भूकम्प ज्वालामुखी की घटना, हाइड्रोलॉजिकल उत्पत्ति के मास मूववेन्ट एवं तूफान आदि 2013 के आंकड़ों के निकट एवं दशक के वार्षिक औसत से काफी निकट रहा।

प्राकृतिक आपदाओं से वर्ष 2014 में मृतक संख्या (7823) पिछले दशक में सबसे कम थी, जो कि दशक के वार्षिक औसत (99,820) से बहुत कम थी। तूफान से 2014 में मरने वालों की संख्या (1239) दशक में सबसे कम थी जो कि 2008 के नरगिस चक्रवात से हुए मौंतों (1,38,000) से अत्यधिक कम थी। 2014 में बाढ़ से होने वाली मृत्यु (3634) दशक में नीचे से दूसरे स्थान पर थी और भूकम्प से हुई मृत्यु (773) जिसकी तुलना इण्डियन ओशियन की टी सुनाम से 2004 में यह हयाती भूकम्प से 2010 में होने वाली 2,00,000 की संख्या से नहीं की जा सकती। दूसर तरफ ज्वालामुखी की घटनाओं में मृतकों की संख्या (102) सर्वाधिक में दूसरे नम्बर पर था। हाइड्रोलॉजिकल मास मूबमेन्ट की मृतक संख्या (958) सर्वाधिक में तीसरे स्थान पर थी परन्तु इस प्रकार की मृतक संख्या बहुधा अन्य प्रकार की आपदाओं के आंकड़ों से असंबंधित रहती है।

2004–2013 के दशक के औसत की तुलना में वर्ष 2014 में 29 प्रतिशत की कमी के साथ प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित संख्या (140.7 मिलियन) रही। 2014 में सूखा (28.9 प्रतिशत) एवं ज्वालामुखी गतिविधियां (+43.13) के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की आपदाओं की संख्या में कमी दर्ज की गयी। कम आवृत्ति वाली आपदाओं जैसे– जंगल की आग, हाइड्रोलॉजिकल, मास मूवमेन्ट, उच्चतम तापमान से पीड़ितों की संख्या 90 प्रतिशत के अनुपाद में कमी हुई दूसरी ओर 62 प्रतिशत भूकम्प, 35 प्रतिशत बाढ़, 25 प्रतिशत तूफान की कमी के अनुपात में 2014 में सामान्य आपदाओं से प्रभावित लोगों की संख्या में अनुपातिक कमी हुई है। प्राकृतिक आपदाओं से हुई हानि वर्ष 2014 में (US$99.2 बिलियन डॉलर) दशक में नीचे से चतुर्थ पायदान पर थी। मौसमी आपदा से (US$43.5 बिलियन डॉलर) एवं हाइड्रोलॉजिकल आपदा से (US$37.7 बिलियन डॉलर) कुल हानि मूल्य का 81.2 प्रतिशत भाग है परन्तु मौसमी आपदाओं का प्रतिशत दशक में उनके औसत से 41.3 प्रतिशत कम था। दूसरी तरफ हाइड्रोलॉजिकल नुकसान इसके आपदा आंकड़ों की वार्षिक समीक्षा 2014 के संख्या एवं औसत दशकीय औसत से 19 प्रतिशत अधिक था। 2014 में सूखे का नुकसान (US$11.1 बिलियन डॉलर) 2004–2013 के औसत से 1.7 प्रतिशत अधिक था वहीं भूकम्प से होने वाले नुकसान 2014 में वार्षिक औसत से 85.7 प्रतिशत कम था।

एशिया महाद्वीप

2014 में एशिया महाद्वीप में आपदाओं की संख्या (144) दशक के वार्षिक औसत (156) के करीग थी लेकिन इस सम्पूर्ण आंकड़ों से आपदाओं के प्रकार का पता नहीं चलता है। वर्ष 2014 में जलवायुवीय आपदाओं की संख्या (5) के दशक के औसत (5) के बराबर थी। भूभौतिकीय एवं हाइड्रोलॉजिकल आपदाओं की संख्या

(17.65) क्रमशः तृतीय निम्नतम थी और इसमें 19.0 प्रतिशत एवं 21.7 प्रतिशत की गिरावट दिखती है। दूसरी तरफ मौसमी आपदाओं की संख्या (57) दशक में सर्वाधिक थी जो कि वार्षिक औसत से (21 प्रतिशत) अधिक थी।

एशिया में आपदाओं के पीड़ितों की संख्या (97.8 मिलियन) दशक के औसत (160.7 मिलियन) से बहुत कम थी और जलवायुवीय आपदा के अतिरिक्त सभी प्रकार की आपदाओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गयी। जलवायुवीय आपदा जिसके पीड़ितों की संख्या में वर्ष 2014 में लगभग 20 प्रतिशत वृद्धि के साथ 31.7 मिलियन थी परन्तु इसमें 87 प्रतिशत पीड़ित चीन के सूखे की आपदा से पीड़ित थे। भूभौतकीय आपदा से पीड़ित (2.65 मिलियन) दशक के औसत से 65 प्रतिशत कम था परन्तु 2008 में चीन के सिशुवान भूकम्प जिसके पीड़ितों की संख्या (46 मिलियन) के कारण असंतुलित है वास्तव में चीन के इस भूकम्प के पीड़ितों की संख्या को अलग रखते हुए भूभौतकीय आपदाओं के पीड़ितों की संख्या 2014 में दशक के संशोधित औसत (2.75 मिलियन) के नजदीक थी। चीन के एक भूकम्प के पीड़ितों की संख्या (1.1 मिलियन) थी वहीं देश के अन्य सात भूकम्प से पीड़ितां की संख्या (1.3 मिलियन) थी। भूभौतकीय आपदाओं के पीड़ितों में चीन के पीड़ितों का प्रतिशत 92 है। 2014 में हाइड्रोलॉजिकल आपदाओं के पीड़ितों की संख्या (37.1 मिलियन) दशक के वार्षिक औसत से 56.9 प्रतिशत कम रहीं।

वर्ष 2014 में चीन में सबसे बड़ी बाढ़ आई जिसमें (15 मिलियन) पीड़ित थे। 6 अन्य बाढ़ से 1 से 5.5 मिलियन पीड़ित हुए परन्तु यह आंकड़े दशक के प्रारम्भिक वर्षों के 10 मिलियन के आंकड़े से बहुत दूर रहे। वर्ष 2014 में मौसमी आपदा से पीड़ितों की संख्या (26.3 मिलियन) 2004–2013 के औसत से 35 प्रतिशत कम थी और 2014 में एशिया के 92 प्रतिशत मौसमी आपदा पीड़ितों के जिम्मेदार ऊष्णकटिबंधीय चक्रवात थे। 2014 के तूफान रामासान सर्वाधिक गंभीर मौसमी आपदा के रूप में था जिससे चीन के 10 मिलियन और फिलीपीन्स में 4.7 मिलियन पीड़ित हुए। इसको मानवीय प्रभाव की तुलना में फिलीपीन्स के ह्ययान चक्रवात (16 मिलियन) और 2013 में भारत के फैलीन (13 मिलियन) पीड़ित से की जा सकती है लेकिन 2006 में चीन के तूफान बिल के (30 मिलियन) प्रभावितों की संख्या से तुलना नहीं हो सकती। एशिया में 17 आपदाओं (7 बाढ़, 5 तूफान, 3 सूखे, 1 भूकम्प और 1 शीतलहर) प्रत्येक के पीड़ितों की संख्या 1 मिलियन से अधिक थी। कुल 87.1 मिलियन या जो सभी एशियाई पीड़ितों की संख्या का 89 प्रतिशत था। सभी 66 प्रतिशत पीड़ितों को 66 प्रतिशत चीन में, 13.6 प्रतिशत फिलीपीन्स में और 5.8 प्रतिशत भारत में रहती थी। 2014 में एशिया में आपदा से होने वाला हानि (64.1 बिलियन डालर) 2004–2013 के औसत (75.3 बिलियन डालर) से कम थी, लेकिन इन आंकड़ों से विभिन्न घटकों का पता नहीं चलता है।

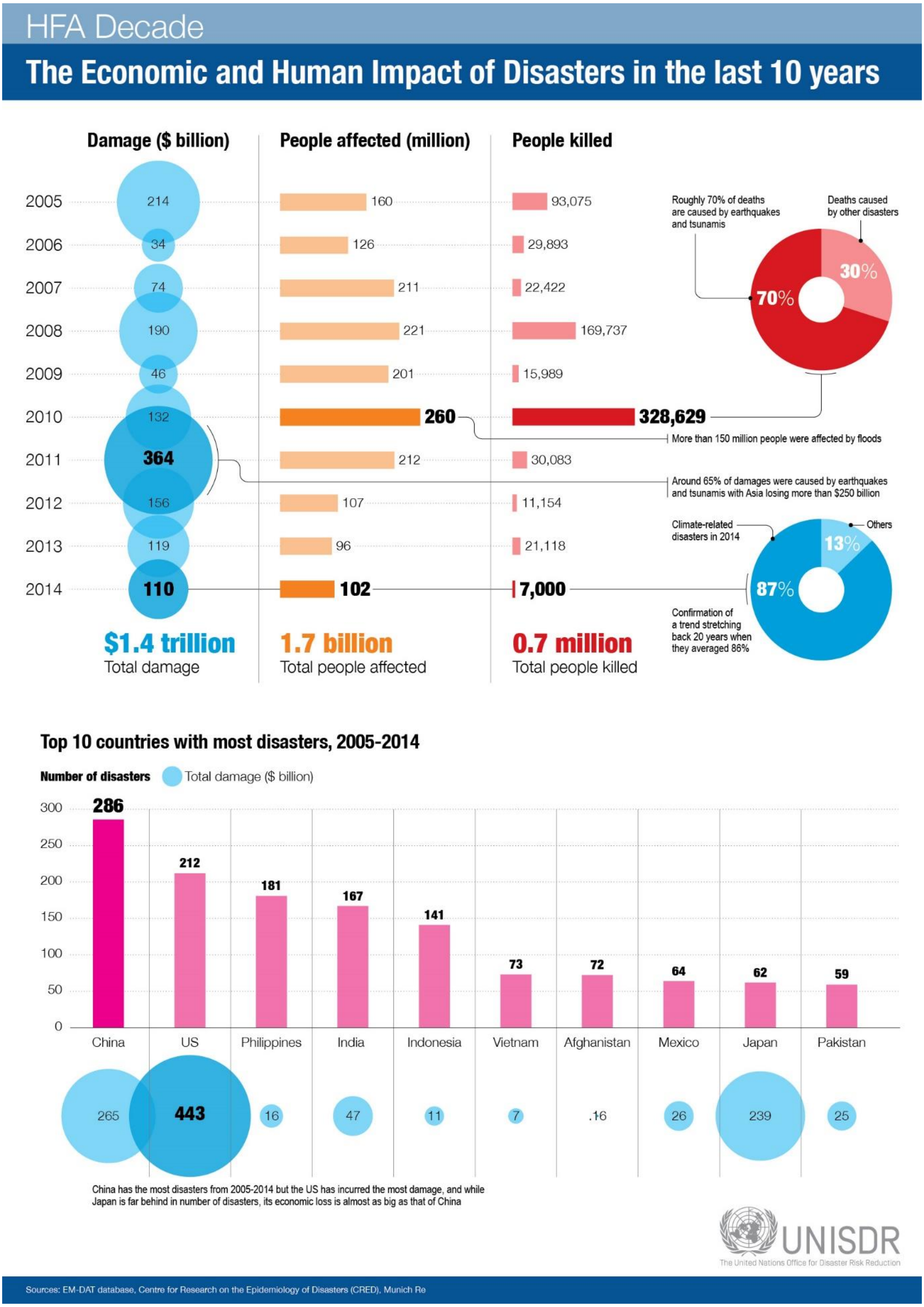
HFA Decade
The Economic and Human Impact of Disasters in the last 10 years
Damage ($ billion)
People affected (million)
People killed
2005 214 160 93,075
2006 34 126 29,893
2007 74 211 22,422
2008 190 221 169,737
2009 46 201 15,989
2010 132 260 328,629
2011 364 212 30,083
2012 156 107 11,154
2013 119 96 21,118
2014 110 102 7,000
Roughly 70% of deaths are caused by earthquakes and tsunamis
Deaths caused by other disasters
70%
30%
More than 150 million people were affected by floods
Around 65% of damages were caused by earthquakes and tsunamis with Asia losing more than $250 billion
Climate-related disasters in 2014
Others
13%
87%
Confirmation of a trend stretching back 20 years when they averaged 86%
$1.4 trillion
Total damage
1.7 billion
Total people affected
0.7 million
Total people killed
Top 10 countries with most disasters, 2005-2014
Number of disasters
Total damage ($ billion)
300
250
200
150
100
50
0
China 286 265
US 212 443
Philippines 181 16
India 167 47
Indonesia 141 11
Vietnam 73 7
Afghanistan 72 .16
Mexico 64 26
Japan 62 239
Pakistan 59 25
China has the most disasters from 2005-2014 but the US has incurred the most damage, and while Japan is far behind in number of disasters, its economic loss is almost as big as that of China
UNISDR
The United Nations Office for Disaster Risk Reduction
Sources: EM-DAT database, Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), Munich Re

पंचायती राज संस्था के सदस्यों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण की जानकारी एवं कौशल क्यों महत्वपूर्ण है?

आपदा जोखिम न्यूनीकरण एक गवर्नेन्स का विषय है जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं जटिल है परन्तु संस्थागत दृष्टिकोण से यह विषय उपयुक्त तरीके से नहीं लिया गया है विशेषकर सामुदाकि स्तर पर आपदा से निपटने के लिए आवश्यक उपकरणों को चिन्हित करने के संदर्भ में, इस दृष्टिकोण से, पंचायती राज संस्था जो कि सबसे निचले स्तर पर संवैधानिक रूप से गवर्नेन्स की आधारभूत इकाई है, स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। पंचायतें अपने क्षेत्र में आपातकालीन परिस्थितियों से उपयुक्त तरीके से निपटने के लिए प्रभावशाली संस्थागत व्यवस्था बन सकती है। समुदाय में भागीदारी एवं स्थानिकता तथा निकटता होने के कारण पंचायतें आपदा से निपटने/प्रबंधन के लिए प्रभावी प्रयास कर सकते हैं।

अतः पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य स्थानीय स्तर पर आपदा जोखिम को चिन्हित करने में सार्थक भूमिका निर्वाह कर सकते हैं। वे वर्तमान विकासपरक अनुभव व कार्यक्रमों से आपदा नियंत्रण के उपायों को जोड़ते हुए उनकी बात कर सकते हैं और स्थानीय रूप से उपलब्ध क्षमताओं क्षमताओं को शामिल करते हुए आपदा जोखिम को कम कर सकते हैं तथा गैर जोखिम के अनुरूप निवेश सुनिश्चित कर सकते हैं।

सत्र – 3

जलवायु परिर्वतन के प्रभाव अनुकूलन के उपाय

सत्र के उद्देश्य
सत्र के अंत में प्रतिभागी बता सकेंगे
- – जलवायु परिवर्तन के आधार
- – वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव
- – भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव
- – जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के अर्थ

मूल अवधारणाएं

जलवायु परिवर्तन पहले से हा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र इससे विशेष रूप से प्रभावित होंगे क्योंकि यह जल स्रोतों, कृषि, जैविक विविधताओं, परिस्थितिकी तंत्र जैसे बन, समुद्री तट के साथ मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है।

- तापमान में वृद्वि परन्तु परिमाण में परिवर्तन न होने का प्रचलन स्पष्ट है। जलवायु के कारक जो तीव्रता बता पाना मुश्किल है, इसका अर्थ है कि जलवायु अनुकूलन के बारे में निर्णय अनिश्चय से भरे होंगे।
- भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 700 मिलियन लोग आजीविका के लिए जलवायु संवेदन क्षेत्रों पर निर्भर हैं और अधिकतम जोखिम पर है।

विषय की रूपरेखा
यह सत्र प्रतिभागियों को प्रथमतः जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन की एक समरू विकसित करेगा एवं यह दर्शाएगा कि इसको विभिन्न सैद्वान्तिक बिन्दुओं से कैसे जोड़जा सकता है। प्रतिभागियों को अनुकूलन के लिए अन्य क्षेत्रों के बिन्दुओं को समझने में सहयोग करेगा और विभिन्न क्षेत्रों के परस्पर व्यापक सामधानों के विकास को गति भी देगा।

सत्र की कुल अवधि : एक घंटा 30 मिनट (14.00–15.30 बजे)

विस्तृत सत्र योजना

विषय 1 जलवायु परिवर्तन के मूल तत्व

प्रशिक्षक मार्गदर्शिका

सत्र के लिए आवश्यक सामग्री, व्हाइट बोर्ड, प्रोजेक्टर, मार्कर एवं चार्ट रंगीन पेपर प्रशिक्षक ब्रेन स्टार्मिंग करते हुए प्रतिभागियों से प्रश्न कर सकते हैं एवं चर्चा कर सकते हैं कि वे जलवायु परिर्वन से क्या समझते हैं। जलवायु परिवर्तन व मौसम अपने जीवन पर इनके प्रभावों को कैसे जोड़ सकते हैं।

मौसम एवं जलवायु, मौसम एक समय एवं स्थान पर जलवायु की वास्तविक परिस्थितियां हैं जबकि जलवायु एक लम्बे समय तक मौसम का औसत है।

कुल प्रतिभागियों से प्रतिक्रिया लेकर प्रशिक्षक पी.पी.टी. दिखाकर अवधारणाओं को समझा सकते हैं।

जलवायु परिवर्तन

इण्टर गवर्मेन्टल पैनल ऑन क्लाइमेट चेन्ज (IGPCC) के अनुसार जलवायु परिवर्तन, ''जलवायु के स्तर में वह परिवर्तन, जिसको (सांख्यिकीय टेस्ट का प्रयोग करते हुए) मीन और/या इसके घटकों के बदलावों में परिवर्तन, जो कि लम्बे अन्तराल या दशकों तक बने रहते हैं, के माध्यम से चिन्हित किया जा सकता हो। जलवायु में परिवर्तन – प्राकृतिक अन्दरूनी प्रक्रियाओं के कारण या बाहरी दबावों अथवा लगातार मानवोद्वाविक कारणों से वातावरण के घटकों के अनुपात अथवा भूमि के प्रयोग में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।''

द यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेशन ऑन क्लाइमेट चेन्ज (UNFCCC) के अनुसार जलवायु परिवर्तन,'' जलवायु में वह परिवर्तन जो कि तुलनीय समय अन्तराल पर अध्ययन होने वाले, प्राकृतिक जलवायु बदलाव के अतिरिक्त मनुष्य की गतिविधियों के कारण परोक्ष या अपरोक्ष रूप से वैश्विक वातावरण के प्राकृतिक स्वरूप को परिवर्तित कर देता है।''

जलवायु अस्थिरता/परिवर्तनशीलता

जलवायु परिवर्तनशीलता को अकेल मौसम की घटनाओं से परे जलवायु की मीन स्थिति एवं अन्य लौकिक व स्थानिक मानकों में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है। जलवायु परिवर्तनशीलता, शब्द बहुधा लंबी अवधि के मौसम की तुलना करते समय एक समय के अंतराल महीना, मौसम या वर्ष में उसी कैलेण्डर अवधि के जलवायु आंकड़ों में विचलन को इंगित करता है। जलवायु परिवर्तनशीलता को इन्हीं विचलनों से मापा जाता है, जिनको विसंगति भी कहा जाता है। परिवर्तनशीलता जलवायु प्रणाली की आंतरिक प्रक्रियाओं के कारण, इंटर्नल वेरिएबिलिटी या प्राकृतिक या अंत्रोपोजेनिक विचलनों, एक्सटर्नल बेरिएबल की वजह से हो सकती है।

जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु अस्थिरता/परिवर्तनशीलता में अंतर

यूनीसेफ यह अंतर बताता है कि जलवायु परिवर्तन, मानवी कार्यकलापों के कारण वातावरण के घटकों की संरचना को बदल देते हैं जबकि जलवायु परिवर्तनशीलता, प्राकृतिक कारण से होते हैं।

संक्षेप में जलवायु परिवर्तन छोटी समयावधि जैसे महना, मौसम, वर्ष में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है जबकि जलवायु परिवर्तशीलता लंबी समयावधि दशक या अधिक में आने ववाले परिवर्तनों को अध्ययन करता है।

जलवायु परिवर्तन एवं परिवर्तनशीलता में विसंगत परिस्थितियों के बने रहने का मुख्य अंतर है। जब वह घटनाएं कभी कभी होती हों वे अक्सर होने वाले और इसके विपरीत जो अक्सर होती हों वे कभी कभी होने लगें। सांख्यकीय भाषा में कहा जाये तो मौसम विशेष की संभावित घटनाओं को दर्शाने वाला आवृत्ति वितरण का चक्र परिवर्तित हो जाता है, यह चक्र या तो आयाम, नय मध्यमान को तय करके अथवा दोनों में परिवर्तन करके संशोधित किया जा सकता है।

परिवर्तन एवं परितर्वनशीलता के अन्तर के प्रति सतर्क रहना महत्वपूर्ण है। विश्व के कुछ प्रान्तों में अन्य प्रान्तों की तुलना में अधिक परिवर्तनशीलता होती है। किसी प्रान्त में एक निश्चित अवधि में या वर्ष के किसी भाग में परिवर्तनशीलता बहुत कम होती है। उस समय अन्तराल में परिस्थितियों में बहुत अंतर नहीं आता। अन्य भागों व अन्य अवधि में परिस्थितियों में काफी परिवर्तन आ जाता है जैसे बहुत ठण्डे से बहुत गर्म, बहुत वर्षा से सूखा आदि महत्वपूर्ण परिवर्तन है।

कभी कभी ऐसी घटना होती है जो पहले कभी हुई न हो अथवा दर्ज न की गई हो, जैसे कि 2005 में अटलांटिक में हेरिकेन का अपवाद स्वरूप मौसम, यह प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता का हिस्सा हो सकता है। यदि ऐसा पुनः अगले 30 वर्षों तक नहीं होता है तो इसको अपवाद माना जाएगा लेकिन परिवर्तन का सूचक नहीं माना जाएगा। केवल अप्रत्याशित घटनाओं की लागातार श्रृंगला को प्रान्तीय जलवायु मानकों के सदंर्भ में संभावित जलवायु परिवर्तन का सूचक माना जा सकता है।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सम्पूर्ण विश्व में अनुभव किया जा रहा है। यह अधिक गर्म हो रहा है। बारिश अनयिमित हो रही है, समुद्र की सतह ऊपर उठ रही है। मौसम की गहनता चरम सीमा पर पहुंचने की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। लम्बी अवधि के सूखे, बाढ़ एवं जलवायु जोन का स्थानान्तरित होना विकास की सफलताओं को खतरनाक बना रहा है। अधिकांशतः जलवायु परिवर्तन एवं परिवर्तनशीलता से गरीब और हाशिए पर रह रहे लोग सर्वाधिक प्रभावित होते है। भारत भौगोलिक क्षेत्रों, जैविक विविधताओं एवं प्राकृतिक संसाधनों के साथ विश्व की उभरती हुई आर्थिक शक्ति है, परन्तु यह देश, जलवायु परिवर्तन के जोखिमों के प्रति दुनिया के सर्वाधिक संवेदनशील देशों में एक है। भारत में आधी से अधिक एक बिलियन से ज्यादा जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और आजीविका के लिए कृषि, मछली पकड़ने, वानिकी जैसे जोखिमपूर्ण कार्यो पर आश्रित हैं, तेजी से होता हुआ शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, आर्थिक विकास के कारण प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण पर काफी दबाव है, जलवायु परिवर्तन इन दबावों को और भी खराब बना रहा है।

विषय 2 वैश्विक जलवायु परिवर्तन का प्रभाव (15 मिनट)

मानवी कार्यकलापों के रूप में औद्योगिक क्रान्ति के समय से वातावरण में ग्रीन हाउस गैस का घनत्व में वृद्वि हो रही है, 20 शताब्दी के दौरान पृथ्वी के मीन तापमान में 0.74सेंटीग्रेड की वृद्वि हुई जो कि 21 शताब्दी के अंत में 1.1 सेंटीग्रेड वृद्वि के साथ बढ़कर 6.4 सेंटीग्रेड होने का अनुमान है,

विश्व में समुद्रीय स्तर के मीन के भी 2100 तक बढ़ने की संभावना है जबकि इसकी निश्चित सीमा पर 18 सेंमी. से 140 सेमी. के अनुमान के साथ अभी भी बहस चह रही है। आई.पी.सी.सी. 2007 विश्व के तापमान में वृद्वि से जलवायु के अन्य घटक भी प्रभवित होगें। इस तेजी में वृद्वि से अनुमान है परन्तु यह वृद्वि विभिन्न प्रान्तों में असमतल हो सकती है। उच्च अक्षांश एवं भूमध्यरखीय प्रान्त अधिक तेजी का सामना करेगें। मध्य अक्षांश के प्रान्त विभिन्न परिवर्तनों का सामना करेंगें। अनुमानित रनेज में परिवर्तनों की आशा के साथ अनुमानित तेजी के पैटर्न निश्चित नहीं है। बहुत सारे कटिबंधीय क्षेत्रों के सूख जाने की संभावना है। कुछ क्षेत्र जैसे सेहेल में तो परिवर्तनों की दिश भी स्पष्ट नहीं है।

जलवायु परिवर्तन तापमान में परिवर्तन समुद्र स्तर में उठान एवं तीव्रता के साथ मौसमों की परिवर्तनशीलता व चरम सीमाओं को भी बेहद परिवर्तित करेगा। बाढ़, सूखा, गर्मी की लहर, तूफान की गहनता एवं पुनरावृत्ति बढ़ने की आशा है। जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पक्षों में अनिश्चितताओं के स्तर में भी अंतर है। जैसे तीव्रता की तुलना में तापमान के लिए अधिक सटीक पूर्वानुमान उपलब्ध है।

ऊपर वर्णित जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभाव अनेक सेक्टर्स व संसाधनों जिनमें कृषि, जल की उपलब्धता व गुणवत्ता, परिस्थिति की समुद्री तट भी शामिल हैं सभी पर होगा। प्राकृति आपदाओं की आवृत्ति व व्यापकता भी इससे प्रभावित होगें। तापमान में बहुत छोटे परिवर्तन भी उन व्यवस्थाओं को अत्यधिक प्रभावित करेंगें। जिन पर मनुषयों की आजीविका निर्भर है, इनमें जल की उपलब्धता, फसलों की उत्पादकता, समुद्री स्तर`क उठ जाने से भूमि ह्रास व बीमारियों का फैलना भी शामिल हैं। बहुत सारे समुदायों का जीवन व आजीविका जोखिम पर होगी, ग्रामीण क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशीलता है क्यों कि लोग ज्यादातर प्राकृतिक संसाधनों जैसे स्थानीय जल आपूर्ति व कृषि, भूमि आदि वास्तव में विकासशील देशों की 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जहां कृषि ही आजीविका का प्रमुख स्रोत है, (आई.पी.सी.सी. 2007)

विषय 3 भारत में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव 15 मिनट

अपनी आजीविका व जीवन के लिए 700 मिलियन भारतीय ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और जलवायु संवेदित कार्यों कृषि, मछली पकड़ने तथा प्राकृतिक स्रोतों जैसे जल, वन, तटीय क्षेत्र और घास के मैदान पर निर्भर हैं इसके आलावा शुष्क भूमि कृषकों, जंगल में रहने वाले, मछुआरों और घुमंतू गड़रियों की अनुकूलन क्षमता बहुत कम है। भारत में जलवायु परिवर्तन सभी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के साथ ही सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं को भी प्रभावित करेगा। इसके अतिरिक्त गरीबी एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जो भारत में ग्रामीण जनसंख्या की अनुकूलन क्षमताओं को सीमित करता है। जी.ओ.आई. 2007

द इंडियन गवर्नमेंट नेशनल कम्यूनिकेशन (NATCOM), रिपोर्ट, 2004 अभी से 2100 तक जलवायु परिवर्तन के सर्वाधिक संभावित प्रभाव को निम्नानुसार चिन्हित करती हैः

- घटा हुआ हिमआच्छादन, बर्फानी एवं हिमनदी की प्रणाली गंगा एवं ब्रह्मपुत्र को प्रभावित करेगी। गंगा में ग्रीष्म बहाव को 70 प्रतिशत पिघलते पानी से आता है।
- अनियमितता मानसून भारत में बारिश पर आधारित कृषि नदियों, जल एवं विद्युत आपूर्तियों को प्रभावित करेगा।
- गेहूं का उत्पादन तापमान में 1 सेल्यिस के बढ़ने से ही 4.5 मिलियन टन कम हो जाएगा।

आई.एन.सी.ए.ए. इंडियन नेटवर्क ऑफ क्लाइमेट चेन्ज आंकलन (आंकलन रिपोर्ट 2010, 4 x 4 रिपोर्ट) फॉर क्लाइमेट चेंज इम्पेक्ट ऑन इडिया की खोज

1. **जलवायु परितर्वन के पूर्वानुमान**
    - 2030 के जलवायु परिवर्तन के परिदृश्य अध्ययन केन्द्र के सभी क्षेत्रों में तापमान वृद्वि 1970 के सापेक्ष 2030 में वार्षिक तापमान वृद्वि 1.7सें. से अधिकतम तापमान में 1.40 से. कोस्टल क्षेत्रों में सर्वाधिक वृद्वि के संकेत देता है 1970 के सापेक्ष उच्चतम एवं न्यूनतम तापमान बढ़ने के पूर्वानुमान है।

- 1970 की तुलना में सभी क्षेत्रों में तीव्रता की भी वृद्धि के पूर्वानुमान हैं हिमालय क्षेत्र में सबसे अधिक एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सबसे कम वृद्धि संभावित है।

2. समुद्री स्तर का उठना व चरम घटनाएं

भारतीय कोस्ट 1.3 एम.एम., वार्षिक की दर से बढ़ रहा है और संभावित है कि भविष्य में वैश्विक समुद्री स्तर के साथ यह बढ़ने के संकेत हे। कि चक्रवातों की तीव्रता बढ़ने के साथ चक्रवातों की पुनरावृत्ति में कमी आए।

3. कृषि

- तापमान बढ़ने के कारण, सिंचित धन क्षेत्रों की उत्पादकता कुछ बढ़ेगी क्योंकि वर्षा आधारित फसल की तुलना में सिंचित क्षेत्र को सीओ2 खाद से ज्यादा फायदा मिलता है। मक्काव चारे की फसल में सभी क्षेत्रों में कमी आएगी। पश्चिमी कोस्ट में नारियल के उत्पादन में सुधार एवं पूर्वी कोस्ट में कमी के पूर्वानुमान है। हिमालय क्षेत्र में सेव उत्पादन कम होने के संकेत है जो कि भविष्य में भी कम होगा।
- समुद्री मछलियों की कुछ प्रजातियों में वृद्धि होगी क्योंकि ऊष्णता फसल के अनुकूल है जैसे सराडिन, कुछ प्रजातियों जैसे इंडियन मकेरल जो उत्तरी अक्षांश की तरफ ऊपर को जाकर अपनी उत्पादकता को बानाएं रखेगी। थ्रेडफिन जैसे प्रजातियां अपने प्रजनन को तापमान के अनुकूल बदल सकती है। सभी क्षेत्रों में थर्मल आद्रता इंडेक्स बढ़ जाएगा। विशेषकर मई व जून माह में जो कि पशुधन को तनाव देगा और दूध का उत्पादन कम हो के पूर्वानुमान है।

4. जल

- जल उत्पत्ति जो कि तीव्रता कुल सतह प्रवाह, वाष्पीकरण और मिट्टी के घटकों की प्रक्रिया है, के 2030 में हिमालय क्षेत्र में 5.20 प्रतिशत बढ़ने के पूर्वानुमान है जबकि उत्तर पूर्वी, पश्चिमी घाट व कोस्टल क्षेत्र में यह परिवर्तनशील रह सकता है।
- 2030 में अन्य क्षेत्रों की तुलना में, हिमालय क्षेत्र में गंभीर सूखे के पूर्वानुमान है, सभी क्षेत्रों बाढ़ का सामना करेगें जो कि वर्तमान की अपेक्षा में 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत अधिक परिमाण की होगी।

5. जंगल

- वनस्पति ग्रिड में 8 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 56 प्रतिशत और 30 प्रतिशत परिवर्तन और पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हिमालय क्षेत्र व कोस्टल क्षेत्रों में 23 प्रतिशत, 57 प्रतिशत व 31 प्रतिशत कुल उत्पादकता, वृद्धि के पूर्वानुमान हैं।

6. मानव स्वास्थ्य मलेरिया

हिमालय के क्षेत्र जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में मलेरिया के पूर्वानुमान हैं, उत्तर पूर्वी इलाकों में लम्बे समय तक इसके संक्रमण के अवसर हैं, पश्चिमी घाट के इलाकों में 1970 की तुलना में 2030 ज्यादा परिवर्तन नहीं दिखते, तटवर्ती क्षेत्र, विशेषकर पूर्वी तट में मलेरिया के संक्रमण अवधि के महीनों में स्पष्ट कमी के संकेत हैं।

विषय –4 जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के अर्थ (15 मिनट)

अनुकूलन की आवश्यकता, समुदायों, प्रान्तों, देशों व समाजों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए तैयार करने में हैं।

प्रशिक्षक मार्गदर्शिका

प्रशिक्षक प्रतिभागियों की ब्रेन स्ट्रार्मिंग के लिए प्रश्न कर सकते हैं कि अपनी भाष में वे अनुकूलन को क्या समझते हैं? अनुकूलन से हम क्या समझते हैं, मनुष्य एवं प्राकृतिक प्रणालियों में, वास्तविक या संभावित जलवायु उद्दीपन, या ओना के प्रभाव की प्रतिक्रिया स्वरूप सामंजस्य जो उनसे हानियों को कम करते हैं अथवा उनसे लाभ लें सकते हैं। आई.पी.सी.सी.ी 2007

व्यवहारिकता में जलवायु अनुकूलन से तात्पर्य कार्यों को परिवर्तन के कारण अलग तरह से करना है, यू.एन. डी.पी. 2004, अधिकांशतः, इसका अर्थ पूर्णतया नयी चीजें करना न होकर विकास कार्यों में उद्देश्य पूर्ण संशोधन लाना है। अनुकूलन स्वयं में विकास का उद्देश्य न होकर अनिवार्यता लाभप्रद परिणामों की सुरक्षा करना है। अनुकूलन के उपयों की तुलना, कुछ न करना और हानि उठाना व अवसरों का उपयोग न करने के आधार से की जा सकती है। हानि सहन करना विशेषकर तब होता है जब प्रभावित लोगों में और किसी की प्रतिक्रिया की सामर्थ्य न हो, जैसे बेहद गरीब समुदाय अथवा जब अनुकूलन उपयों की कीमत संभावित क्षतियों की तुलना में अधिक हो।

प्रशिक्षक मार्गदर्शिका

प्रशिक्षक अनुकूलन क्षमता के विभिन्न उदाहरणों जैसे विपरीत परिस्थिति में वनीकरण, मृदा संरक्षण, बीज संरक्षण, वैकल्पिक आजीविका के उपाय की चर्चा से बहस को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

अनुकूलन सामर्थ्य

किसी व्यवस्था की जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तनशीलता व चरम को शामिल करते हुए, संभावित मध्यम क्षमियों, अवसरों का लाभ लेने, अथवा प्रभावों को सहने की योग्यता

एक निश्चित सीमा तक अनुकूलन प्रत्येक दिन घटित होता है जब हम अपने आस पास के परिवर्तनों से सामंजस्य करते हैं, इसको स्वायत्त अनुकूलन कहते हैं जो भी हो अलग अलग क्षेत्रों के अवसरों का लाभ लेने के लिए यह आवश्यक है कि क्षमताओं को निर्धारित स्तर तक विकसित किया जाए और नीतियों को समायोजित किया जाए, अनुकूलन और विकास के सतत् कार्यों में विकास पर फोकस से प्रभाव पर फोकस की रेंज में निम्न कार्य शामिल हैं :

1. वे कार्य जिनसे मानव का विकास होता हो और संवेदनशीलता बढ़ने वाले बिन्दुओं को संबोधित किया जाता हो, जैसे आजीविका स्रोतों का विविधीकरण
2. जो कार्य प्रभावित सेक्टर्स में जोखिम को कम करते हों जैसे वानिकी एवं अन्य प्राकृतिक स्रोतों का बेहतर प्रबंध।
3. वे कार्य जिनका उद्देश्य प्रशिक्षण, जलवायु संबंधी सूचनाओं का नीतिपरक प्रयोग एवं योजनाओं में इनका समावेश जैसे जल की गुणवत्ता को निरीक्षण करना, या आपदा जोखिम प्रबंधन
4. ठोस प्रभावों के द्वारा जलवायु परिवर्तन को मुकाबला करना जैसे ब्लीचिंग की प्रतिक्रिया में कोरल रीफ का प्रबंधन

विषय – 5 जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता (15 मिनट)

एक समाज या देश जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति कितना संवेदनशील है यह केवल जलवायु उद्दीयपन या उनके परिमाण पर ही नहीं अपितु प्रभावित व्यवस्थाओं की संवेदनशीलता और सहने व अनुकूलन की क्षमताओं पर भी निर्भर करता है। संवेदनशीलता और जलवायु दबाव सामान्यतः ज्यादा होते है। जब प्राकृतिक स्रोतां व परिस्थितियों पर निर्भर होती हैं जैसे कृषि व कोस्ट ल क्षेत्र, अनुकूलन क्षमता, जलवायु के दबाव को सहने व उससे समायोजित करने की योग्यता कई कारकों पर निर्भर होती है जैसे स्वास्थ्य, प्रोद्योगिकी, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच।

प्रशिक्षक मार्गदर्शिका

संवेदनशीलता वह स्तर है जिस पर जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभाव जिनमें जलवायु परिवर्तनशीलता व चरम भी शामिल है के सापेक्ष एक व्यवस्था की कमजोरी है, उसे सहने के योग्यता का नहीं होना है, आई. पी.सी.सी. 2007। संवेदनशीलता जलवायु परितर्वनों की विशेषताओं परिमाण, जलवायु परिवर्तन की दर व समाज का एक्सपोजर के स्तर के साथ ही उसकी अनुकूलन योग्यता की प्रतिक्रिया है। यह जलवायु परिवर्तनों के परिमाण बढ़ने के साथ बढ़ती है और अनुकूलन क्षमता के बढ़ने के साथ कम होती है। ओ.ई. सी.डी. 2009

संवेदनशीलता का निम्न फ्रेमवर्क संवेदनशीलता को जलवायु परिवर्तनों के प्रभाव से समाज के संसर्ग, अनुकूलन योग्यता के स्तर की प्रतिक्रिया के रूप में वर्णित करता है।

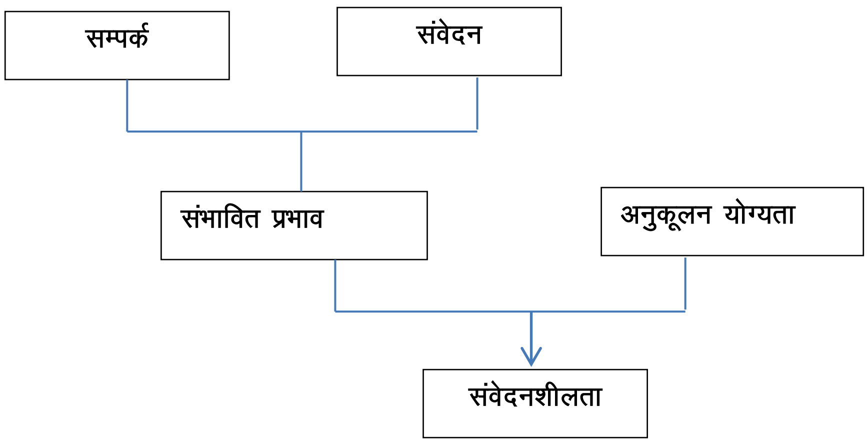

किसी समाज, समुदाय की संवेदनशीलता निम्न पर निर्भर करती है

- जिसके प्रति एक्सपोजर है उस जलवायु परिवर्तन का प्रकार एवं परिमाण एक्सपोजर
- यह इस परिवर्तन से कितना प्रभावित, संवेदित है
- किस सीमा तक वह व्यवस्था समायोजन व अनुकूलन के योग्य है, अनुकूलन क्षमता

यद्यपित संवेदनशीलता के आधार पर वर्णित किया जाना चाहिए फिर भी सामन्यतः कहा जाता है कि गरीब समुदाय जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील है क्योंकि संसाधनों के सुरक्षित घरों, उपयुक्त संसाधन, बीमा, टेक्नालॉजी व सूचनाओं तक उनकी पहुंच सीमित होती है।

विषय – 6 अनुकूलन को विकास से जोड़ना

प्रशिक्षक मार्गदर्शिका

- जलवायु परिवर्तन लोगों की आजीविका को प्रभावित करता है जिसके कारण इसको प्रमुख विकास क्षेत्रों में अंगीकृत करने की आवश्यकता है। अनुकूलन एवं विकास में प्रत्यक्ष संबंध है
- अधिकतम प्रभाव के लिए इसको प्रमुख विकास क्षेत्रों की योजनाओं व निर्णयों में समाहित किया जाना चाहिए।

व्यवहारिक अनूकूलन प्रक्रिया में निम्न शामिल हैः
जलवायु संबंधित सूचनाओं का उपयोग, कोस्ट बेनीफिट विश्लेषण, जलवायु जोखिम प्रबंधन को विस्तार देना, सभी हितधारकों के मध्य समन्वय एवं संप्रेषण सुधारना एवं बेहतर अभ्यास व इनोवेशन का उपयोग करना।

विकासशील देश बहुधा, मौसम का उच्च एक्सपोजर, जलवायु परिवर्तनशीलता व चरम सीमाओं के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इसके अलावा उनकी आजीविका ज्यादात्तर जलवायु संवेदन स्रोतों पर आधारित होती है जबकि उनकी अनुकूलन क्षमता अपेक्षाकृत निम्न होती है। गरीब लोग ही अधिकतर प्रभावित होते हैं। जलवायु परितर्वन विकास के मुख्य क्षेत्र जैसे – कृषि, जल, मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते है और परिणाम स्वरूप यह विकास लक्ष्यों, उपयों, परियोजनाओं नीतियों, योजनाओं को अनेक स्तरों पर प्रभावित करता है। आज विकास के चयन लोगों की अनुकूलन क्षमता को प्रभावित करते हैं। सरकारों के लिए अच्छे अवसर भी मिलेगें परन्तु आज जलवायु परिवर्तन के विचारों को विकास कार्यों व निर्णयों में समाहित करने की तीव्र आवश्यकता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए अनुकूलन विकास के आधारभूत उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक सिद्व होगें। वास्तविक रूप में योजना बनाते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान रखना उपयोगी होगा।

- अनुकूलन प्रभाव, संवेदनशील और अनुकूल विकल्पों संबंधी सर्वोत्तम उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित हो, संभावित व अनुभव किये गये परिवर्तनों के बारे में अभूतपूर्व ज्ञान/जानकारी उपलब्ध कराना फिर भी अनिश्चितता बनी रहती है। आंकड़ों की उपलब्धता में सुधार उनको प्रयोगकर्ता के लिए सुगम बनाना और भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर कार्यवाहियों का चयन करना। केन्द्रीय प्रयास तभी हो सकते हैं जब प्रभाव की स्पष्ट सूचना उपलब्ध हो, ऐसा न होने पर सतर्कता के सिद्वान्त – बढे संभावित क्षेत्रों में भवनों का निर्माण न करना, आजीविका स्रोतों का विविधीकरण करने को अपनाना चाहिए। साथ ही नो रिग्रेट विकल्प पर भी ध्यान देना चाहिए जैसे मृदा क्षरण को रोकना।
- दूष्प्रभावों को रोकने के उपायों पर निवेश व बचत की आर्थिक तुलना में अध्ययन बेहतर विकल्पों के चयन व अनुकूलन को प्रोत्साहित करेंगें। अनुकूलन की आर्थिक विवेचन व जानकारी सीमित है लेकिन हाल में किएक शोध यह तरीके आंकड़े प्रदान करते हैं जिनको प्राथमिकता तय करने में प्रयोग किया जा सकता है। (विश्व बैंक 2010)
- जोखिम प्रबंधन, अनुकूलन का मुख्य अंग है, जलवायु परिवर्तन की वर्तमान तरीका को और अधिक दृढ़ किये जाने की आवश्यकता है। यह तरीका जोखिम न्यूनीकरण से लेकर जोखिम बांटने की रेंज में हो सकते । जैसे की आपदा प्रबंधन या जल स्रोतों के प्रबंधन, जलवायु पूर्वानुमान का ध्यान में रखना तथा नया तौर तरीकों को अपनाया जाना चाहिए।
- अनुकूलन के गवर्नेंस में जटिल प्रक्रियाओं की आवश्यकता हो सकती है। नये हितधारकों को जोड़ना होगा क्योंकि जलवायु परिवर्तन मुद्दों पर ऐसे व्यक्तियों द्वारा कार्यवाहियों की आवश्यकता होगी जिन्होनं इसे अपने पुरान निर्णयों में शामिल ही नहीं किया होगा।
- विभिन्न हितधारकों के मध्य संवाद को बेहतर बनाने, विभिन्न क्षेत्रों में नीतियों के प्रभावी संयोजन एवं प्रबंधन को अनिवार्यता, सुधारना होगा, इस प्रकार के जटिल व गतिवान वातावरण में क्षमता विकास की मुख्य भूमिका है।
- बहुधा अनुकूलन पूर्णतया नया कार्य करना नहीं है। सभी सेक्टर्स में अनुभव के साथ विशेष, तकनीकों, प्रबंधन नीतियों की प्रचुर जानकारी विद्यमान है जो जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं कृषि प्रणाली, आजीविका स्रोतों को मजबूत करना, अनुकूलन को महत्वपूर्ण योगदान है। इस क्षेत्र में सिंचाई, वाटर शेड प्रबंधन कई क्षेत्रों की अनुकूलन क्षमता को बहुत विकसित कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन जोखिम के मुख्य बिन्दुओं की समझ विकसित करना, ऐवसी तकनीकों में सुधार लक्षित अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानान्तरित किया जा

सकता है। उन्नत जानकारी व तकनीकों को जैसे फसल की नई विधि जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन को प्रोत्साहित व विस्तृत करने में काम आ सकती है।

विषय – 7 विकास योजनाओं में अनुकूलन का समावेश (15 मिनट)

विकास योजनाओं में अनुकूलन का समावेश करने के लिए नीति बनाने की आवश्यकता है जिससे कार्यवाहियों के उपयुक्त स्तर को चिन्हित करने, राष्ट्रीय स्तर से परियोजना स्तर, व प्रारंभिक बिन्दु का चयन करने, नीतिगत, परियोजना चक्र मार्ग दर्शन मिलेगा, विश्लेषण के निहित स्तर के आधार पर यह तय करेगा कि प्राथमिकताएं एवं सामान्यतः दिशा निर्देशों को बेहतर बनाने के लिए एक नीति में क्लाइमेट लेन्स, स्ट्रेटजी नियमन योजना या कार्यक्रम किस तरह शामिल किया जाए।

इसके अतिरिक्त अलग अलग सेटिंग में अनुकूलन उपायों को विकसित करने में जिन चार बिन्दुओं पर इस नीति दिशा निर्देश पर सहमति होनी चाहिए वे निम्न हैं :

- संवेदनशीलता का आंकलन
- अनुकूलन के संभव उपाय
- अनुकूलन के उपायों का चयन
- अनुकूलन के चयनित उपयों के आंलन व निरीक्षण का प्रारूप

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन – आपदा जोखिम न्यूनीकरण के समावेश तथा अनुकूलन रणनीति के मुख्य उद्देश्य

निम्न बिन्दु जलवायु परिवर्तन अनुकूलन – आपदा जोखिम न्यूनीकरण में महत्वपूर्ण हैं और यह परिवर्तन लाया सकते हैं।

स्वास्थ्य और देखभाल आपदा के समय लोगों की सेहत का स्तर बिगड़ना पहला दुष्प्रभाव है। कुछ विपदाएं जैसे – भूकम्प व तूफान प्रत्यक्ष, मृत्यु तथा अपंगता लाते हैं। अन्य जैसे – सूखा और बाढ़, लम्बे समय तक व्यक्तियों और समुदायों की सेहत पर दुष्प्रभाव डालते हैं। तनाव व बीमारियां उनको अन्य प्रकार के संक्रमण तथा स्वास्थ्य के खतरों के प्रति कमजोर बनाते हैं। आपदा से भौतिक विध्वंस के कारण स्वास्थ्य सुविधाएं नष्ट और स्वास्थ्य सेवाएं पगु हो जाती है। स्वास्थ्य कर्मियों का प्रत्यक्ष कम होना अलग अलग परिस्थितियों में जब स्वास्थ्य सेवाओं की मांग अधिक व तत्कालिक होती है कार्यवाहियों व प्रणालियों के संचालन के प्रति जागरूकता की कमी होती है। दूसरी आपदा तब होती है जब अस्थाई शिविरों में अधिक भीड़, सफाई पर ठीक से ध्यान न देना, जल आपूर्ति व गुणवत्ता व ठोस कूड़े के अनुपयुक्त उपायों के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव होता है। जलवायु परिवर्तन की वजह से चरण मौसमों की घटनाएं बढ़ रहीं हैं। जिनसे उपरोक्त के अतिरिक्त निमोनिया, हीट स्ट्रेस होते हैं। जलवायु संवेदी वीमारियां और गंभीर हो जाती है। बाढ़ और सूखे से जल जनित बीमारियां, परजीवी बेकटीरियल संक्रमण तथा वेक्टर बोर्न, रोट्रेट बोर्न बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू आदि गर्म मौसम नमी में बढ़ जाते हैं और अन्य क्षेत्र जैसे वैश्विक तापमान में वृद्धि को प्रभावित करते हैं। जहां स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो अथवा वे रोगों के परिवर्तित ट्रेंड मांग पूरी करने में सक्षम न हो तब संवेदनशील समुदाय में रोगों की संख्या व मृत्यु की दर अधिक होने लगती है।

जलवायु परिवर्तन विभिन्न प्रकार के मानसिक प्रभाव भी डालता है जैसे मौसम की चरम सीमा की घटनाएं, भावनात्मक चोट, माईग्रेशन, सामाजिकता व सामुदायिकता को प्रभावित करती है। लोगों के स्वास्थ्य को एक और क्षेत्र, जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन या विपरीत अनुकूलन के प्रति अन्य सेक्टस का निर्णय भी प्रभावित करता है। कृषि विकास की नति व बजट नये उद्यम व उद्योग एन.आर.एम. की नीतियों में परिवर्तन से लोगों के स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष व आय के साथ स्वास्थ्य सेवाओं के भुगतान की क्षमता अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है। डी.आर.आर. व सी.सी.ए. को स्वास्थ्य तथा देखभाल की मुख्य धारा में लाने का अर्थ है। स्वास्थ्य व देखभाल के कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखम पर विचार करना और उनके समाधानों के उपयों को शामिल करना।

स्वास्थ्य और देखभाल डी.आर..आर. व सी.सी.ए. को स्वास्थ्य तथा देखभाल की मुख्य धारा में लाना	
1. जोखिम संवेदनशीलता तथा क्षमता का आंकलन	• खतरनाक परिस्थितियों में रह रहे लोगों की आपदा एवं जलवायु परिवर्तन के जोखिमक ा आंकलन व कारण का विश्लेषण, प्रभाव व उत्तरदायित्वों का आंकलन करना।

	करना	• एक्सपोजर, संवेदनशीलता तथा क्षमता के विश्लेषण में वी.सी.ए. का प्रयोग करना। • डी.आर.आर. व सी.सी.ए. में पंचायत के सदस्यों की भूमिका को परिभाषित करना।
2.	जोखिम न्यूनीकरण व अनुकूलन के उपाय करना	• ग्राम पंचायत पर जोखिम प्रबंधन के लिए पंचायत, ब्लॉक, जिला स्थान विशेष के समूहों में अधिक प्रकार के हितधारकों को जोड़ना • जोखिम न्यूनीकरण व अनुकूलन, स्थान केन्द्र, व्यवहारिक पक्ष, जोखिम व स्थानान्तरण के लिए वित पोषण के मध्यम से लचीलेपन को बढ़ाने के तौर तरीके को अंगीकृत करना। • समुदाय व बृहत्तर समुदायों को व्यवधान सहने की वर्तमान व संभावित तनावों से समायोजन, स्वयं संगठित अनुकूलन व सीखने की क्षमता वृद्वि के लिए सहायता प्रदान करना। • बहु आयामी कार्यक्रम बनाना जिससे जोखिम को पूरी तरह से निपटने के साथ ही विपदाओं के लिए मल्टी सेक्टोरल आपातकालीन योजना बनाई जा सके। • भूमि के उपयोग, भवन निर्माण तकनीक, सामग्री चयन में पर्यावरण अनुकूल विपदा व जलवायु को सहने योग्य विकल्पों को प्रोत्साहित करना। • बहु विपदा व बहु प्रभावों के पुर्वानुमान तथा पूर्व चेतावनी देने वाले सिस्टम विकसित करने में सहयोग देना। • पर्यावरण सुरक्षा, सुरक्षित घर, रोजगार सृजन की नीतियां बनाने के लिए सर्वोत्तक सूचनाओं का प्रयोग करना।
3.	हानि न हो	• पड़ोस के एसोसिएशन और सिविल सोसाइटी नेटवर्क जिनको लक्षित जनसंख्या व क्षेत्र की निकटवर्ती जानकारी हो एवं गैर इरादतन प्रभाव को चिन्हित करने के दृष्टिकोण से अच्छी जगह पर हों, उनके साथ मिलकर कार्य करें। • ग्रामीण क्षेत्र में डी.आर.आर. व सी.सी.ए. के समावेश के लिए आपदा पश्चात पुर्ननिर्माण तथा पुनर्वास परियोजनाओं का समर्थन व प्रचार करें।
4.	जागरूकता बढ़ाएं, सहभागिता खोंजे व समर्थन करें।	• सामुदायिक जोखिम न्यूनीकरण और अनुकूलन के कार्यों में लोगों को शामिल करने के लिए जन संचेतना एवंज न शिक्षण का कार्य करें। • स्थानीय क्षेत्र का लचीलापन बढ़ाने के अनुकूल वातावरण तैयार करने वाली राष्ट्रीय नीतियों व विधान विकसित करने की वकालत करें। स्थानीय अधिकारियों, प्रोफेशनल संगठनों, निजी क्षेत्र व अन्य स्थनीय नगर कार्यकर्ताओं से नीतिगत सहभागिता स्थापित करें।

२. जल एवं स्वच्छता : जिन स्थानों पर जल एवं स्वच्छता सेवाएं लचीलेपन के साथ नहीं बनाई हों, वहां विपदा उनको पंगु या नष्ट करे सकती है। उदाहरण के लिए भूकम्प, भूस्खलन, अंधढ़, कुओं, टंकियों, जलापूर्ति के पाइप आदि को नष्ट व कचरा एकत्र करने वाली प्रणाली को बाधित कर सकते हैं। बाढ़ या ज्वालामुखे फटना जल स्रोतों को सवंमित वितरण, एकत्रीकरण की व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं। सूखा जल स्रोंतों को अस्थाई या स्थाई रूप से सुखा सकते हैं। जिससे सीवेज प्रणाली को रोक सकते है।

सभी तरह की विपदाएं, सफाई कार्य, स्वच्छता के कार्यों जो कि जल आपूर्ति पर निर्भर हों, विपरीत रूप से प्रभावित करती हैं। विशेकर जब आपदा के कारण विस्थापित लोग में हैं और उनकों व्यक्तिगत सफाई व घरेलू काम के लिए पर्याप्त जल नहीं मिला स्वास्थ्य को खतरे बढ़ जाते हैं। जलवायु परिवर्तन वैश्विक जल प्रणाली में बहुत परिविर्तित कर रहा है और भवष्यि में भी करता रहेगा। इनमें शामिल है। तीव्रता के पैटर्न जो कि व्यापक व लम्बे सूखे का कारण है। ग्लेशियर के पिघलने से बाढ़ का खतरा, भू–जल का खारा जो जाना, चरम घ्झटनाओं की गहनता व आवृत्ति में वृद्वि, जल उपलब्धता, गुणवत्ता, सुरक्षा में अनिश्चितता आदि। इस प्रकार के परिवर्तन पेय जल के सिस्टम, स्वच्छता के इन्फ्रास्ट्रक्चर को हानि पहुंचाते है। उदाहरण स्वरूप सफाई के परम्परागत तरीके भविष्य में जलवायु परिवर्तन के कारण बदली स्थिति में पानी की कमी होने से अव्रूवहारिक हो जाये, जलवायु जनित जल दबाव के कारण संभव हैं कि विभिन्न समूहों जैसे चारागाह, कृषक, उद्योग आदि में स्पर्धा बढ़ जाए और विस्थापन, माइग्रेशन व झगड़े बढ़ने की संभावना है।

डी.आर.डी. व सी.सी.ए. का जल, सफाई एवं स्वच्छता की मुख्य धारा में डी.आर.आर. व सी.सी.ए. को जल, सफाई एवं स्वच्छता की मुख्या धारा में लाने का अर्थ है कि कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम पर विचार करना और उनके समाधानों के उपायों को शामिल करना।

जल सफाई एवं स्वच्छता डी.आर.आर. व सी.सी.ए. को स्वास्थय तथा देखभाल की मुख्य धारा में लाना।	
1. जोखिम, संवेदनशीलता तथा क्षमता का आंकलन करना	• **कार्यक्रम के स्थानों की विपदा प्रोफाइल का हाइड्रो मेट्रिओलॉजीकल** विपदाओं पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव संबंधी उपलब्ध सूचनाओं का प्रयोग करते हुए विश्लेषण करना। • कार्यक्रम के स्थान पर वर्तमान, कार्यक्रम की प्रणालियां किस सीमा तक विपदाओं के प्रति प्रवृत्त हैं तथा सतह व भू–जल स्रोतों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के पुर्वानुमान का आंकलन करना। • लक्षित जनसंख्या की जल एवं स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच, इसका उनके स्वास्थ्य व पोषण स्तर पर प्रभाव तथा किस प्रकार विपदाओं व जलवायु परिवर्तन के प्रति उनकी संवेदनशीलता को बढ़ा सकती है का अनुमान लगाना
2. जोखिम न्यूनीकरण व अनुकूलन के उपाय करना	• कार्यक्रम के सभी गतिविधियों को वर्तमान विपदा परिदृश्यों जो कि जलवायु परिवर्तन अध्ययन, पुर्वानुमान, अनिश्चितताओं को शामिल करते हों पर आधारित करें। • उन सभी ट्रेड पर विचारा हो जो कि पानी एवं स्वच्छता सेवाओं की उपलब्धता व मांग को प्रभावित करते हों जैसे जनसंख्या वृद्वि, पर्यावरण खराब हो जाना, उच्च जल मांग वाले उद्योगों की स्थापना आदि • विभिन्न समूहों के बीच जल प्रबंधन की ऐसी एप्रोच विकसित करना जो कि उनकी आवश्यकताओं को नियंत्रित करे और प्रतिस्पर्धा को कम करे। • हैण्डपम्प, सूखे शौचालय आदि जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं व संसाधनों की उपलब्धता के अनुकूल स्थाई उपायों व टेक्नालॉजी का प्रयोग करे। • नये व अपग्रेटेड प्रणाली को विभिन्न परिदृश्यों के लिए लचीला बनाए। • जोखिम निगरानी, आपात योजनाएं पूर्व चेतावनी जैसे उपायों को बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बनाए व यह सुनिश्चित हो कि सेवाएं उपयुक्त एवं सार्थक बनी रहे। • तत्कालिक आवश्यकताएं, विशेषकर आपदा पश्चात् परिस्थितियों में पूरी हों और 'Build Back Better' कर सकें।
3. हानि न हो	• किसी भी इण्टरवेन्शन से पर्यावरण पर होने वाले असर के आंकलन किया जाए। • प्रदूषित जल के प्रयोग को रोकने के लिए भू–जल की गुणवत्ता पर निगरानी की सम्यक व्यवस्था की जाए। • उन सभी जल उपभोक्ताओं के बीच संवाद व समन्वयन प्रोत्साहित किया जाए जिन पर जलवायु परविर्तन का असर संभावित है। • WASH की प्रणालियों को प्रोत्साहित किया जाए जो कि विपदा व जलवायु के प्रति लचीली, संसाधनों के संदर्भ व स्थानीय विशेषज्ञता के संदर्भ में स्थाई है।
4. जागरूकता बढ़ाएं सहभागिता खोजें व समर्थन करें	• जन जागरूकता के माध्यम से जोखिम पर रहने वालों को जल एवं स्वच्छता सम्बंधी अधिकारों एवं इन पर आपदा व जलवायु परिवर्तन के जोखिम प्रभाव के बारे में शिक्षित किया जाए। • WASH से जुड़े कार्यकर्ताओं को सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट सेक्टर, राष्ट्रीय प्लेटफार्म पर सहभागिता के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। • जोखिम पर रहने वालों को जल एवं स्वच्छता सम्बंधी राष्ट्रीय नीतियों व निधान के बारे में शिक्षित किया जाए। • सभी जल यूजर्स एवं अधिकारियों व नदी बेसिन क्षेत्र, रिचार्ज जोन में रहने वालों के बीच समन्वयन प्रोत्साहित करना।

आश्रय और पुनर्वास – भोजन, जल और स्वास्थ्य के बाद आश्रय मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में एक है, सुरक्षित आश्रय एक मुख्य कारक है जिससे एक व्यक्ति की सुरक्षा और कुशलक्षेम तय होती है, सुरक्षित आश्रय को जोखिम के संदर्भ में समझा जा सकता है जिसको सामान्यतः खतरे, कमजोरी और क्षमता से जोड़कर देखा जाता है। सुरक्षित आश्रय के सम्बंध में विचार करते समय महत्वपूर्ण खतरे जैसे भूकम्प, तेज हवा, बाढ़, आग आदि को देखा जाता है।

सुरक्षित आश्रय को जोखिम के संदर्भ में समझा जा सकता है, जोखिम को आमतौर पर व्यक्ति की क्षमता, खतरे और कमजोरी के सापेक्ष समझा जाता है। सुरक्षित आश्रय पर विचार करते समय बहुत से खतरे यानि भूकम्प, तेज हवाएं व आग का ध्यान रखा जाता है। आश्रय की सुरक्षा के संदर्भ में संवेदनशीलता आश्रय या व्यक्तिगत आश्रयों के उन पक्षों के विषय में बताती है जिनके कारण विपदा आने पर ज्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है।

आश्रयों/निवास स्थानों की संवेदनशीलता प्रायः विशेष प्रकार की विपदाओं पर निर्भर करती है। उदाहरण के रूप में छप्पर की छतों वाले घरों को आग से सदैव खतरा रहता है परन्तु भूकम्प से इस प्रकार के घर कंक्रीट छतों वाले घरों की अपेक्षा कम क्षतिग्रस्त होते हैं– जैसे दीवारों और नींव या जमीन के बीच कमजोर सम्बंध जोने पर भूकम्प, तेज हवाएं व बाढ़ आने पर खतरों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। सुरक्षित आश्रय का सरोकार आवास की भौतिक क्षमता और खतरों से निपटने में समुदाय, परिवार एवं व्यक्तियों की ताकत के साथ–साथ उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता भी जुड़ी हुई है। उदाहरण के तौर पर नदी नदियों के तट पर या समुद्र के किनारे या पहाड़ की ढलान पर या कमजोर आवास में रहने वाले अनेक लोगों के लिए बाढ़, भूकम्प, तेज हवाएं, और अन्य खतरे हमेशा उनके जीवन के लिए बने रहते हैं। उनके लिए इस तरह के खतरों से बचना सदा मुश्किल होगा परन्तु आश्रयों की कमजोरी को दूर करके एवं विपदाओं का सामना करने के लिए अपनी तैयारी में सुधार लाकर इस समस्या का निदान किया जा सकता है।

आश्रय और पुनर्वास पर जोखिम को कुशल रणनीति के माध्यम से कम किया जा सकता है।

- खतरों के होने की संभावना को कम किया जाए – उदाहरणतः आश्रय को समुद्र से दूर बनाया जाए जहां समुद्री लहरों का खतरा न हो।
- आश्रयों को मजबूत बनाया जाए और क्षमताओं को बढ़ाया जाये – जैसे भूकम्प क्षेत्रों में आवास की दीवारों को प्रतिरोधी बना कर।
- हमेशा भूकम्प से निपटने की तैयारी रखकर – उदाहरण के तौर पर, समुद्री तूफान से निपटने के लिए साइक्लोन सेंटर बनाया जाए तो उनके चारों ओर बालू की बोरियां रखी जाएं ताकि घरों को साइक्लोन के कारण आने वाली बाढ़ से बचाया जा सके।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं समुदाय प्रबंधित क्रियान्वयन को आश्रय व पुनर्वास की मुख्यधारा में लाने से अभिप्राय है कि सभी आश्रय व पुनर्वास से सम्बंधी गतिविधियों में वर्तमान प्राकृति विपदाओं तथा जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़े हुए भावी खतरों, अनापेक्षित खतरों का उत्पन्न होने, प्राकृतिक विपदाओं के प्रति संवेदनशीलता पर इन गतिविधियों के प्रभाव आदि पर विचार कर लिया गया है और इसी के अनुसार जोखिम न्यूनीकरण उपायों को अपनाया गया है। इसके लिए खतरों के प्रति वर्तमान संवेदनशीलताओं को समझकर, यह विश्लेषण करना कि वे विकास की वर्तमान प्रक्रिया के साथ किस तरह अन्तःक्रिया करती है, साथ ही यह समझना भी आवश्यक है कि प्रत्येक प्रक्रिया में कौन लोग सम्मिलित है।

आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा : आपदा व खाद्य असुरक्षा परस्पर जुड़े हुए हैं। बाढ़, हेरिकेन, सुनामी व अन्य विपदाएं, कृषि, पशुधन, मछली व्यवसाय के तंत्र, सम्पत्तियों, इनपुट व उत्पादकता को नष्ट कर देती है। वे बाजार के रास्तों, व्यापार व रसद आपूर्ति को बाधित करती है और आय को कम, बचत को खर्च, आजीविका को खत्म कर देती है। आर्थिक संकट गरीबों की वास्तविक आय को घटाता है। सम्पत्ति बेचने के लिए मजबूर करता भोजन की विविधता व मात्रा को कम करता है। आपदा गरीबी का दुश्चक्र बनाती है जो खाद्य असुरक्षा व कुपोषण को बढ़ा देता है। जलवायु परिवर्तन मानव जीवन, अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक संसाधन, परिस्थिति की व पर्यावरण पर व्यापक तथा दूरगामी प्रभाव छोड़ता है। जलवायु परिवर्तन, वर्तमान आपदा जोखिम के पैटर्न को इतना व्यापक बना रहे है। जो कि समुदाय की मानवीय तथा विकास क्षमताओं की सीमा का अतिक्रमण करता है।

जलवायु परिवर्तन के सबसे गंभीर प्रभाव, सवंदेनशील देशों की ग्रामीण इलाकों में कृषि पर निर्भर जनसंख्या की खाद्य सुरक्षा व आजीविका पर होगें। तापमान के पैटर्न व तीव्रता में लम्बी अवधि के परिवर्तनों में

उत्पादन का समय चक्र, फिशिंग क्षेत्र में परिवर्तनशीलता व जोखिम वृद्वि और पशुओं व वनस्पति की नई बीमारियों की उत्पति आदि शामिल है।

खाद्य एवं पोषण की विविध चुनौतियां तथा झटकों एवं भुखमरी में स्पष्ट सम्बंध वर्तमान खाद्य प्रणाली की कमजोरी बाधाओं के प्रति संवेदनशीलता को व्यक्त करता है। इस चक्र को तोड़ने के लिए आजीविका को धक्कों से बचाना, खाद्य उत्पादन प्रणाली को अधिक लचीला और बाधक घटनाक्रमों के प्रभाव को सहने योग्य, विकास के फायदों को सुरक्षित बनाना आवश्यक है। स्थाई आजीविका के कार्यक्रम, विशेषकर आजीविका बेहतर करने में लोगों की बाधाओं को आंकलन करते हैं और उनके समाधान देने वाले कार्यक्रम विकसित करते हैं, उदाहरण के लिए जब बढ़ा हुआ तापमान सिंचाई जल की मांग अधिक करता है और मौसम अनिश्चित होता है तो किसान यह जानने का प्रयास करते हैं कि किस समय भूमि को जोते, कब बुआई करें और कब कटाई करें, जब खराब स्थितियां लोगों को माइग्रेशन के लिए मजबूर करते हैं। उस समय उनके पास वे सामान्य सुविधाएं भी नहीं होती जिनकी उन्हें आदत होती है। माईग्रेशन स्थानीय समुदाय व विस्थापित समुदायों में प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, चारागाह के लिए स्पर्धा और झगड़े उत्पन्न कर सकता है।

ग्रामीण समुदाय, विशेषकर गरीब की भोजन तक पहुंच दुशवार होती है। यद्यपि यह समस्याएं वैश्विक हैं फिर भी संभव समाधानों के कार्यान्वयन की आवश्यकता है कि यह समझा जाए कि स्थानीय लोग किस तरह आजीविका चलाते हैं और उन्हें कार्यक्रम की योजनाओं में शामिल किया जाए।

समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण व समुदाय प्रबंधित क्रियान्वयन को आजीविका खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की सुरक्षा के संदर्भ में मुख्य धारा में लाने का अर्थ है। खाद्य एवं पोषण की सुरक्षा कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन आपदा जोखिम पर विचार करना और उनके समाधानों के उपायों को शामिल करना।

आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा व समुदाय प्रबंधित क्रियान्वयन को मुख्य धारा में लाना	
1. जोखिम, संवेदनशीलता तथा क्षमता का आंकलन करना	• आपदा, जलवायु परिवर्तनशीलता के पूर्व, वर्तमान एवं पुवानुमान तथा लक्षित जनसंख्या की खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की सुरक्षा पर प्रभाव का आंकलन • लक्षित जनसंख्या के एक्सपोजर, संवेदनशीलता तथा आवश्यकता, क्षमता के चिन्हिीकरण में वी.ए.सी.ए. का प्रयोग करना और यह निर्धारित करना कि इनको लचीलापन बढ़ाने के लिए कैसे सम्बोधित किया जाए। • वर्तमान एवं नये कार्यों का नये एवं परिवर्तित जोखिम के सापेक्ष आंकलित किया जाए क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण वे अनुपयुक्त व अनुपयोगी हो सकते हैं।
2. जोखिम न्यूनीकरण व अनुकूलन के उपाय करना	• समुदाय के संगठनों व उठ रही आवाजों को सशक्त करना, आपसी समझ, आत्मविश्वास, कौशल, मोटिवेशन के माध्यम से समुदाय सशक्त होकर बेहतर तैयार व मिलजुल कर यह सुनिश्चित कर सकते हैं संभावित चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करें। • प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच और उनके प्रबंधन को सहयोग देना, उत्पादकता स्रोंतों तक सुरक्षित पहुंच समुदायों व घरों के लिए महत्वपूर्ण है जिससे वे भविष्य के लिए प्रभावी योजना बना सेक और संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सके। एन.आर.एम. पर्यावरा के प्रभावी संतुन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं जिससे लोग आजीविका प्राप्त करते हैं। • स्थानीय उपयोग की तकनीकों तक पहुंच विकसित करना जिनसे विपदा प्रवृत्त क्षेत्रों में पर्यावरण एवं भौतिक बाधाओं को पार किया जा सके। उत्पादकता, आय को बेहतर किया जा सके और जलवायु परिवर्तन को सहा जा सके। • रोजगार व बाजार तक पहुंच को उन्नत करना, बाजारों तक पहुंच व रोजगार की उपलब्धता से उत्पादक आजीविकाओं को विस्तरित कर नकद आय में वृद्वि ला सकते हैं। • सुरक्षित जीवन परिस्थितियां सुनिश्चित करना जिससे लोगों को शारीरिक आराम व सुरक्षा के साथ प्रभावी ढंग से कार्य करने का मौका मिले, यह सभी घटक स्वस्थ जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। • उत्पादन में लगे स्त्री पुरूष को उनके पारम्परिक व नये तकनीकों, टेक्नालॉजिकल विकल्प से सम्बद्व जोखिम व लाभ के अनुमान करने में सहयोग दिया जाए जो कि

	उनके आपदा जलवायु परिवर्तन व परिवर्तशीलता से संबंध जोखिम कम करने में लचीलापन बढ़ने में उपयोगी हों। • जोखिम पर रहने वालों को जोखिम प्रबंधन के साधन स्वरूप वैकल्पिक आजीविका के लिए परामर्श व वित्तीय सहायता दी जाए।
3. हानि न हो	• आपदा के दौरान स्थानीय उत्पादकों एवं बाजार पर खाद्य एवं अखाद्य वस्तुओं के संभावित मूल्यों पर वितरण के प्रभाव का विश्लेषण किया जाए। • आपदा के दौरान नगद भुगतान पर विचार किया जाए जिससे आजीविका सम्पत्तियों को बेचने जैसे नकारात्मक तरीकों को रोका जा सके। • काम के बदले नगद भुगतान व मुआवजे चैक भुगतान के लिए नगद स्थान्तरित करने पर विचार किया जाए पर जिससे स्थानीय उत्पादकों व जनता को राहत मिल सके। • आजीविका प्रयासों में जेंडर व युवावस्था के प्रभाव को ध्यान में रखा जाए।
4. जागरूकता बढ़ाएं, सहभागिता खोंजे व समर्थन करें	• खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य आर्थिक व कृषि विकास नीतियों को आपदा, जलवायु परिवर्तनशीलता जोखिम की विवेचना पर आधारित करने एवं इन क्षेत्रों, लचीलापन बढ़ाने वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्नालॉजी में निवेश की वकालत करें। • आजीविका, खाद्य सुरक्षा व पोषण, स्वास्थ्य के कार्यों में लगे लोगों प्रोफेशनल संगठन, निजी क्षेत्र व अन्य हितधारकों के साथ बेतर समन्वय, नीतिगत सहभागति स्थापित की जाए जिससे एक समय लम्बी अवधि की रणनीति बने

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन : प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के संदर्भ में प्रश्नोत्तर सत्र (15 मिनट)

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से अभिप्राय प्राकृतिक संसाधनों जैसे, भूमि, जल, मिट्टी, पौधे व पशुओं के प्रबंधन से है जिसमें फोकस इस बात पर हो कि किस प्रकार से प्रबंधन वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। इसमें भूमि उपयोग की योजना बनाना, जल प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण तथा कृषि, पर्यटन, मत्स्य व वानिकी जैसे उद्योगों की निरंतरता सम्मिलित होती है।

प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित व संरक्षित करना न सिर्फ दुनिया के पारिस्थिकी तंत्र के रख रखाव अथवा सामान्य तौर पर पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक पुरूष, स्त्री और बच्चे के विकास में सहयोग हेतु तो, लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन (जैसे जल, भोजन व आश्रय) संरक्षित करना एवं बेहतर गुणवत्तापूर्वण जीवन संभव नहीं हो सकेगा।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण, दुनिया के सामान्य प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना पहले कि अपेक्षा अब और अधिक कठिन व महत्वपूर्ण हो गया है। आपदाएं व प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का सम्बंध बहुत जटिल है, क्योंकि वर्तमान पर्यावरणीय क्षरण के कारण आपदाओं की प्रकृति तीव्र और गहरी हो गयी है। उदाहरणतः वनों के कटाव के कारण जंगली जानवरों और पक्षियों के लिए स्वाभावितक निवास स्थान नष्ट हो रहे है। साथ ही सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन और शुद्व वायु में कमी आती है, जिसका पर्यावरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है, इससे बाढ़, सूखा व जलवायु परिवर्तन और भू–क्षरण भी बढ़ जाता है क्योंकि पेड़ अपनी जड़ों से मिट्टी को बंधे रखने में मदद करते है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन न केवल जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन में एवं जलवायु सम्बंधी आपदाओं के कुछ अत्यधिक खराब प्रभावों से समुदायों को बचने में सहायता मिलती है, बल्कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के महत्वपूर्ण अवसर भी उपलब्ध करता है।

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की मुख्य धारा में आपदा जोखिम न्यूनीकरण व समुदाय प्रबंधित क्रियान्वयन को लाने का अर्थ है – प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की योजना में आपदाओं, जलवायु खतरों व जोखिम को कम करने के उपयों को ध्यान में रखना।

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं समुदाय प्रबंधित क्रियान्वयन को मुख्यधारा में लाना	
अ. जोखिम आंकलन, संवेदनशीलता एवं क्षमताएं	• कार्यक्रम स्थल पर एवं वृहद भौगोलिक संदर्भ में आपदा जोखिम तथा जालवायु परिवर्तन के संभावित प्रभवों का आंकलन • जोखिमग्रस्त लोगों के साथ वैज्ञानिक विशेषता के साथ सहभागी उपयों का प्रयोग करना, जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों के सापेक्ष एक्सपोज्ड प्राकृतिक संसाधनों के बीच अंतःक्रिया को समझने के लिए जोखिमग्रस्त लोगों के ज्ञान/जानकारी के साथ साथ ऐतिहासिक आपदा रिकार्ड का प्रयोग करना,

	जैसे, मिट्टी और पानी पर ज्वालामुखी विस्फोट का प्रभाव
ब. जोखिम न्यूनीकरण एवं अंगीकरण उपाय	• जलवायु परिवर्तन एवं आपदाओं की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में स्थापित अच्छी परम्पराओं को लागू करना। इसमें कम होते हुए गैर–जलवायु दबाव जैसे, प्रदूषण, अति–शोषण निवास स्थानों का समाप्ज हो जाना और आक्रमक विदेशी जातियां सम्मिलित हैं। • अनुकूलक प्रबंधन तरीके अपनाना, जलवायु तथा आपदा प्रभावों और प्राकृतिक संसाधन प्रबंध के उपायों को सावधानीपूर्वक मॉनीटर किया जाना चाहिए। जिससे कि प्रबंधन गतिविधियों को उपयुक्त ढंग से परिवर्तित होने वाली स्थितियों के साथ समायोजित किया जा सके। • कार्यक्रम इस प्रकार के होने चाहिए जो कि अनुकूलक प्रबंधन विकल्पों के लिए सहायक हो सकें और भविष्य के लिए उपयुक्त सीखों में वृद्वि कर सकें। • स्थानीय समुयदायों को सम्मिलित करना समुदाय की सहभागिता एक अनिवार्य अंग है। क्योंकि वे जानते हैं कि ऐतिहासिक तौर पर क्या उपाय कारगर रहे और क्या नहीं तथा ये स्थानीय समुदाय ही होत हैं जो इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित व टिकाऊ बनाते हैं।
स. हानि न पहुंचाना	• यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना कि सभी कार्यक्रमों, जिनमें पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालने की संभावना हो, का क्रियान्वयन से पहले ठीक ढंग से आंकलन किया जाये या यदि वे पहले से ही चल रहे हों तो उनका किसी भी नकारात्मक पर्यावरण प्रभाव के लिए आंकलन कर लिया गया है। • सभी आपदा पश्चात् पुनर्निर्माण हतु पर्यावरण प्रभावों का ध्यान रखना, ''बिल्डिंग बैक बेटर'' का अर्थ है – यह सुनिश्चित करना कि प्रतिक्रियाएं पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों, जिन पर लोग निर्भर हैं, को नकारात्मक ढंग से प्रभावित न करें।
द. जागरूकता बढ़ाने, भागीदारी तलाशन और पैरवी करना	• जोखिम और जलवायु परिवर्तन के खतरों को कम करने में प्राकृतिक संसाधनों के महत्व के विषय में जागरूकता बढ़ाना जोखिमग्रस्त लोगों के साथ कार्य करना, जलवायु परिवर्तन के खतरों के कम करने के लिए पहले से अपनाये जा रहे सुरक्षा, संरक्षण एवं उनकी सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकताओं व वृद्वि के तरीकों के साथ संदर्भित करते हुए। • आपदा व जलवायु परिवर्तन के खतरों के विश्लेषण को समाहित करने के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सम्बंधी योजनाओं हेतु पैरवी करना • प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्राधिकारियों के आपदा जोखिम न्यूनीकरण/प्रबंधन तथा जलवायु परिवर्तन नीतियों को विकसित करने में सहभागिता हेतु

प्रश्न एवं उत्तर सत्र (15 मिनट)

सत्र – IV

समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण में पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की भूमिका

सत्र का उद्देश्य

इस सत्र के अंत तक, प्रतिभागी यह वर्णन करने में सक्ष्म हो जायेगें।

- समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण में पंचायती राज संस्थाअें के सदस्यों की भूमिका
- आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों में पंचायती राज संस्थाअें के सदस्यों की विशिष्ट भूमिका – (तैयारी, अनुक्रिया व पुनरूत्थान)

मुख्य अवधारणा

विषय वस्तु की रूपरेखा

इस सत्र से प्रतिभागियों को पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका और सामान्य विकास की गतिविधियों में समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण को सम्बद्व करके आपदा जोखिम को कम करने के विषय में समझ विकसित हो जाएगी। इस सत्र का उद्देश्य प्रतिभागियों को यह समझने में भी सहायता करनी है कि पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण को विकसित करने एवं स्थानीय क्षेत्रों में इसको क्रियान्वित करने में क्या भूमिका हो सकती है।

सत्र की कुल अवधि 45 मिनट (15.45–16.30)

विस्तृत सत्र योजना

विषय–1– समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण में पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की भूमिका (15 मिनट)

पंचायती राज संस्थाओं का अस्तित्व वैद्यानिक है, इसके सदस्य स्थानीय लोगों द्वारा एक स्पष्ट लोकत्रान्त्रिक प्रक्रिया के माध्यम से निर्वाचित किये जाते हैं और उनके विशिष्ट उत्तरादायित्व व कर्तव्य होते है, चुने गए सदस्य वार्ड, विकास खंड, जिले के लोगों तथा ग्रामीण समुदाय के प्रति जबावदेह होते हैं। संविधान का अनपुच्छेद 243 (ग) की परिकल्पना में पचायत स्व–शासन की संस्थाएं होती हैं। इसमें आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय के संदर्भ में विकास, योजना, क्रियान्वयन के संदर्भ में पंचायतों की भूमिका को भी रेखांकित किया गया है। पंचायती राज संस्था, जो कि लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, इसकी लोगों से निकटता, सार्वभौमिकता व संस्थागत आधार पर लोगों की सहभागिता को सूचीबद्व करने के कारण, ग्राम से जिले स्तर तक की सर्वाधिक उपयुक्त संस्था है।

आपदा प्रबंधन, एक्ट 2005 में सेक्शन 41(1) (2) के अर्न्तगत NAC, म्युनिसिपलिटी, नगर निकायों, नगर काउन्सिल तथा पंचायती राज संस्थाओं को सम्मिलित किया गया है ये संस्थाएं सुनिश्चित करती हैं कि उनके कार्मिक आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित हों और आपदा प्रबंधन से संबंधित संसाधन भी किसी भी खतरनाक आपदा स्थिति के लिए तुरन्त उपलब्ध हों, ये संस्थाएं राज्य और जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं के अनुरूप प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य करेगीं।

पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य अपने स्थानीय क्षेत्रों में समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण को फैसिलिटेट करने के लिए निम्न कार्य कर सकते हैं:

- एक संस्थागत फ्रेमवर्क के द्वारा लोकप्रिय सहभागिता/भागीदारी को प्रोत्साहित करना,
- समाजिक संगठन प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना,
- आपदा की रोकथाम के प्रयासों में स्थानीय समुदायों की पारम्परिक बुद्विमत्ता को आधुनिक प्रयोगों में पूरक बनाना,

- समुदाय के विभिन्न सरोकारों को जमीनी स्तर पर विभिन्न गतिविधियों में संलग्न गैर सरकारी संस्थाओं व समुदाय आधारित संगठनों के सरोकारों के साथ एकीकृत करने के लिए एक आधार प्रदान करना,
- स्थानीय समुदायों को संवेदित करना और उनके माध्यम से आपदा की तैयारी व रोकथाम के उपायों में सामना करने के तौर तरीके विकसित करना,
- संकट की स्थितियों का प्रभावी तरीके से प्रबंधन करने के लिए रणनीति तैयार करना व उस पर चर्चा करना,
- रोकथाम के प्रयासों में पारदर्शिता व जबावदेही सुनिश्चित करना,
- धन, खाद्यान्न, चिकित्सीय सहायता, कपड़े, टेन्ट, पानी पीने के बर्तनों इत्यादि आवश्यकताओं के रूप में राहत सामग्री त्वरित वितरित करने के लिए गतिविधियों को सरल व कारगर बनाना,
- नवीनीकरण, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण की गतिविधियों का समन्वय करना,
- समुदाय के नेता के रूप में कार्य करना,
- सूचनाओं को एकत्रित, विश्लेषित व प्रसारित करना,
- समुदाय की आवश्यकताओं व अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से व्यकत करना,
- आपदा प्रबंधन में संलग्न स्थानीय, राज्य, राष्ट्र व अन्तराष्ट्रीय संगठनों के साथ कन्वर्जेन्स,
- आपदा प्रबंधन कार्य दलों का गठन करना,
- आपाताकालीन सहायता की व्यवस्था करना,
- क्षति, संवेदनशीलता आंकलन व जोखिम न्यूनीकरण रणीनीति को प्रोत्साहित करना,
- आपदा तैयारी पर जागरूकता अभियान आयोजित करना तथा समुदाय शिक्षा को प्रोत्साहित करना कैम्पेन,
- आपदा प्रबंधन योजनाओं को सक्रिय करना,
- आपदा पश्चात् विध्वंश के अवशेषों का सुरक्षित निपटान,
- सुरक्षित पेयजल व स्वच्छता की व्यवस्था करना,
- सुरक्षित पुनर्निर्माण हेतु न्यूनतम विनिर्देश लागू करना,
- दीर्घ कालीन आपदा प्रबंधन परियोजनाओं का पर्यवेक्षण व मानीटर करना तथा आपदा प्रबंधन हेतु फण्ड व संसाधन मोबिलाइज करना।

विषय –2– आपदा प्रबंधन की विभिन्न अवस्थाओं में पंचायती राज संस्थाओं की विशिष्ट भूमिकाएं (30 मिनट)

संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार, पंचायतों को आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने का शक्ति, अधिकार एवं उत्तरदायित्व दिया गया है। कुछ राज्यों ने यह शक्ति व अधिकार पंचायतों को दे दिया है जबकि कुछ ने नहीं। संबंधित विभाग भी अपने कार्यक्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। दी गयी तालिका को इसी के अनुरूप संदर्भित किये जाने की आवश्यकता है।

चूंकि पंचायती की ग्राम स्तरीय नियोजन में प्रमुख भूमिका होती है, हमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण को इसमें एकीकृत करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका तीन स्तरों पर अलग अलग होगी और इसीलिए जिला परिषद्/ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत के केस में विशिष्टता करने की आवश्यकता है। रोकथाम की गतिविधियां भी इसमें सम्मिलित की जानी चाहिए। चूंकि विकास योजनायं व विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं का अनिवार्य दायित्व, उचित होगा कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण को विकास नियोजन का एकीकृत अंग बना दिया जाये।

प्रशिक्षण मॉड्यूल – ।।

समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं सहभागी सामुदायिक जोखिम आंकलन

सत्र – 1

प्रशिक्षक मार्गदर्शिका

द्वितीय दिवस का द्वितीय सत्र का आरम्भ सुबह के अभिवादन एवं बाल टॉस गेम के साथ अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक प्रतिभागी पूर्ववर्ती दिवस के महत्वूर्ण चर्चा एवं शिक्षण को याद एवं पुर्नवलोकन कर सके। इस कार्य हेतु प्रशिक्षक द्वारा एक टेनिस बाल अथवा कोई मुलायम बॉल की व्यवस्था किया जाना होगा जिसका उपयोग इस कार्य हेतु किया जाएगा। प्रशिक्षक द्वारा पूर्ववर्ती दिवस के प्रशिक्षण से क्या सीखा? यह प्रश्न प्रशिक्षणार्थियों से पूछते हुए बॉल को अनायास किसी एक प्रतिभागी के ऊपर फेका जाएगा। यह प्रतिभागी विगत दिवस के शिक्षण के एक मुख्य बिन्दु के संबंध में बताएगा तथा बॉल को किसी दूसरे प्रतिभागी की ओर फेकेगा तथा वह भी एक मुख्य बिन्दु के संबंध में बताएगा। इस प्रकार सभी प्रतिभागी बारी–बारी से विगत दिवस के शिक्षण के एक मुख्य बिन्दु के बारे में बताएगा। यह क्रिया प्रतिभागियों को विगत दिवस के मुख्य बिन्दुओं को याद करने तथा प्रशिक्षक को तत्कालिक दिवस के सत्र से जोड़ने तथा प्रतिभागियों को प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करेगा। इस क्रियाकलाप को 15 मिनट के अन्दर आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। आवश्यक सामग्री – टेनिस बॉल

समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण का महत्व एवं इसकी प्रक्रिया

सत्र का उद्देश्य

इस सत्र के अन्त तक प्रतिभागी निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में वर्णन किये जाने के योग्य हो जाएंगे।

- समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषय/विचार के सम्बंध में संक्षिप्त विवरण।
- समुदाय आधारित तरीके का महत्व।
- समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण की संक्षिप्त प्रक्रिया के मुख्य बिन्दु।

मुख्य अवधारणा

- समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अर्न्तगत जोखिम की अवस्था में समुदाय निर्णय लेने में पूरी तरह सम्मिलित होता है।
- समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण संवेदनशीलता के जड़ित कारणों को जानने में सहयोग करता है तथा ढांचे का बदलाव कर असमानता एवं अर्धविकास को जम्न देता है।
- आपदा जोखिम प्रबंधन में संवेदनशीलता समुदाय एवं व्यक्तियों का केन्द्रीय भूमिका होती है क्योंकि यह उनके जिन्दगी से जुड़ी होती है।
- स्थानीय अवसरों एवं बाधाओं को स्थानीय समुदाय के अतिरिक्त कोई और बेहतर ढंग से नहीं समझ सकता है।
- समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के छः मौलिक प्रक्रियायें होती हैं ये स्थानीय सामाजिक, आर्थिक, एवं राजनैतिक स्वरूप में बदलाव जिससे कि असमानता एवं अर्धविकास उत्पन्न होता है। समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण बचाव एवं सांत्वना, तैयारी, आपात कालीन कार्यवाही एवं सुधार के तरीके को पूर्ण करता है।

विषय वस्तु का सार संक्षेप

समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण विधि लोगों का तथा विकास उन्मुाी प्रक्रिया है। आपदा लोंगों के संवेदनशीलता का एक प्रश्न के रूप में है। यह लोगों की संवेदनशीलता के जड़ित कारणों के संबंध में जानकारी प्रदान करता है तथा इसके सामाजिक, आर्थिक एवं राजैनतिक स्वरूप में बदलाव के कारा उत्पन्न असमानता एवं अर्धविकास का अध्ययन करता है। समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण बचाव एवं सांत्वना तैयारी, आपातकालीन कार्यवाही एवं सुधार के तरीके को पूर्ण करता है।

सत्र की कुल अवधि एक घंटा पन्द्रह मिनट (09.45–11.00 बजे तक)

प्रशिक्षक मार्गदर्शिका

सत्र दिवस हेतु आवश्यक सामग्री – फिलिप चार्ट, सफेद बोर्ड, प्रोजेक्टर एवं कम्प्यूटर मार्कर तथा चार्ट पेपर (रंगीन)

प्रशिक्षक सत्र का आरम्भ ब्रेन स्ट्रोमिंग एवं इस चर्चा के साथ कर सकता है कि ''समुदाय से आप क्या समझते है? डी.आर.आर. प्रक्रिया में समुदाय को किस प्रकार सम्मिलित किया जा सकता है?

समुदाय शब्द का अर्थ की समझ

समुदाय एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग बृहद रूप में किया जाता है जो निम्नवत् है :

- समुदाय को भौगोलिक रूप में पारिभाषित किया जा सकता है यथा – परिवाारों का समूह, एक छोटा गांव व एक शहर से जुड़ा मुहल्ला।
- समुदाय की परिभाषा अनुभवों का आदान प्रदान के द्वारा की जा सकती है – यथा एक ही सोच का समूह, एक अचार व्यवहार का समूह, पेशेवर समूह, भाषा समूह एवं विपदा के समय खुले विचार से कार्य करने वाले समूह इत्यादि।
- समुदाय को परिक्षेत्र के आधार पर पारिभाषित किया जा सकता है यथा– किसान, मछली पकड़ने वाले, व्यवसाय परिक्षेत्र इत्यादि
- समुदाय उस समूह को संबोधित कर सकते है जो कि प्रभावित होता है तथा दुर्घटना को खत्म करने एवं संवेदनशीलता न्यूनीकरण में सहयोग प्रदान करता हो।

कुछ प्रतिभागियों के द्वारा जबाव प्राप्त होने पर प्रशिक्षक पावर प्वाइन्ट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से इस विचार पर चर्चा कर सकता है।

विषय–1– समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण **की अवधारणा (25 मिनट)**

समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण एक प्रक्रिया है जहां समुदाय जोखिम की पहचान विश्लेषण, निराकरण, देखरेख एवं मूल्यांकन में पूरी तरह लगा होता है जिससे कि संवेदनशीलता का न्यूनीकरण किया जा सके। इस प्रकार लोग ही निर्णय लेने एवं आपदा जोखिम कम करने का क्रियान्वयन क्रियाकलाप का मूल बिन्दु होते हैं। अधिक संवेदनशील सामाजिक समूह को इस प्रक्रिया की संलिप्तता में सर्वोच्च रूप से शामिल किया जाता है तथा कम संवेदनशील समूह का सहयोग भी इसके सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक है)

समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण लोगों का एवं विकास उन्मुखी प्रक्रिया है। आपदा लोगों के संवेदनशीलता से जुड़ा एक प्रश्न है। यह लोगों को संवेदनशीलता के जड़ित कारणों के सम्बंध में जानकारी प्रदान करता है तथा इसके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्वरूप में बदलाव के कारण असामानता एवं अर्धविकास को जन्म देता है। समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण बचा, सांत्वना, तैयारी आपातकालीन कार्यवाही एवं सुधार के तरीके को पूरा करता है।

समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण - उपायों के विभिन्न चरण

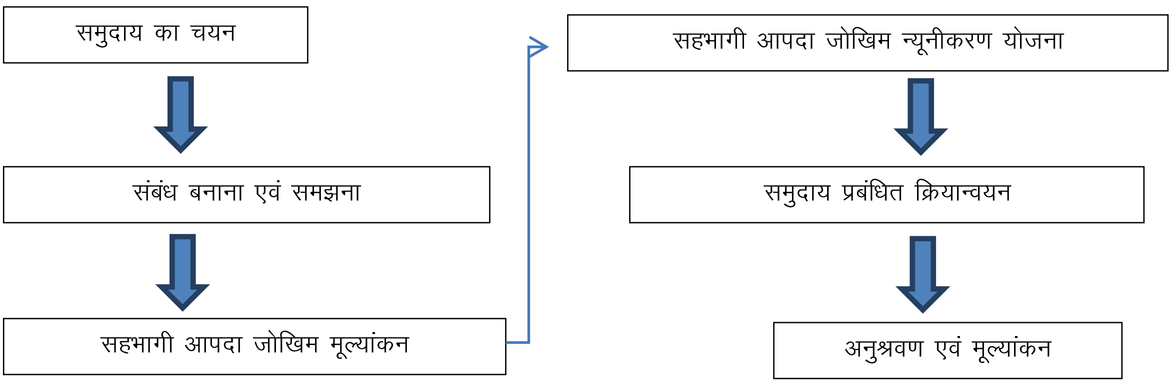

विषय–।।–समुदाय आधारित उपायों का महत्व

समुदाय सहयोग की आवश्यकता

आपदा न्यूनीकरण हेतु समुदाय स्तर से उठाये गये कदम एवं उसकी निरन्तरता बनाये रखना समुदाय संलिप्तता का मुख्य कारक होता है। बाहय संस्थायें, यथा–सरकारी, गैर सरकारी संगठन आपदा के पहले अथवा बाद में सामुदायिक स्तर के कार्यक्रमों की शुरूआत तथा क्रियान्वित कर सकती है। अधिकांशतः इस प्रकार के प्रयास की तारतम्यता नहीं बनाये रखने पर बाहय सहायता समाप्त कर दी जाती है। इस निरन्तरता को न बनाये रखने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य रूप से साझेदारी का अभाव, सहभागिता की कमी, सशक्तिकरण का अभाव तथा स्थानीय समुदाय का स्वामितत्व का न होना है। व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्तर पर आपदा जोखिम प्रबंधन हेतु लगातार प्रयास नहीं किये जाते हैं तो संवेदनशीलता एवं नुकसान को रोक पाना मुश्किल होगा। अतः नीति एवं क्रियान्वयन के तरीकों के सम्बंध में निर्णय लेते समय लोगों को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। यह उनके समुदाय के विकास के अनुरूप होना चाहिए।

आपदा अनियंत्रित हो सकती है यदि घटना प्रारम्भिक अवस्था से आगे की ओर बढ़ रही हो। अतः आपदा घटना के पहले घटना के दौरान तथा घटना के बाद सुरक्षात्मक कदम उठाया जाना आवश्यक होता है। यदि समुदाय पूरी तरह से तैयार नहीं होता है तो आपदा घटना से सामान्यतः नुकसान पहुंचता है। यदि समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति बचाव के रास्ते से परिचित हो तथा घटना से सुरक्षा के उपाय को जानता हो तो आपदा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।

सभी समुदायों एवं ग्रामीणों के पास कुछ महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं जिसका प्रयोग आपदा के समय किया जाता है। इसके अर्न्तगत आपदा चेतावनी, संकेतक सम्बंधी ज्ञान, स्थानीय सुरक्षित एवं संवेदनशील क्षेत्र का ज्ञान, पूर्व में आये आपदा का अनुभव, स्वयं को बनाये रखना तथा सामाजिक रिश्तों को स्थापित रखने का तरीका भी अभाव की अवस्था में स्वयं को जिन्दा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। स्थानीय समुदाय द्वारा आपदा के पूर्व एवं बाद में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया जाना जाता है क्योंकि :

- आपदा से बचने के लिए अच्छी तैयारी आपदा नुकसान के प्रभाव को कम कर सकता है।
- बाहरी सहायता पहुंचाने के पहले आपदा आने की स्थिति में स्थानीय कार्यवाही टीम द्वारा शुरूआत के घंटों में अधिक से अधिक जिन्दगी को बचाई जा सकती है।
- यदि समुदाय क्रियशील एवं संगठित है तो आपदा से होने वाले क्षति को प्रभावकारी ढंग से रोका जा सकता है।

समुदाय आधरित आपदा जोखिम न्यूनीकरण विधि के महत्व को निम्न बिन्दुओं के माध्यम से जाना जा सकता है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण में समुदाय की केन्द्रीकृत भूमिका आपदा जोखिम प्रबंधन के समय स्थानीय समुदाय पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्था का यह मानना है कि स्थानीय लोग स्वयं के विकास को आरम्भ करने एवं इसे बनाये रखने में सक्षम होते हैं। बदलाव लाने का उत्तरदायित्व स्थानीय समुदाय के लोगों पर निर्भर करता है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण एक लक्ष्य है अधिक संवेदनशील समूह के संसाधन एवं क्षमता को बढ़ाया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में आपदा क्षति से बचा जा सके।

आपदा जोखित न्यूनीकरण एवं विकास प्रक्रिया के मध्य कड़ी की पहचान समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण की मुख्य भूमिका लोगों की आम जिन्दगी में सुधार स्वभाविक वातावरण में हो, यह प्रयास होना चाहिए। यह विधि आपदा के मूल कारकों को गहराई से अध्ययन करता है यथा – गरीबी, विभेदीकरण एवं सीमांतीकरण, खराब व्यवस्था तथा खराब राजनैतिक व आर्थिक प्रबंधन। ये जिन्दगी एवं वातावरण के सर्वागींण विकास में अपनी भूमिका अदा करते हैं।

समुदाय आपदा जोखिम न्यूनीकरा का मुख्य संसाधन होता है समुदाय आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रक्रिया का मुख्य पात्र एवं प्रारंभिक लाभार्थी होता है।

बहु क्षेत्रीय एवं बहु आयामी उपयोग का प्रयोग समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण स्थानीय समुदायों तथा राष्ट्रीय स्तर के हितधारकों को एक मंच पर लाकर आपदा जोखिम प्रबंधन के संसाधनों में वृद्धि लाने का कार्य करता है।

समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण बहुआयामी ढांचे को जन्म देता है समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण का सिद्धान्त अनवरत रूप से किये गये प्रयोग पर आधारित है। अनुभ्वों का आदान प्रदान, समुदाय द्वारा अपनाये जा रहे विधि एवं टूल्स तथा सी.बी.डी.आर.आर. के जानकरों द्वारा प्रदत्त जानकारी इसे निरन्तर मजबूती प्रदान करता है।

समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण यह बतलाता है कि अलग–2 लोगों का जोखिम के सम्बंध में अलग–2 राय है विशेष रूप से पुरूष एवं महिला जिनकी अलग–2 समझ और अनुभव जोखिम को सामना करनेक की होती है उनका विचार जोखिम न्यूनीकरण में अलग–2 हो सकते हैं। इन अन्तरों को पहचानना आवश्यक होता है।

अधिकतर समुदाय के सदस्यों एवं समूहों की अलग–2 संवेदनशीलता एवं क्षमता होती है समुदाय के अलग–2 व्यक्तियों, परिवारों एवं समूहों के संवेदनशीलता एवं क्षमता अलग–2 होती है। इसका निर्धारण उम्र, लिंग, वर्ग, पेशा (जीविकोपार्जन के स्त्रोत) भाषा, धर्म और भौतिक स्थिति के आधार पर होता है।

विषय–3– समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रक्रिया के विभिन्न चरण का सार–संक्षेप (समय 25 मिनट)

आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रक्रिया के निम्न सात चरण होते हैं:

समुदाय को समझना एवं सम्बंध बनाना यह मूलरूप से स्थानीय लोगों के साथ संबंध एवं विश्वास बनाये जाने से संबंधित है। समुदाय के साथ संबंध स्थापित होते ही उसके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक बिन्दुओं को समझा जा सकता है। सहभागी जोखिम आंकलन के पश्चात् समुदाय के संचालन शक्ति को सराहा जाना चाहिए।

सहभागी आपदा जोखिम आंकलन यह एक निदानात्मक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह जाना जाता है कि समुदाय किस प्रकार के जोखिम का वहन कर रहा है तथा इसे कैसे काबू में लाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में विपदा आंकलन, संवेदनशीलता आंकलन एवं क्षमता आंकलन भी सम्मिलित होता है। आंकलन करते समय जोखिम के सम्बंध में लोगों के विचार को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

सहभागी आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना सहभागी जोखिम आंकलन के प्रतिउत्तर विशलेषण के पश्चात् जोखिम न्यूनीकरण योजना को अपनाया जाना चाहिए। लोगों को स्वयं जोखिम कम किये जाने के तरीके को पहचानना चाहिए इससे उनकी क्षमता में वृद्धि होगी तथा नुकसान को कम किया जा सकता है। इसके पश्चात् जोखिम न्यूनीकरण क्रियाकलाप को समुदाय आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना में शामिल कर लिया जाता है।

समुदाय आपदा जोखिम न्यूनीकरण समिति का निर्माण एवं प्रशिक्षण आपदा जोखिम को समुदाय आधारित समिति द्वारा बेहतर ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। यह कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि जोखिम को योजना क्रियान्वयन के माध्यम से कम किया जाये। इस प्रकार समुदाय आधारित कमेटी का निर्माण आवश्यक है यदि वहां पर पहले से कोई कमेटी नहीं है अथवा वर्तमान कमेटी मजबूत न हो। कमेटी के सक्रिय सदस्यों तथा अन्य सदस्यों के क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। इस कमेटी में पी.आर.आई. के सदस्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह कमेटी बड़े समुदाय के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान कर सकती है।

टास्क फोर्स समूह का निर्माण एवं उनका प्रशिक्षण समुदाय के कुछ सक्रिय सदस्यों का चयन किये जाने की आवश्यकता होती है। ये सदस्य अलग–2 समूह के होंगे, जो आपदा के विभिन्न चरणों के कार्यों का सम्पादन करेगें। यथा – पूर्व, आपदा के दौरान एवं आपदा के पश्चात् के कार्य इन तीनों समूहों के सदस्यों का चयन समुदाय के अलग–2 ग्रुप से किया जाना आवश्यक है। यथा – बच्चे, युवा, पुरूष, महिला इत्यादि चयन में जाति, धर्म, रंग भेद का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक समूह के सदस्यों की संख्या, समूह की संख्या का निर्धारण समुदाय द्वारा भौगोलिक परिक्षेत्र, क्षेत्रफल, आपदा से सम्बंधित संवेदनशीलता एवं जोखिम की मौजूदगी के आधार पर किया जाना चाहिए। टास्ट फोर्स कमेटी एक सक्रिय समूह के रूप में आपदा की तैयारी इसके परिणाम एवं सुधार के स्तर पर सहयोग का कार्य करेगा। इस प्रकार प्रशिक्षण,

अभ्यास एवं मोकड्रिल नियमित रूप से किया जाना आवश्यक होता है। अतः निम्न टास्ट फोर्स का गठन समुदाय के आवश्यकता के अनुरूप गठित की जा सकती है।

- प्रारम्भिक चेतावनी समूह
- मूल्यांकन समूह
- आश्रय प्रबंध समूह
- बचाव प्रबंध समूह
- प्राथमिक उपचार समूह
- खोज एवं बचाव समूह
- नुकसान आंकलन समूह

समुदाय प्रबंध क्रियान्वयन समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण को समुदाय योजना के क्रियान्वयन तथा योजना के क्रियाकलापों में सहयोग देने हेतु समुदाय के सदस्यों को प्रेरित करने में अग्रणी भूमिका निभाना चाहिए।

सहभागी निगरानी एवं मूल्यांकन यह एक संवाद व्यवस्था है जिसके अर्न्तगत सूचनाओं का संचार परियोजना के सभी कार्यरत सदस्यों के मध्य होता है। समुदाय, क्रियान्वयन में लगे सदस्य तथा सहयोगी संस्था, सम्बंधित सरकारी संस्था एवं दानदाता आदि इसमें प्रमुख रूप से होते हैं।

सत्र 2

समुदाय आधारित आपदा जोखिम आंकलन

सत्र का उद्देश्य

इस सत्र के अंत तक प्रतिभागी निम्न जानकारी/चर्चा के योग्य हो जाएंगे।

- आपदा जोखिम आंकलन के सम्बंध में
- समुदाय आधारित आपदा जोखिम आंकलन प्रक्रिया एवं टूल्स के सम्बंध में

मुख्य अवधारणा

- आंकलन एक प्रक्रिया है (सामान्यतः अलग–2 चरण में लिया जाना) जिसके अर्न्तगत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का एकत्रीकरण उसकी व्याख्या एवं विश्लेषीकरण किया जाता है। जोखिम आंकलन के तीन चरण होते हैं जो एक–दूसरे पर आधारित होते हैं। इसके अर्न्तगत जोखिम की पहचान, जोखिम विश्लेषण एवं जोखिम का मूल्यांकन आता है।
- सामुदायिक जोखिम आंकलन एक सहभागी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय एवं परिवार के ऊपर खतरों का कारण आंकलित समय अवधि में पड़ने वाले ऋणात्मक प्रभाव एवं क्षेत्र, स्वरूप आदि का निर्धारण करता है। यह खतरा संवेदनशीलता, क्षमता तथा जोखिम की वरीयता विश्लेषण आधारित है।
- खतरों का आंकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से तारतम्यता, तीव्रता, संभावित प्रभाव एवं दुर्घटना अवधि आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है।
- संवेदनशीलता आंकलन के अर्न्तगत ''जोखिम तत्व'' के संभावनाओं का अन्दाज (लोग, परिवार, समुदाय, सुविधा एवं सेवा, आजीविका, आर्थिक गतिविधि एवं प्राकृतिवरण) विविध प्रकार के खतरों तथा कारणों का विश्लेषण जिसके कारण वे जोखिम की स्थति में होते है का आंकलन किया जाता है।
- क्षमता आंकलन के अर्न्तगत संसाधनों का निर्धारण, उपलब्ध संसाधन, कौशल, ज्ञान तथा सामाजिक सम्बंध आदि जिसका स्थानीय अथवा समुदाय आपदा की अवस्था में व्यवहार में लाया जा सके।

विषय की रूपरेखा

यह एक परीक्षण प्रक्रिया है जिसके माध्यम समुदाय द्वारा सामना कर रहे जोखिम तथा किस प्रकार से लोग इससे छुटकारा पाते हैं की पहचान की जाती है। इस प्रक्रिया के अर्न्तगत खतरों का आंकलन संवेदनशीलता एवं क्षमता का आंकलन किया जाता है। आंकलन के दौरान लोंगो के जोखिम के सम्बंध में सोच/राय को सम्मिलित किया जाता है। इसे अधिक संवेदनशील एवं वरीय समुदाय के मध्य क्रियान्वित करते हैं। इस प्रक्रिया के अर्न्तगत खतरों का आंकलन, संवेदनशीलता, क्षमता आंकलन तथा जोखिम का विश्लेषण वरीयता के आधार पर सम्मिलित होता है। सहभागी आपदा जोखिम आंकलन का कार्य स्थानीय निकाय द्वारा, स्थानीय लोंगो, समुदाय के अग्रणी सदस्यों तथा विषय विशेषज्ञों द्वारा की जाती है।

सत्र की कुल अवधि एक घंटा पैतालिस मिनट (11.15–13.00)

विस्तृत सत्र योजना

प्रशिक्षक दिशा निर्देशिका

विषय – 1–सहभागी आपदा जोखिम आंकलन के सम्बंध में	**(15 मिनट)**

सहभागी आपदा जोखिम आंकलन एक संवाद तथा वार्ता पर आधारित प्रक्रिया है जो निकाय एवं अन्य हितकारकों को जोखिम के सम्बंध में सम्मिलित करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां सभी सम्बंधित दल आपदा जोखिम से सम्बंधित सूचनाओं का एकत्रीकरण करते हैं ताकि एक उपयुक्त योजना का निर्माण किया जाए तथा इससे आपदा जोखिम को समाप्त करने अथवा कम करने में सहयोग मिल सके। इससे जानमाल की क्षति न हो। जबकि अन्य जोखिम प्रबंधन ढांचा एवं अभ्यास उन्हें छोड़ देता है जो जोखिम में हैं अथवा

संभावित जोखिम में हैं। पी.डी.आर.ए. जोखिम समुदाय को समस्त आपदा जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में शामिल करता है। दूसरी ओर अन्य जोखिम आंकलन अवांछित घटना घटित होने पर रोक देती है। पी.डी.आर.ए. लोंगो के लगन, क्षमता तथा उसके ताकत का प्रयोग कर व्यक्ति एवं समुदाय के आपदा जोखिम को कम करता है। पी.डी.आर.ए. सहभागी आपदा जोखिम प्रबंधन योजना का आधार है। यह देखा जाता है कि स्थानीय लोग आपदा जोखिम से बचाव अथवा कम करने में सहायता कर सकते हैं। समुदाय आपदा जोखिम आंकलन एक सहभागी प्रक्रिया है जो एक आंकलित समय अवधि में समुदाय एवं परिवार पर आपदा के ऋणात्मक प्रभाव, स्वभाव, क्षेत्र एवं आकार को निर्धारित करता है। सामुदायिक आपदा जोखिम आंकलन को निम्न तीन चरणों में बांटा जा सकता हैः

चरण – 1
समुदाय में आने वाले खतरों का चयन। इसके निष्कर्ष/प्रभाव की पहचान की जानी चाहिए। मौसम, स्थान, पुर्नरावृत्ति पूर्व चेतावनी की संभावना तथा लोगों को खतरों के सम्बंध में सामान्य ज्ञान को खतरों के स्वभाव के संदर्भ में सूचीबद्व एवं वर्णन किया जाना है।

चरण – 2
खतरों, संवेदनशीलता एवं प्राकृतिक संसाधन तथा समुदाय के उपलब्ध सुविधाओं को काबू में करना। इसे समुदाय अथवा अंकीय मानचित्र में लाना होगा।

<table>
<tr><th></th><th>चरण</th><th>उद्देश्य</th><th>प्रतिफल/निष्कर्ष</th></tr>
<tr><td rowspan="7">आपदा जोखिम आंकलन</td><td>1</td><td>समुदाय में खतरों का वर्णन करना।</td><td>खतरों की प्रकृति एवं सूची</td></tr>
<tr><td>2</td><td>खतरों का मैपिंग करना।</td><td>सामुदायिक खतरा मानचित्र सामुदायिक संसाधन मानचित्र</td></tr>
<tr><td>3</td><td>संवेदनशीलता का विवरण तथा समुदाय के पुरूष एवं महिला की क्षमता</td><td>संवेदनशीलता क्षमता विश्लेषण (सी.वी.ए.)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>आपदा जोखिम का निर्धारण</td><td>समुदाय द्वारा सामना किये जा रहे जोखिम की विस्तृत सूची</td></tr>
<tr><td>5</td><td>आपदा जोखिम की श्रेणी</td><td>जोखिम सूची का वरीयता किया जाना</td></tr>
<tr><td>6</td><td>जोखिम के स्वीकारिता स्तर का निर्धारण</td><td>परिवार एवं समुदाय के सुरक्षा स्तर की सहमति</td></tr>
<tr><td>7</td><td>कहां बचाव कम अथवा स्थानान्तरित किया जाना है अथवा आपदा जोखिम के साथ रहना ळें</td><td>सहमति विधि</td></tr>
</table>

चरण – 3 समुदाय की क्षमता एवं संवेदनशीलता की पहचान एवं आंकलन करना। यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि आंकड़ों को लिंग के आधार पर अलग–2 हो। बच्चों, विकलांगों आदि विशेष समूह के रूप में रखा जाना होगा।

सामुदायिक आपदा जोखिम आंकलन उस प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है जिसके द्वारा संभावित ऋणात्मक प्रभाव (नुकसान एवं घाटा) एवं जोखिम तत्वों के संबंध में जाना जाता है। लोगों की जिन्दगी, स्वास्थ्य, परिवार समुदाय का स्वरूप, सुविधायें एवं सेवायें – घर, स्कूल, अस्पताल जीविकोपार्जन के साधन, आर्थिक गतिविधियां (नौकरी, उपकरण, फसल, जानवर) जीवनरेखा – (सड़क एवं पुल)

विषय – 2 समुदाय आधारित आपदा जोखिम आंकलन प्रक्रिया एवं टूल्स (15 मिनट)

सहभागी आपदा जोखिम आंकलन के सात चरण होते हैं। इसके बावजूद इस प्रक्रिया को पूरी तरह रेखांकित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार आपदा जोखिम आंकलन प्रक्रिया में साथ–साथ क्रियाकलाप सम्मिलित होता है। आपदा जोखिम आंकलन प्रक्रिया के अंत तक सभी समूह/सदस्यों को निम्न उद्देश्यों एवं इसके प्राप्तियों की समझ हो जाना चाहिए।

सूचनाओं के एकत्रीकरण का कार्य पूर्ण होने तथा आंकलन कार्य हेतु टीम/ग्रुप के सदस्यों जो समुदाय के मध्य होते हैं वे निष्कर्ष का प्रस्तुतीकरण करते हैं तथा पुनः पुष्टि हेतु समुदाय को वापस भेज देते हैं। इस प्रस्तुतीकरण में आपदा जोखिम तथा उनसे जीवन सम्बंधी डर/भय, सम्पत्ति, जीविकोपार्जन एवं सामुदायिक संसाधन की पहान एवं चर्चा की जाती है। समुदाय द्वारा दिये गये सुझाव (फीडबैक) के आधार पर आवश्यकता के अनुसार जोड़ा अथवा संशोधन किया जा सकता है।

सहभागी आपदा जोखिम आंकलन सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पी.आर.ए.) टूल्स का प्रयोग सामुदायिक आपदा जोखिम आंकलन एवं योजना निर्माण हेतु करता है। सामुदायिक जोखिम आंकलन में सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन का प्रयोग के अर्न्तगत समुदाय के सहभागिता को आमंत्रित किया जाता है। इसके अतिरिक्त विचारों का आदान प्रदान एवं समुदाय तथा अन्य हितधारकों के मध्य आपसी बातचीत में किया जाता है।

प्रशिक्षक निर्देशिका

सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन/अप्रेजल के अर्न्तगत प्रतिभागियों को अलग–2 समूह में बांट दिया जाता है तथा ग्रुप सदस्य चर्चा में सहयोग प्रदान करता है। इसे सहभागी आपदा जोखिम आंकलन के अर्न्तगत प्रयोग में लाया जाता है। प्रत्येक समूह में एक सुविधादाता होता है जो समूह चर्चा के मिनट्स को नोट करता है तथा समुदाय प्रक्रिया में अपने सुझाव एवं निष्कर्ष देता है।

एक सामान्य नियम के अर्न्तगत सहभागी आपदा जोखिम आंकलन सुविधादाता को यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि समूह के सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ग्रुप का कोई सदस्य चर्चा में हावी होने की कोशिश न करे तथा समूह के लिए कोई निर्णय न ले। चर्चा के दौरान कोई भौतिक बाधा यथा – टेबुल आदि न हो जो सुविधादाता एवं समुदाय सदस्य को अलग करता हो। इसके लिए ग्रुप को सरकल (गोल) बनाये ताकि सभी सदस्य एक–दूसरे बातचीत कर सकें।

सामग्री की आवश्यकता

पी.आर.ए. हेतु आवश्यक सामग्री के रूप में अलग–2 आकार के पत्थर, पत्तियां, 10 पत्थर, मार्कर फ्लिप चार्ट, कार्बन, कलर पेपर, गोंद व मास्किंग टेप इत्यादि।

आपदा जोखिम आंकलन डिजाइन

(अ) अनुभूति सम्बंधी

मुख्य आंकलन क्षेत्र	मुख्य प्रश्न	विधि	उत्तरदाता/भाग लेने वाले समूह
1. टापदा	एक आपदा का वर्णन कीजिए जो आपके समुदाय में विगत दस वर्षों में घटित हुयी हो। आप क्यों इसे आपदा मानते हैं?	• ट्रांजेक्ट वाक • रैंकिंग	• समुदाय नेता
2. आपदा जोखिम	कौन सी चीजें आपकी व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामुदायिक हितों व सुरक्षा के लिए खतरा हैं? • पुरूषों, महिलाओं, अशक्त, बुजुर्गों के जीवन के लिए • पशुधन के लिए • सम्पत्ति के लिए जैसे मकान, कृषि योग्य भूमि, कीमती वस्तुएं • पुल, विद्यालय • कौन से जोखिम या खतरे सबसे अधिक गंभीर माने जाते है? • कौन सी सामान्य समस्याएं हैं जिनका सामना समुदाय द्वारा आपदा जोखिम को कम करने हेतु किया जाता है।	• ट्रांजेक्ट वाक • मौसमी कलैण्डर • रैंकिंग	• समुदाय नेता • समुदाय सदस्य
3. जेंडर	एक महिला/लड़की, पुरुष/लड़के की क्या विशेषताएं/गुण होते हैं? परिवार, समुदय एवं वृहद समाज में उनकी परिभाषित भूमिकाएं हैं?	• फोकस ग्रुप चर्चा	• समुदाय नेता • समुदाय सदस्य
4. जीवन की गुणवत्ता	वर्णन करिए – समुदाय कौन लोग अमीर हैं? कौन निर्धन हैं? कौन स्वयं को आपदा खतरों से नहीं बचा सकते? किसे आपदाओं से पुनरूत्थान कठिन लगता है मासिक आमदनी? आजीविका?	प्रश्नावली एवं चर्चा	• समुदाय नेता • समुदाय सदस्य

(ब) भौतिक

मुख्य आंकलन क्षेत्र	मुख्य प्रश्न	विधि	उत्तरदाता/भाग लेने वाले समूह
1. क्षेत्र प्रोफाइल	समुदाय कितना बड़ा है? इसकी सीमाएं क्या हैं? समुदाय के निकट बाजार एवं फैक्टरियों में किस तरह के संसाधन उपलब्ध हैं (फसल, समुद्री जीवन, धातुएं, गैस आदि) समुदाय में भोजन एवं आमदनी के क्या मुख्य स्रोत हैं? मानचित्र में निम्न को दर्शाइए : • नल • विद्यालय • सार्वजनिक भवन • पानी के पाइप • वाटर पेन्ट • सीवेज (जल निकासी व्यवस्था) • पानी की सुविधाएं • गैस स्टेशन • समुदाय में पायी जाने वाली नाजुक आधारभूत सुविधाएं/संरचनाएं • मिट्टी का प्रकार एवं फसलें यदि समुदाय ग्रामीण एवं कृषि समुदाय हो • समुद्री संसाधन यदि समुदाय तटवर्ती समुदाय हो • चारागाह भूमि यदि समुदाय गडेरियों का समुदाय हो	• ट्रांजेक्ट वाक	• समुदाय नेता
2. जनसांखिकी प्रोफाइल	स्मुदाय की कुल जनसंख्या क्या है? कितने पुरूष हैं? कितनी महिलाएं हैं? कितने लड़के और लड़कियां हैं? कितनी गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं कितने बुजुर्ग हैं? कितने बुजुर्ग अकेले रहते हैं? कितने अशक्त हैं? कितने अशक्त बुजुर्ग हैं जो अकेले रहते हैं? मानचित्र में दर्शाइये विशेष आवश्यकताओं वाले समूह कहां रहते हैं?	• फोकस ग्रुप साक्षात्कार	• समुदाय नेता
3. संसाधनों तक पहुंच एवं नियंत्रण	परिवार या समुदाय में संसाधनों को कौन उपयोग, नियंत्रण अथा प्रबंधन करता है। (संसाधन : आमदनी नगद)? इन संसाधनों के उपयोग, स्वामित्व, नियंत्रण अथवा प्रबंधन में पुरूषों, महिलाओं और बच्चों की क्या भूमिकाए रहती हैं?	• रैंकिंग • फोकस ग्रुप चर्चा	• पुरूष • महिलाएं • बच्चे
4. प्राकृतिक आपदाओं/तकनीकी आपदाओं/से सुरक्षा	विगत दस वर्षों में समुदाय द्वारा अनुभव की गयी सबसे अधिक विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं कौन सी रहीं? (समुदाय में जान माल, सम्पत्ति, आजीविका, महत्वूपर्ण सुविधाओं के नुकसान के संदर्भ में सबस विनाशकारी) कितने लोग प्रभावित हुए थे? क्या वे विस्थापित हुए थे? कितने समय के लिए? डनके परिवार/समुदाय पर विस्थापन का क्या प्रभाव पड़ा? लोगों के जीवन, सम्पत्ति, आजीविका व समुदाय की महत्वपूर्ण सुविधााओं पर आपदा का तात्कालिक और दीर्घ कालिक प्रभाव हुआ? विगत दस वर्षों में आपदा के समुदाय पर आघात	• एतिहासिक ट्रांजेक्ट • मानत्रिण • मौसमी कलैण्डर • रैंकिंग • समूह चर्चा	• समुदाय नेता

	करने के पहले दौरान और बाद में समुदाय ने क्या किया? ऐसी कौन सी गतिविधियां थीं जो परिवार और समुदाय के स्तर पर पहले की जाती थीं परन्तु अब नहीं की जातीं? समुदा क्षरा आगामी दस वर्षों में होने वाले कौन से आपदा जोखिम व खतरों का प्रक्षेपण किया जा रहा है।		

(स) सामाजिक / संगठनात्क

मुख्य आंकलन क्षेत्र	**मुख्य प्रश्न**	**विधि**	**उत्तरदाता/ भाग लेने वाले समूह**
1. आधारभूत सेवाओं, अन्य सेवाओं तक पहुंच • स्वयं सेवी संस्थाओं • चर्चा द्वारा प्रदत्त • व्यापार / निजी सेक्टर द्वारा प्रदत्त	समुदाय में कौन सी सरकारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं – • स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, जल एवं स्वच्छता, राहत सहायता, आजीविका सहायता, राहत सहायता, आजीविका सहायता, सुरक्षा और विधिक सहायता, क्या अन्य संगठन भी समुदाय को मूलभूत सेवाएं प्रदान कर रहे हैं? आपदा घटित होने के पूर्व, दौरान व पश्चात् समुदाय के पास कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं? • सरकारी मूलभूत सेवाओं तक पहुंच किन लोगों की है? • क्या वर्तमान में समुदाय में समुदाय आधारित संगठन, लोक संगठन स्थित है?	• साक्षात्कार • वेन डायग्राम	• ग्राम दल • सूचनाओं का अनुवाद करने के लिए समुदाय के लोग
2. परिवार / समुदाय की एकजुटता – पुनर्विचार या निरस्त कर देना	• परिवार की अवधारणा / परिभाषा? • समुदाय के सदस्य कौन हैं? (जातीय संरचना)? वे कहां से आये हैं? कौन से सामुदायिक कार्यक्रम विभिन्न समूहों को परस्पर मिलने और सहायता करने का अवसर देते हैं? विभिन्न समूह आपदा के पूर्व, दौरान व पश्चात् किस तरह एक दूसरे की सहायता करते हैं? आपदाओं ने किस तरह समुदाय के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों को सकारात्मक या नकारात्मक ढंग से प्रभावित किया? वे आपदा के दौरान तथा बाद में किस तरह एक दूसरे की सहायता करते हैं? • निर्वाचित ग्राम काउन्सिल एवं बुजुर्गों की काउन्सिल के क्या कार्य व भूमिकाएं है।? • समुदाय में कौन से अन्य	समूह साक्षात्कार एवं व्यतिगत साक्षात्कार	• समुदायिक नेता • स्थानीय प्राधिकरण • ग्रामवासी

	संगठन स्थापित किये गये? ये संगठन किस तरह आपदा जोखिम को कम करने हेतु सहायता करते है। अथवा समुदाय को अनुक्रिया व अल्पीकरण के लिए तैार करते हैं?		

(द) प्रेरणात्क/अभिवृत्ति आधारित

मुख्य आंकलन क्षेत्र	मुख्य प्रश्न	विधि	उत्तरदाता/भाग लेने वाले समूह
1. परिवर्तन लाने व प्रभावी ढंग से योजना बनाने की योग्यता का बोध	क्या समुदाय में वर्तमान में समुदाय आधारित संगठन, लोक संगठन मौजूद है? समुदाय में आपदा प्रबंधन सम्बंधी कितने संगठन विद्यमान हैं? क्या समुदाय में उनकी वालंटियर यूनिट है? आपदा जोखिम व प्रभाव को कम करने के लिए समुदाय की क्या योजना है और अब तक क्या किया जा चुका है?	• समूह साक्षात्कार एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार	• समुदायिक नेता • स्थानीय प्राधिकरण • ग्रामवासी
2. मानसिक आघात, अनिश्चितता असुरक्षा का मुकाबला करने की योग्यता	आपदा के पूर्व, दौरान, पश्चात् लोग किस तरह के मानसिक आघात, अनिश्चितता असुरक्षा, अनुभव करते हैं? आपदाओं के पूर्व, दौरान, पश्चात् समुदाय के सदस्य अपनी भावनाओं से किस प्रकार उपाय करते है?	• प्रश्नावलियां एवं चर्चा	• समुदायिक नेता व ग्रामवासी

सहभागी आपदा जोखिम आंकन हेतु प्रयोग किये जाने वाले सर्वाधिक प्रचिलत पी आर ए टूल्स

1. टाइम लाइन

यह एक अत्यंत सरल टूल है जो कि समुदाय में विगत 10/15 वर्षों में घटित आपदा के इतिहसा तथा महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करता है। एक कॉलम वर्ष तथा दूसरा कॉलम घटनाओं को सूचीबद्व करने के हिए होता है।

उद्देश्य

यह जानना कि समुदाय में कौन सी महत्वपूर्ण आपदा घटनायें घटित हुयी

मुख्य सैम्पल प्रश्न

1. कौन सी आपदा घटनाएं हैं जो समुदाय में घटित हुई या हो रही हैं? वे कब घटित हुई?
2. किन महत्वपूर्ण घटनाओं ने समुदाय को प्रभावित किया? वे कब घटित हुई?

कैसे फैसिलिटेट करें

यह एक बहुत प्रभावी टूल हैं जिसका प्रयोग समुदाय के सदस्यों के पहुंचने की प्रतीक्षा करने के समय किया जा सकता है।

1. एक सहभागी आपदा जोखिम आंकलन सुगमतकर्ता इसकी शुरूआत समुदाय के कुछ सदस्यों से उनके समुदाय में आई आपदाओं के विषय में प्रश्न पूछ कर सकता है और यह कि वे किस वर्ष में घटित हुई थी?
2. सहभागी आपदा जोखिम आंकलन सुगमकर्ता फि्लप चार्ट पर उत्तर लिखना प्रारम्भ कर सकता है।
3. जब समुदाय के सदस्य चर्चा कर रहे हो, फि्लप चार्ट पर लिखने का कार्य समुदाय क किसी ऐसे सदस्य को दयिा जा सकता है जो यह कर सकता है।

उदाहरण

वर्ष	घटना

2. खतरे और संसाधन मानचित्र

विवरण

समुदाय सदस्य उन खतरों के विषय में जानते हैं जिनका सामना उनके समुदायों को करना पड़ता है। उनका ध्यान रखते हुए ही उन्हें खतरों का मानचित्रण करने को नहीं कहा जाता। खतरे का मानचित्र ''बाहरी'' लोगों जैसे, स्भानीय सरकारी कार्मिक, सिविल सोसाइटी ओर्गानैजेशन तथा पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों आदि के लाभ के लिए बनाया जाता है परन्तु खतरा व संसाधन मानचित्रण एक टूल हैं जो समुदाय के सदस्यों को इजाजत देते हैं कि वे ग्राफ के माध्यम से समुदाय के संवेदनशील सदस्यों को, विशेषकर बुजुर्ग व अशत जो कि बाढ़ जैसी आपदा में अधिक जोखिम ग्रस्त हो जाते हैं। यह टूल समुदाय के सदस्यों को इस बात के लिए भी सक्षम बनाता है कि वे अपने संसाधनों के आधार पर अपनी क्षमताओं को सूचीबद्व कर सके। बच्चे अपने समुदाय का बहुत अच्छे तरीके से मानचित्रण कर सकते हैं।

उद्देश्य

1. विशिष्ट विपदाओं के जोखिम क्षेत्रों तथा समुदाय के संवेदनशील सदस्यों को चिन्हित करना
2. ऐसे उपलब्ध संसाधनों को चिन्हित करना जो कि आपदा जोखिम प्रबंधन में समुदाय द्वारा उपयोग किये जा सकें।

मुख्य सैम्पल प्रश्न

1. कौन सी विपदाए हैं जो समुदाय को जोखिमग्रस्त कर देती है?
2. समुदाय में किन स्थानों/क्षेत्रों पर जोखिम है?
3. कौन से सामुदायिक आधारभूत ढांचे अथवा महत्वपूर्ण सुविधाएं खतरे में हैं?
4. किन लोगों की खतरां से प्रभावित होने की संभावना सबसे अधिक है और जिन्हें सहायता की आवश्यकता पड़ेगी?
5. समुदाय में कौन से संसाधन उपलब्ध हैं?
6. समुदाय के किसके (परिवार तथा समुदाय सदस्य) पास सबसे कम संसाधन हैं?
7. उपलब्ध संसाधनों तक किसकी पहुंच और नियंत्रण हैं?
8. कौन से संसाधन खतरे में हैं?
9. वे किस कारण से खतरे में हैं?

कैसे फैसिलिटेट करें?

मानचित्रण एक अन्य गतिविधि है जिसे समुदाय के अन्य सदस्यों के आने की प्रतीक्षा करते हुए किया जा सकता है। इस गतिविधि को किसी भी समय रोका जा सकता है। यदि मानचित्र को फि्लप चार्ट पर बनाया गया हो तो इसक एक दीवार पर टांगा जा सकता है। जहां समुदाय के सदस्य जब भी चाहें कुछ जोड़ सकें, प्रायः समुदाय सदस्य डंडी या अपनी उंगलियां प्रयोग करके मानचित्र बनाने हैं। इस प्रक्रिया को

बाधित न करें, नोट्स लेने वाले टीम सदस्य को गतिविधि के अंत में इस मानचित्र को अपने नोट्स में कॉपी करना होगा।

1. सहभागी आपदा जोखिम आंकलन सुगमकर्ता द्वारा समुदाय सदस्यों से समुदाय में एक लैण्डमार्क चिन्हित करने को कहा जाता है।
2. शुरूआत में सहभागी आपदा जोखिम आंकलन सुगमकर्ता लैण्डमार्क को पहचानने के लिए एक निशान लगा देता है या फिर एक पत्थर रख देता है।
3. सहभागी आपदा जोखिम आंकलन सुगमकर्ता द्वारा समुदाय सदस्यों से मानचित्र पर समुदाय की सीमाएं बनाने को कहा जाता है।
4. इसके पश्चात् समुदाय में घरों, महत्वपूर्ण सुविधाओं तथा संसाधनों को इंगित करने के लिए कहा जाता है।
5. सहभागी आपदा जोखिम आंकलन सुगमकर्ता द्वारा पूछा जाता है कि संसाधनों पर नियंत्रण और उन तक पहुंच किन लोंगों की है।
6. समुदाय सदस्यों से उन क्षेत्रों को चिन्हित करने को कहा जाता है जहां सूखा या बाढ़ जैसी आपदाओं से खतरा रहता है।
7. इसके पश्चात् समुदाय सदस्य उन सदस्यों को चिन्हित करेंगे जिन्हें संवेदनशील जगहों पर रहने के कारण सबसे अधिक खतरा है और जिनके पास आपदा की तैयारी या पुनरूत्थान के लिए सबसे कम संसाधन है।

3. मौसमी कलैण्डर

विवरण

मौसमी कलैण्डर में मौसमी परिवर्तन और उससे संबंधित खतरों, बीमारियों, सामुदायिक, कार्यक्रमों व वर्ष के विशिष्ट महीनों से संबंधित अन्य सूचनाएं सम्मिलित रहती है। परिवर्तन की डिग्री, तीव्रता या सीमा को इंगित करने के लिए दस पत्थरों (दस उच्चतम अंक मानकर) का प्रयोग किया जाता है।

उद्देश्य

मौसमी क्रियाकलापों, विपदाओं, आपदाओं के विषय में जानना

मुख्य सैम्पल प्रश्न

1. एक वर्ष में कौन कौन से मौसम होते है?
2. कौन सी विपदाएं/आपदाएं समुदाय में आती हैं?
3. ये कब होती है?
4. खाद्य आपूर्ति में कमी कब होती है?
5. कौन सी सामान्य बीमारियां हैं जो बारिश या सर्दी के मौसम में होती है?

कैसे फैसिलिटेट करें

1. सहभागी आपदा जोखिम आंकलन सुगमकर्ता को गतिविधि के पूर्व ही एक फ्लिप चार्ट पर कलैण्डर अवश्य बना लेना चाहिए।
2. सामान्यतः इस गतिविधि को समुदाय सदस्यों से कुछ प्रश्न पूछते हुए प्रारम्भ किया जाता है जैसे कौन से महीनों में बारिश होती है, गर्मी का मौसम किन महीनों में रहता है या खेती में रोपाई और फसल कतई का मौसम कब होता है।
3. अलग अलग समुदाय के सदस्य कलैण्डर पर अंकित करने के लिए अलग अलग तरीके उपयोग में लाते हैं। कुछ बारिश व गर्मी मौसम को दर्शाने के लिए सीधी लाइने बनाते हैं जबकि कुछ सदस्य हर माह में सर्दी या गर्मी का मौसम बनाने के लिए निशान (_) or (x) लगा कर दिखाते हैं। इन्य कुछ लोग प्रतीकात्मक चिन्ह बनाते हैं जैसे गर्मी के लिए सूर्य, फसल कटाई दर्शाने के लिए धान की डंडी, इसी प्रकार से समुदाय के लोग स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए अनेक रचनात्मक तरीके अपनाते हैं।

उदाहरण

विपदाएं	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
बाढ़					■	■	■	■				
सूखा				■	■	■						
भूस्खलन				■	■	■	■	■	■	■		
हिमस्खलन				■	■	■	■	■				
भूकम्प	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
शील लहर	■	■	■									

4. रैकिंग

विवरण

समस्याओं के विश्लेषण या सामानों पर विचार विमर्श करने के लिए रैकिंग अभ्यास का प्रयोग किया जा सकता है। अलग अलग साइज की पत्तियों या पत्थरों का प्रयोग करके समस्याओं, आवश्यकताओं या समाधानों का प्राथमीकरण करने के लिए यह क बहुत उपयोगी टूल है। पत्तियों व पत्थरों पर कोई गलत भी नहीं आती और ये समुदाय में हर जगह उपलब्ध रहती है। रैकिंग में प्रायः अधिक समय लगता है। क्योंकि समुदाय सदस्य उन कारणों पर चर्चा करते हैं कि क्योंकि समस्याओं या आवश्यकताओं को इस प्रकार से रखा जाता है। समुदाय के लिए इस अभ्यास का महत्व इसमें है कि इससे चर्चा तथा बातचीत करने में मदद मिलती है।

उद्देश्य

समुदाय सदस्यों की प्राथमिकताएं अथवा समुदाय के सामने वाली सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं जानना

मुख्य सैम्पल प्रश्न

1. समुदाय में खाद्य की कमी होने के क्या कारण हैं?
2. यदि आपको सभी कारणों का प्राथमीकरण करना हो तो युवाओं के नशे की आदत के पीछे पहला सबसे बड़ा कारण क्या है?
3. और दूसरा व तीसरा कारण क्या है?

कैसे फैसिलिटेट करें

1. सहभागी आपदा जोखिम आंकलन सुगमकर्ता समुदाय के सदस्यों से या युवाओं से पूछता है कि वे युवा लोगों के नशा करने की आदत के पीछे क्या कारण मानते हैं?
2. इन कारणों को सुगमकर्ता अथवा समुदाय के सदस्य द्वारा फ्लिप चार्ट पर सूचीबद्ध कर दिया जाता है।
3. सभी कारणों को सूचीबद्व कर देने के पश्चात् सुगमकर्ता द्वारा समुदाय सदस्यों से कहा जाता है कि वे समुदाय में युवाओं के नशे की आदत के कारणों को क्रमबद्व करें। इस प्रक्रिया में मार्कर्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि समुदाय सदस्यों की बातचीत के दौरान रैकिंग परिवर्तित हो सकती है?
4. रैकिंग में पत्थर या पत्तियों का प्रयोग करना अच्छा रहता है (बल्कि अलग अलग साइज के रंगीन कागजों का प्रयोग भी किया जा सकता है) क्योंकि जब समुदाय सदस्य आपसी चर्चा के आधार पर अपनी रैकिंग परिवर्तित करना चाहें, तो ऐसा किया जा सके।
5. जब रैकिंग के लिए का प्रयोग किया जाता है तो समुदाय के सदस्य कई बार अपनी रैकिंग को मिटाने में संकोच करते हैं।

उदाहरण

समुदाय में खाद्य की कमी के कारण	रैकिंग	
कम वर्षा के कारण सूखे की स्थिति	♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠	10
मिट्टी के अवकर्षण के कारण कृषि उत्पादन अच्छा न होना	♠♠♠♠	4
बीच की अनुपलब्धता के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित होना	♠♠♠♠♠♠	6
खाद्य प्रसंस्करण पर समुदाय में जानकारी का अभाव	♠♠	2
भारी वर्षा/बाढ़ के कारण कृषि उत्पादन का क्षतिग्रस्त होना	♠♠♠♠♠♠♠♠♠	9
समुदाय में खाद्य का असमान वितरण	♠♠♠♠♠♠	6
बाजार भाव में उतार चढ़ाव	♠♠	2

कृषि उत्पादन का व्यवसायीकरण	♠♠♠♠♠	5

5. ट्रांजेक्ट

विवरण

ट्रांजेक्ट एक बहुत ही मजेदार/आनन्ददायक गतिविधि है क्योंकि इसमें समुदाय के अन्दर एक निश्चित रास्त या दिशा में पैदल चलना होता है। जब समूह चर्चा में कोई हावी होने लगता है तो उचित होगा कि उसे ट्रांजेक्ट वाक में सम्मिलित कर लिया जाये।

उद्देश्य

समुदाय की संवदेनशीलता और आपदा जोखिम प्रबंध के लिए उन संसाधनों की तस्वीर प्राप्त करना जो उपलब्ध है या उपलब्ध हो सकते हैं।

मुख्य सैम्पल प्रश्न

1. ऊंची जगहों में क्या संसाधन एवं सुविधाएं पायी जा सकती हैं?
2. निचली जगहों में क्या संसाधन एवं सुविधाएं पायी जा सकती हैं?
3. समुद्री किनारों के निकट क्या संसाधन एवं सुविधाएं पायी जा सकती हैं?
4. समुद्र में क्या संसाधन एवं सुविधाएं पायी जा सकती हैं?

कैसे फैसिलिटेट करें

1. इस गतिविधि से किस तरह की सूचनाएं समुदाय से प्राप्त करने की आवश्यकता है यह समुदाय सदस्यों से चर्चा करिए, जैसे – बाढ़ या आग लगने पर जोखिमग्रस्त हो सकने वाले स्थान, उपलब्ध संसाधन और वे भी जो जोखिमग्रस्त हो सकते हैं, महत्वपूर्ण/नाजुक सुविधाएं व अन्य
2. समुदाय सदस्यों से सुझाव प्राप्त करना कि कौन सी दिशा और रास्ता लेना उचित होगा।
3. ट्रांजेक्ट वाक करते समय जानकारी दे सकने वाले समुदाय सदस्यों के साथ पैदल भ्रमण करना
4. सहभागी आपदा जोखिम आंकलन सुगमकर्ता और नोट्स लेने वाले टीम सदस्य को अपने अवलोकन व समुदाय के सदस्यों के विचार भी लिख लेने चाहिए।
5. ट्रांजेक्ट वाक के पश्चात् मानचित्र बना लेना चाहिए और समुदाय सदस्यों में से मुख्य उत्तरदाताओं के साथ पुष्टि भी कर लेनी चाहिए।

6. ऐतिहासिक ट्रांजेक्ट

विवरण

ऐतिहासिक ट्रांजेक्ट समुदाय में आपदाओं के इतिहास एवं विकास का ग्राफिक प्रस्तुतीकरण है। समुदाय के सदस्य दस वर्षों या पांच वर्षों के समय काल के अपने इतिहास की समीक्षा कर सकते हैं। वे यह भी तय कर सकते हैं कि संभवतः विगत पांच वर्ष उनके जीवन पर आपदा के प्रभाव को पता करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय हो।

उद्देश्य

1. समुदाय में आपदाओं इतिहास, आपदाओं के कारणों और लोगो के जीवन व वातावरण पर उनके प्रभाव को जानना
2. यह वर्णन करना है कि आपदाओं के कारण प्राकृतिक संसाधन कितना प्रभावित हुए हैं एवं कितना अभी और हो सकते हैं।

मुख्य सैम्पल प्रश्न

1. आपके जीवन और पर्यावरण पर विपदाओं (उदाहरण के लिए :बाढ़, सूखा, जंगल में आग) का या प्रभाव होता है?
2. क्या प्रभाव सदैव ऐसा ही होता है?
3. आपने कब इस पर ध्यान देना शुय किया कि इन आपदाओं का प्रभाव पहले से अधिक गंभीर होने लगा है?
4. क्यों अब ये आपदाएं पहले से अधिक गंभीर हो गयी है?

कैसे फैसिलिटेट करें

विपदा मानचित्रण के पश्चात् ऐतिहासिक ट्रांजेक्ट को समुदाय में आपदाओं के कारण व प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए किया जा सकता है।

अ. सहभागी आपदा जोखिम आंकलन सुगमकर्ता समुदाय सदस्यों से उनके जीवन में आपदा के प्रभाव के विषय में पूछ सकता है।

ब. सुगमकर्ता लिख सकता है कि किस वर्ष में आपदा आई थी।

स. इसी के उपरान्त सुगमकर्ता द्वारा आपदा के कारणों के विषय में पूछ और लिख सकता है।

द. इसके पश्चात् सुगमकर्ता समुदाय सदस्यों से पूछ सकता है यदि पचास वर्ष पहले भी इसी तरह की आपदाएं आई हो। वह सुझाव दे सकता है कि इसके लिए समुदाय सदस्य पचास या तीस वर्ष पहले के अपने सामुदायिक इतिहास की प्रत्येक समयकाल को 10 या 5 वर्षों में विभाजित करते हुए समीक्षा कर सकते हैं।

ध. उत्तरों को रिकार्ड करने की जिम्मेदारी समूह के किसी सदस्य को दी जा सकती है।

7. मैट्रिक्स रैकिंग

रैकिंग टूल्स का प्रयोग विपदाओं, आपदा जोखिम, आवश्यकताओं या विकल्पों का प्राथमीकरण करने के लिए किया जाता हैः

विवरण

रैंकिंग के कई रूपांतर हैं नीचे दिए गए उदाहरण में लोगों के जीवन पर आपदाओं के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए मानदण्ड का प्रयोग किया गया है। समुदाय के सदस्य विपदाओं को प्राथमीकृत करने के लिए बीन्स का प्रयोग करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण संकेतक को दर्शाने हेतु दस बीन्स का और सबसे कम महत्वपूर्ण संकेतक को दर्शाने हेतु एक बीन का प्रयोग किया गया है।

उदाहरण

समुदाय पर सबसे गंभीर प्रभाव डालने वाली विपदा का निर्धारण करना

मुख्य सैम्पल प्रश्न

1. समुदाय कौन सी विपदाओं का सामना करता है?
2. प्रत्येक विपदा का क्या प्रभाव है?
3. इन सब में कौन सी विपदा सर्वाधिक विनाशकारी है?

कैसे फेसिलिटेट करें

कुछ सहभागी आपदा जोखिम आंकलन सुगमकर्ता संकेतक निर्धारित करने में कठिनाई के कारण मैट्रिक्स रैंकिंग का प्रयोग करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। यदि समुदाय सदस्यों से पूछा जाता है कि वे कौन से संकेतकों का प्रयोग करते हैं तो हो सकता है कि वे यह न समझ सकें कि सहभागी आपदा जोखिम आंकलन सुगमकर्ता का क्या अभिप्रायः है।

1. सहभागी आपदा जोखिम आंकलन सुगमकर्ता या समुदाय सदस्य विपदाओं को सूचीबद्व करते हैं। यह सूची मौसमी कलैण्डर एवं मानचित्रण गतिविधियों से प्राप्त की जा सकती है।
2. तत्पश्चात् सुगमकर्ता समुदाय सदस्यों से विपदाओं के प्रभाव के विषय में पूछता है। इनकी विस्तृत श्रेणी मं जीवन, सम्पत्ति, महत्वपूर्ण सुविधाओं जैसे – सिंचाई, सार्वजनिक भवन एवं पर्यावरण पर प्रभाव को रखा जा सकता है। उदाहरणतः सुगमकर्ता पूछ सकता है ''जब बाढ़ आई तब आपके घर का क्या हुआ?''
3. प्रत्येक विपदा के लिए कम से कम एक प्रभाव क विषय में पूछना चाहिए। प्रभाव की सूची का प्रयोग संकेतक निर्धारण के लिए किया जा सकता है (स्पष्टता के लिए नीचे दिया गया उदाहरण देखें)
4. समुदाय सदस्यों को संकेतकों की सूची देखने को कहें।

उदाहरण

विपदा	जीवन		सम्पत्ति		आजीविका	शिक्षा	कुल / रैंक
	बीमारी / चोट	मृत्यु	घर	अन्य			

बाढ़	♠♠♠♠♠ ♠♠♠♠♠	♠♠♠♠ ♠♠♠♠ ♠♠	♠♠♠♠♠ ♠♠♠	♠♠♠♠♠ ♠♠♠♠♠	♠♠♠♠♠♠ ♠♠♠♠	♠♠♠♠♠ ♠♠♠♠♠	58ध 2
टाग	♠♠♠♠♠ ♠♠♠♠♠	♠♠♠♠ ♠♠♠♠ ♠♠	♠♠♠♠♠ ♠♠♠♠♠	♠♠♠♠♠ ♠♠♠♠♠	♠♠♠♠♠♠ ♠♠♠♠	♠♠♠♠♠ ♠♠♠♠♠	60ध1
बीमारियां	♠♠♠♠♠ ♠♠♠♠♠	♠♠♠♠ ♠		♠♠♠♠♠	♠♠♠♠♠	♠♠♠♠♠ ♠♠♠♠♠	35ध4
भूस्खलन	♠♠♠♠♠ ♠♠♠♠♠	♠♠♠♠ ♠♠♠♠ ♠♠		♠♠♠♠♠	♠♠♠♠♠♠ ♠♠♠♠	♠♠♠♠♠	40ध3

सत्र 3

समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण

सत्र उद्देश्य
इस सत्र के अंत तक प्रतिभागी निम्न का वर्णन करने में सक्षम हो जायेंगे

- समुदायिक आपदा जोखिम प्रबंधन नियोजन प्रक्रिया
- सामुदायिक आपदा जोखिम प्रबंधन नियोजन के चरण
- उपयों को विकास के कार्य योजना में कैसे समावेशित करें?

मुख्य अवधारणा

- सहभागी आपदा जोखिम आंकलन के पूरा होने पर समुदाय के लिए एक आपदा जोखिम योजना तैयार की जानी चाहिए।
- इस प्रक्रिया में आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों को चिन्हित किया जाना सबसे महत्वपूर्ण है, जिन्हें प्राथमीकृत किया जाना चाहिए।
- नियोजन प्रक्रिया के दौरान मुख्य हितधारकों एवं उपलब्ध संसाधनों का विश्लेषण
- कार्य योजना में आपदा स्थिति का वर्णन होगा जिसमें विपदाएं, संवेदनशीलता, सामुदायिक संसाधन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपाय, मुख्य हितधारकों की भूमिकाएं व जिम्मेदारियां, समय सारणी तथा पुष्टिकरण संकेतक सम्मिलित होगें।

विषय वस्तु की रूपरेखा
सहभागी आपदा जोखिम आंकलन के पूरा होने पर सामुदायिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना तैयार की जाती है, विपदाओं व संवेदनशीलता को संबोधित करने के लिए समुदाय सदस्य स्थानीय प्राधिकारियों की मदद से जोखिम न्यूनीकरण उपायों को चिन्हित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न पहलुओं को ध्यान में रखा जा सकता है।

- उनकी आदर्श रूप मे तैयार व resilient समुदाय की परिकल्पना
- यह निर्णय कि क्या चिन्हित जोखिम को कम, स्थानान्तरित किया जा सकता है या उसके साथ रहा जा सकता है।
- समुदाय व स्थानीय स्तर पर उपलब्ध क्षमताएं व संसाधन
- वे हितधारक जो योजना के क्रियान्वयन में पार्टनर बन सकते हों
- वे हितधारक जो कुछ निश्चित जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों के विरोधी हों तथा जिन्हें तटस्थ करने की आवश्यकता हो।

सत्र की कुल अवधि : एक घंटा तीस मिनट (14.00–15.30 बजे)

परिकल्पना स्थानीय प्राधिकारी, कर्मियों द्वारा परिकल्पना पर एक सत्र लिया जाना चाहिए। टीम सुगमकताओं द्वारा समुदाय सदस्यों से उस प्रकार के ''सुरक्षित समुदाय'' के बारे में एक स्पप्न देखने को कहा जाना चाहिए जैसा वे चिन्हित आपदा जोखिम के संदर्भ में अपने समुदाय को बनाना चाहते हैं। स्थानीय प्राधिकारी, कर्मियों द्वारा ''सुरक्षित समुदाय'' के बारे में समुदाय सदस्यों के विचारों को फ्लिप चार्ट पर लिखना चाहिए। इस समय स्थानीय प्राधिकारियों, समुदाय सदस्यों एवं अन्य हितधारकों के साथ एक विस्तृत चर्चा हो सकती है। कि वे आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रक्रिया के संदर्भ में क्या चाहते हैं?

उन्हें ऐसे लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए जो ठोस व प्राप्त करने योग्य हों। समुदाय सदस्यों, स्थानीय प्राधिकारियों एवं अन्य हितधारकों को संयुक्त रूप से संकेतक तय करने चाहिए जिससे यह मापा जा सके कि लक्ष्य प्राप्त हो सके हैं या नहीं।

आपदा न्यूनीकरण उपाय समुदाय सदस्यों व स्थानीय प्राधिकारियों को अन्य हितधारकों के साथ मिलकर ऐसी गतिविधियों को चिन्हित करना चाहिए जो विपदाओं की रोकथाम करने और संवेदनशीलता को कम करने में मदद कर सके। स्थानीय प्राधिकारिं एवं अन्य तकनीकी विशेषज्ञों की भूमिका विपदाओं की रोकथाम करने व संवेदनशीलता को कम करने हेतु रणनीति के सम्बंध में समुदाय सदस्यों को समुचित जानकारी देने के लिए महत्वपूर्ण होगी। जोखिम न्यूनीकरण उपायों में रैन वाटर हार्वेस्टिंग ढांचों का निर्माण, बाढ़ व

टायफून डायिक, मकानों की पुनः संरचना, पानी के समुचित बहाव के स्वच्छता व्यवस्थाएं, फसलों का विविधीकरण, वानिकीकरण, वृक्षारोपण और भूमि उपयोग नियोजन आदि सम्मिलित है। शुरूआत में संभावित जोखिम न्यूनीकरण उपायों की एक सची चिन्हित कर लेनी चाहिए बाद में स्थानीय संसाधनों, संस्कृति और विभिन्न जोखिम न्यूनीकरण उपायों के विश्लेषण के आधार पर उनका प्राथमिकीकरण करना चाहिए।

संसाधनों की आवश्यकताओं का चिन्हित करना समुदाय में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों को चिन्हित करने के लिए समूह द्वारा क्षमता आंकलन चरण के दौरान संकलित आंकड़े/डाटा का संदर्भ लिया जा सकता है। समूह, आगे चलकर, जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक अतिरिक्त संसाधनों एवं संभावित स्रोतों पर चर्चा कर सकता है, जैसे स्थानीय सरकार, गैर सरकारी संस्थाएं, शोध संस्थान, बैंक आदि प्रत्येक गतिविधि के क्रियान्वयन के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी। इसका आंकलन भी करना आवश्यक है जिससे कि प्रत्येक गतिविधि के सापेक्ष बजट तैयार किया जा सके।

उत्तरदायित्व एवं शेड्यूल जोखिम न्यूनीकरण उपायों को प्राथमीकरण व संसाधनों को चिन्हित करने के पश्चात् विभिन्न हितधारकों को उनकी भूमिकाएं भी निर्धारित कर देनी चाहिए जिससे यह स्पष्ट रहे कि किसे क्या करना है। गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु एक वास्तविक समय सीमा भी तय कर लेनी चाहिए। समूह क्रियान्वयन प्रक्रिया की मॉनीटरिंग व्यवस्थाओं पर भी चर्चा कर सकता है।

आवश्यक संसाधनों तथा उपलब्ध स्रोतों को चिन्हित करने के पश्चात्, समुदाय सदस्य व स्थानीय प्राधिकारी साथ मिलकर चिन्हित कार्यों को निश्चित समय सीमा में निष्पादित करने के लिए एक कार्य दल (समुदाय आधारित संगठन) का गठन कर सकते हैं।

इस सत्र को विस्तृत तरीके से संचालित करने की आवश्यकता है जिसमें निम्न को सम्मिलित किया जा सके।

1. आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने में ग्राम पंचायत की भूमिका व सम्मिलित होना?
2. ग्राम आपदा प्रबंधन योजना के चरण व प्रक्रिया
3. ग्राम आपदा प्रबंधन योजना की विषय वस्तु/घटक आदि

सत्र–IV

समुदाय संचालित समितियां एवं कार्य दल

सत्र उद्देश्य

इस सत्र के अंत तक प्रतिभागी का वर्णन करने के सक्षम हो जायेंगे

- समुदाय संचालित समितिय समितियां व कार्य दल गठित करने के चरण
- आपदाओं की विभिन्न अवस्थाओं में समुदाय संचालित समितियां समितियां व कार्य दलों के कार्य
- समुदाय संचालित समितिय समितियां व कार्य दलों का प्रशिक्षण

मुख्य अवधारणा

- समुदाय स्तर की समितियां आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों को आपदा के पूर्व, दौरान व पश्चात् की अवस्थाओं में क्रियान्वित करेंगी। ये गतिविधियां कार्य योजना, जागरूकता बढ़ाना, समुदाय को संगठित करना, ड्रिल्स, राहता आवश्यकता आंकलन, आपातकालीन अनुक्रिया, कैम्प प्रबंधन, आपदा के पश्चात् पुनरूत्थान आदि हो सकती हैं। सहभागी आपदा जोखिम आंकलन के पूरा हो जाने पर समुदाय के लिए एक आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना बनायी जाती है।
- इस प्रक्रिया में आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों को चिन्हित किया जाना सबसे महत्वपूर्ण है जिसे प्राथमीकृत किया जाता है।
- मुख्य हितधारकों व उपलब्ध संसाधनों का विश्लेषण भी योजना बनाने की प्रक्रिया में किया जाता है।
- कार्य योजना आपदा स्थिति का वर्णन करेगी जिसमें विपदाएं, संवेदनशीलता, सामुदायिक संसाधन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, हितधारकों की भूमिकाएं, दायित्व, समय सारिणी व पुष्टिकरण संकेतक सम्मिलित किये जाने होगें।

विषय वस्तु की रूपरेखा

जोखिम न्यूनीकरण उपायों को प्रभी ढंग से अपनाने हेतु सबसे अच्छा है कि समुदाय के अन्दर ही एक समिति हो जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना और इसका क्रियान्वयन कर सके। समिति का स्वरूप समुदाय की स्थिति के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकता है। समुदाय के अन्दर विद्यमान समितियों/संस्थाओं की समझ होना आवश्यक है। यह भी हो सकता है कि पहले से विद्यमान समिति के अन्दर ही आपदा जोखिम न्यूनीकरण समिति गठित कर ली जाये तथापि यदि अभी तक समुदाय में कोई समिति विद्यमान नहीं हैं तो समुदाय आपदा जोखिम न्यूनीकरण समिति की शुरूआत की जा सकती है। इस समिति के सदस्य कौन होंगे। इसका निर्णय गांव के नेता व ग्रामवासी साथ मिलकर करेंगें।

सदस्यों की एक सांकेतिक सूची निम्नानुसार है

1. पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि जैसे पंचायती राज संस्थाओं लीडर, वार्ड मैम्बर आदि
2. आंगनवाड़ी कार्यकत्री (ICDS)
3. स्वास्थ्य कार्यकर्ता/आशा कार्यकत्री आदि
4. अध्यापक
5. धार्मिक नेता/वरिष्ठ नागरिक
6. युवा सदस्य (लड़के व लड़कियां)
7. स्वयं सहायता समूह (महिला व पुरूष समूह)
8. अन्य प्रमुख विभागों के कार्मिक/प्रसार अधिकारी जैसे कृषि, औद्योगिक, पशु–चिकित्सा, सिंचाई, विकास खण्ड आदि
9. 12–14 वर्ष के आयु के बच्चे/किशोर
10. समुदाय आपदा जोखिम प्रबंधन संगठन का उद्देश्य समुदायों को सक्षम बनाना है कि वे आने वाली आपदाओं के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सके और दीर्घकालीन में आपदा स्थिति स्थापक बन सके। समुदाय आपदा जोखिम प्रबंधन योजना में रेखांकित गतिविधियों के माध्यम से क्रियान्वित करने में सक्षम हो सकेंगी।

सत्र कुल अवधि : पैंतालीस मिनट (15.45–16.30 बजे)

विस्तृत सत्र योजना
विषय आपदा जोखिम न्यूनीकरण समितियां तथा कार्यदल गठित करने हेतु विभिन्न चरण (15 मिनट)
एक समिति गठित करने के लिए चरणां का क्रमवद्व तरीके से होना आवश्यक नहीं है। यह समुदाय के सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक व आपदा के संदर्भ पर ही निर्भर करेगां।

प्रायः समुदाय को संगठित करने के लिए निम्न चरणों का प्रयोग किया जाता है। घटना स्थल पर पहुंचना और सद्भाव बनाना, पारिस्थितिक विश्लेषण, प्राथमिक सेक्टरों व स्वाभाविक नेताओं को चिन्हित करना एवं समुदाय के जोखिम न्यूनीकरण उपायों को फैसिलिटेट करना।

इन चरणों की चर्चा समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रक्रिया में की जा चुकी है, जिसमें से ग्राम समिति का गठन किया जाना एक महत्वपूर्ण चरण है। सहभागी आपदा आंकलन एवं योजना बनाने के पश्चात् समुदाय प्रबंधित क्रियान्वयन की चर्चा की गयी। इस समय एक सामुदायिक समिति अथवा संगठन बनाने यदि पहले से इस प्रकार की कोई समिति विद्यमान नहीं है तो आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। इस चरण में संभव है कि क्रियान्वयन की योजना बनाने हेतु एक समिति का गठन करने के लिए समुदाय को समझाने की आवश्यकता हो। अन्य संदर्भो में, समुदाय स्वयं ही इस आवश्यकता का अनुभव कर लें और उसे समझााने की आवश्यकता न पड़े तथापि समुदायों को संगठन या स्थानीय संस्था जैसे पंचायत अथवा पंचायत समिति का गठन करने के लिए तकनीकी मार्ग दर्शन की आवश्यकता हो सकती है।

विषय–2– आपदा की विभिन्न अवस्थाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण समितियां तथा कार्य दल

आपदा जोखिम प्रबंधन के चरणों (पूर्व दौरान व पश्चात्) के अनुरूप समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के कार्यों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।

समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तैयारी कार्य

- सामुदायिक आपदा जोखिम प्रबंधन योजना को समुदाय के सभी सदस्यों साथ शेयर करना
- सामुदाय के सदस्यों को योजनाबद्व किये गये आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों को क्रियान्वित करने के लिए संगठित करना
- उन संसाधनों को एकत्रित करना जिन्हें समुदाय अपने स्तर से न तो उत्पादन कर सकता है न ही उन तक पहुंच ही है।
- संवेदनशील समुदायों में आपदा की आहट से पहले ही समुदाय को जागरूक करना समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के कार्यों में से एक है
- समुदाय के सदस्यों के साथ आपदा तैयारी का प्रशिक्षण आयोजित करना
- समुदाय में जागरूकता लाना कि आपदा के पूर्व, दौरानव बाद में क्या करना चाहिए
- आपदा खतरों को मॉनीटर करना, ड्रिल्स आयोजित करना और योजना में सुधार के लिए सीख लेना
- सरकारी आपदा प्रबंधन समितियों या काउन्सिल, गैर सरकारी संस्थाओं, अन्य समुदायों आदि के साथ नेटवर्किंग, व समन्वयन
- सामुदायिक आपदा जोखिम प्रबंधन में सहयोग हेतु आपदा प्रबंधन एवं विकास सम्बंधी मुद्दों के सदंर्भ में पैरवी तथा प्रचार में सम्मिलित होना
- आपदा जोखिम प्रबंधन में सदस्यता बढ़ाना व सम्बद्वता

समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के आपातकालीन कार्य

- चेतावनी जारी करना
- निकासी प्रबंधन
- खोज व बचाव कार्यों को सामुदायिक सहभागिता के साथ करना
- क्षति आवश्यकता क्षमता आंकलन करना तथा सरकार और आपदा प्रबंधन एजेंसीज को क्षति के विषय में रिपोर्ट करना
- राहत पहुंचाने के कार्यों को सहायता प्रदान करने वाली एजेन्सीज के साथ समन्यवित, संचालित, नियोजित व क्रियान्वित करना

समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के पुनरूत्थान कार्य

- समुदाय का सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, पुनर्वसन, जैसे आजीविका, ट्रामा काउन्सलिंग, मकान व आधारभूत सुविधाओं के पुनर्निमाण को फैसिलिटेट करना
- सरकार तथा पुनर्वसन में सहायता देने वाली संस्थाओं के साथ समन्वयन
- यह सुनिश्चित करना कि पुर्नर्निर्माण एवं पुनर्वसन अवस्थाओं में जोखिम न्यूनीकरण उपायों का समावेशन हो
- समुदाय की सुरक्षा को प्रोत्साहित करने तथा भावी सुधारों के लिए रणनीति चिन्हित करने हेतु समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्षमता एवं प्रभावशीलता के सदंर्भ में कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन करना

टॉपिक–3–आपदा जोखिम न्यूनीकरा समितियां व कार्य दलों का प्रशिक्षण

प्रशिक्षण का उद्देश्य आपदा जोखिम प्रबंधन से संबंधित कार्यों के सफल क्रियान्वयन हेतु समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रबंधन संगठन क्षमताओं का निर्माण व वृद्वि करना है तथा आपदा जोखिम को कम करने हेतु एक स्वतंत्र संगठन के रूप में कार्य करना है।

दो मुख्य क्षेत्र जिसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी

- समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन में प्रशिक्षण
- संगठन के प्रबंधन व विकास में प्रशिक्षण

आपदा जोखिम प्रबबंधन प्रशिक्षण का निम्न पहलुओं पर विशेष बल रहेगा

आपदा तैयार व अनुक्रिया, जिसमें निम्न सम्मिलित होगें

- खोज एवं बचाव
- चिकित्सकीय प्राथमिक सहायता
- राहता समन्वयन, वितरण
- आपातकालीन आश्रय प्रबंधन
- निकासी प्रबंधन

आपदा जोखिम न्यूनीकरण में क्षमता विकसित करना, जिसमें निम्न बिन्दु सम्मिलित होगें।

- आपदा जोखिम पर सम्वेदीकृत करना
- जोखिम आंकलन करना
- जोखिम संचार को डिजाइन व सम्पादित करना
- खतरे की स्थानीय पूर्व चेतावनी व्यवस्थाओं को डिजाइन करना
- ढांचागत रोकथाम
- आजीविका को बनाये रखना
- समुदाय संवेदनशीलता न्यूनीकरण के लिए पैरवी टॉपिक

संगठनात्मक प्रबंधन एवं विकासपरक प्रशिक्षण

यह प्रशिक्षण समुदायिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण समिति के स्टाफ व सदस्यों के लिए है जिससे कि उन्हें समुदायिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण समिति की भूमिकाओं व कार्यों को प्रवाही सम्पादन के लिए तैयार किया जा सके।

निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाना होगा

- नेतृत्व
- नियोजन
- समझौता वार्ता द्वन्द प्रबंधन व द्वन्द निपटाना/सुलझाना
- सामुदायिक मोबिलैजेशन
- बजटिंग व वित्तीय प्रबंधन
- प्रस्ताव एवं रिर्पोट लिखना
- बैठक या प्रशिक्षण को फैसिलिटैट करना
- दस्तावेजीरकण

समुदायिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण समिति हेतु प्रशिक्षण रूपरेखा तय करने की प्रक्रिया
इसका निर्धारण निम्न 5 चरणों का प्रयोग करते हुए किया जाएगा

- प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आंकलन
- प्रशिक्षण सामग्री की डिजाइन व टेस्टिंग
- प्रशिक्षण का आयोजन
- मूल्यांकन व फीडबैक
- पुनः अवलोकन/संशोधन

प्रशिक्षण प्रारूप–III

समुदाय आधारित आपदा जोखिम क्रियान्वयन का विकास योजना के साथ समायोजन

सत्र– I

समुदाय प्रबन्धित क्रियान्वयन

सत्र का उद्देश्य

सत्र की समाप्ति पर प्रतिभागी निम्न बिन्दुओं को बताने में सक्षम हो

- समुदाय आधारित क्रियान्वयन के महत्वपूर्ण पहलू
- सहभागी पुर्नावलोकन एवं अनुश्रवण प्रक्रिया
- सहभागी क्रियान्वयन प्रक्रिया के सिद्वान्त
- विकास कार्य योजना में एवं समुदाय आधारित क्रियान्वयन को कैसे एकीकृत करें।

महत्वपूर्ण बिन्दु

- समुदाय को आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु उठाए जाने वाले दीर्घकालीन उपायों के लिए सक्षम बनाना। इसके लिए आवश्यक है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु एक समुदाय आधारित समिति का गठन किया जाये या उपस्थित समिति को आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सक्षम बनाया जाये।
- समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण समिति के गठन के लिए उपयुक्त समय तब है कि जबकि कार्य योजना प्रक्रिया चल रही हो। फिर भी अन्य गतिविधियों में समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण समिति का गठन उससे पहले भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए समुदाय जोखिम गणना के पूर्व सामुदायिक समिति के गठन की प्रक्रिया विभिन्न समुदायों में अलग–2 हो सकती है। यह समुदाय की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं आपदा पर आधारित हो सकती है।
- समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण समिति आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु गतिविधियां आपदा के पूर्व, आपदा के समय एवं आपदा के उपरान्त कर सकती हैं। ये गतिविधियां कार्य योजना, जागरूकता, समुदाय को तैयार करना, गठन हेतु जरूरतों का मूल्यांकन, आपातकालीन प्रतिक्रिया, शिविर प्रबंधन एवं आपदा के उपरान्त प्रति प्राप्ति।

रूपरेखा

सहभागी कार्य योजना का परिणाम आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना हो सकती है। कहीं पर इसमें सूक्ष्म स्तर की गतिविधियों को सम्मिलित किया जाये जबकि दूसरे समुदाय में यह वृहद स्तर पर आपदा जोखिमक ार्यक्रम या परियोजना का रूप ले सकता है।

सत्र का समय – 60 मिनट

विस्तृत सत्र योजना

विषय–1

आपदा जोखिम न्यूनीकरण सामुदायिक समिति को जोखिम से बचाव के हर उपायों को योजना अनुसार लागू कर देना चाहिए। इन संगठनों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सुनियोजित गतिविधियां उपलब्ध संसाधनों द्वारा समय पर लागू हो गयीं। इसमें अनेकों लक्ष्यों एवं प्रतिक्रियाओं को समाहित होना चाहिए उदाहरण के लिए लक्ष्य, सामुदायिक संसाधनों को तैयार करना, क्षमता वृद्वि, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन एवं सामंजस्य बनाना।

सामुदायिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण समिति को चिन्हित आवश्यक आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों को लागू करने हेतु उपयुक्त समितियों का गठन करें उदाहरण के लिए जोखिम संचार समिति, स्वास्थ्य समिति, निकासी समिति, पुर्वानुमान चेतावानी समिति, कृषि समिति इत्यादि। इन समितियों को स्पष्ट रूप से उत्तरदायित्वों का ज्ञान कराना एवं यह सुनिश्चित करना कि उन्होंने व्यक्तियों एवं समूहों तक

आवश्यक कौशल के साथ सौंपे गये कार्यों को लागू कर दिया है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण समिति ने वृहद समुदाय एवं संसाधनों को विभिन्न गतिविधियों हेतु तैयार कर लिया है।

समिति में कम से कम एक व्यक्ति अवश्य होना चाहिए जो कि निम्न उत्तरदायित्वों को निभा सके।

नेतृत्व की भूमिका (समिति की सभी गतिविधियों का उत्तरदायी हो)

प्रबंधक की भूमिका (संस्तुतित गतिविधियों का कार्यान्वयन करना)

तकनीकी भूमिका (इनपुट प्रदान करना)

वित्तीय प्रबंधन की भूमिका (उचित लेखा जोखा सुनिश्चित करना)

प्रशासनिक भूमिका (प्रबंधन में सहायता प्रदान करना)

सामाजिक तैयारी (सामुदायिक संसाधनों को तैयार करना)

क्षमता निर्माण

यह आवश्यक है कि उत्तरदायी व्यक्तियों एवं समिति सदस्यों को अपनी गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी रूप से दक्ष होना चाहिए। यदि वे दक्ष नहीं हैं तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपाय प्रभावित होंगे जो कि क्षमता निर्माण को इसका एक आवश्यक अंग बनाना है। यह स्थानीय परिस्थितियों एवं सामुदायिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण समिति की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। कि क्षमता निर्माण किया जा सकता है या तो योजना और सहभागी आपदा जोखिम मूल्यांकन के पूर्व या कार्यान्वयन के समय। एक बार सामुदायिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण समिति होने के बाद वह साथी स्वयं सेवी संस्थाओं और सरकारी संस्थाओं से मदद लेकर अपने कर्मचारियों का क्षमता निर्माण कर सकता है।

संसाधनों की तैयारी

संसाधनों की तैयारी की प्रक्रिया की सहभागी आपदा जोखिम, मूल्यांकन एवं योजना निर्माण के स्तर पर शुरू किया जा सकता है। यद्यपि यह कार्यान्वयन के दौरान भी जारी रह सकता है। क्यों कि वहां पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता की आवश्यकता हमेशा रहेगी। अगर आवश्यक तकनीकी कौशल उपलबध नहीं है तो सामुदायिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण समिति बाहर से साथियों एवं हितधारकों को तैयार कर सकती है। उदाहरण के लिए सरकारी विभागों, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों की आवश्यकता हेतु ले सकती है। सामुदायिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण समिति के सदस्यों एवं संगठनों की क्षमता निर्माण हेतु संसाधनों की तैयारी को भी सम्मिलित करना चाहिए तथा संसाधनों की तैयारी की एक श्रृंखला तैार करनी चाहिए उदाहरण के लिए मानव/भौतिक, प्राकृति/आर्थिक

अनुश्रवण

सामुदायिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण समिति द्वारा क्रियान्वित जोखिम न्यूनीकरण हेतु उठाए गये संस्तुति उपायों की प्रगति की अनुश्रवण हेतु गतिविधियों की व्यवस्था करनी चाहिए। अनुश्रवण के अर्न्तगत गतिविधियों पर प्रगति, समय सीमा,बजट, घटक, परिणाम, उद्देश्यों एवं आपदा न्यूनीकरण उपायों को लेना चाहिए। इसमें यह भी देखना चाहिए कि इसका किसी पर उल्टा प्रभाव तो नहीं है एवं किसी ने छोड़ा तो नहीं है यदि हां तो क्यों? सहभागी अनुश्रवण व्यवस्था को हितधारकों के साथ मिलकर स्थापन करनी चाहिए यह सुनिश्चित करते हुए कि वह अपनी आवश्यकतानुसार क्या और कैसे अनुश्रवण करना चाहते हैं एवं कब वे जानकारी एकत्रित करना चाहेंगे। अनुश्रवण प्रक्रिया के अन्तर्गत जानकारी एकत्रित करना समीक्षा करना एवं रिपोर्टिंग करना आयेगा। जोखिम न्यूनीकरण उपायों के कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा समुदाय प्रबंधित कार्यान्वयन का एक महत्वपूर्ण घटक है। सामुदायिक आपदा जोखिम न्यूनीकरा समिति को हितधारकों के साथ मिलकर आवधिक बैठक में प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए। बैठकें परियोजना की

अवधि आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना की आवश्यकता एवं हितधारकों की सहमति से पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक या त्रैमासिक अवधि में करनी चाहिए। समीक्षा में सभी कार्यान्वयन व्यक्तियों एवं समूहों की रिपोर्टों को सम्मिलित करना चाहिए।

लक्ष्यों एवं योजनाओं में समायोजन

जोखिम न्यूनीकरण उपायों द्वारा उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जैसे की योजना प्रक्रिया के समय कल्पित किये गये थे में आवश्यकतानुसार समायोजित किया जा सकता है।

कार्यान्वयन के समय सामुदायिक आपदा न्यूनीकरण समिति

क्रियान्वयन के समय यदि सामुदायिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण समिति एवं अन्य हितभागी पाते हैंकि कुछ गतिविधियां उतनी उपयुक्त एवं प्रभावशाली नहीं है जितना कि योजना निर्माण के समय सोचा गया था या कुछ गतिविधियां अन्य समूहों में नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। सामुदायिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण समिति को उन गतिविधियों के घटकों, समय सीमा और बजट में उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक समायोजन आवश्यक करना चाहिए। सा.आ.जो.न्यू. समिति को नयी चिन्हित गतिविधियां एवं लक्ष्यों के लिए अतिरिक्त संसाधनों की तैयारी कर लेनी चाहिए।

विषय–2

सहभागी समीक्षा एवं अनुश्रवा प्रक्रिया

सामुदायिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण समिति को हितभागियों को आविधिक समीक्षा बैठक आमंत्रित कर सहभागी समीक्षा प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए। निम्न प्रारम्भिक कार्यवाही आवश्यक है।

सामुदायिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण को आविधिक समीक्षा बैठक में सभी हितभागियों को मोखिक पत्र या फोन द्वारा आमंत्रित करना चाहिए। उन्हें रिर्पोटिंग फार्मेट भेजना चाहिए तथा ज्यादा से ज्यादा स्मरण पत्र जारी करने चाहिए।

सामुदायिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण समिति को बैठक का स्थान एवं आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए उदाहरण के लिए बैठक का कमरा, फिलप चार्ट, मार्कर, कम्प्यूटर एवं प्रोजेक्टर आदि उपलब्ध हो एवं आवश्यक है।

सामुदायिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण समिति को एक नोट टेकर नियुक्त करना चाहिए जो कि बैठक का कार्यवृत्त तैयार करेगा और बैठक के सभी प्रतिभागियों को उपलब्ध करायेगा।

विषय–3

सहभागी क्रियान्वयन प्रक्रिया के सिद्वान्त (15 मिनट)

एक सहभागी क्रियान्वयन प्रक्रिया सामुदायिक स्तर पर सभी हितभागियों को सहभागिता को एकीकृत करगी। जोखिम न्यूनीकरण के अउपयों एवं तरीकों के निर्धारण हेतु सभी हिभागियों को सम्मिलित करना चाहिए। जिससे उसके क्रियान्वयन में सफलता एवं स्थिरता मिलती है और आत्म विश्वास में वृद्वि होती है।

सहभागी क्रियान्वयन प्रक्रिया आरोही

नियोजन प्रक्रिया को बढ़ाता है। नीचे सहभागी क्रियान्वयन प्रक्रिया के 8 दिशा निर्देशन सिद्वान्त प्रस्तुत हैंः

1. सभी हितभागियों की सहभागिता व्यक्तियों, सामाजिक, समूहों, संगठनों एवं अन्य हितभागियों को परियोजना क्रियान्वयन प्रक्रिया के आरम्भ से ही जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है।

2. **संवादात्मक संचार** : मतों की विविधता का सम्मान करना चाहिए। विभिन्न सभ्यताओं, समूहों, विषयों, आर्थिक एवं सामाजिक स्तर के लोगों को मिलकर काम करते एवं विचारों के आदान प्रदान से समस्याओं का बेहतर समाधान खोज सकते हैं।
3. **अनुक्रमिक प्रक्रिया :** विभिन्न प्रक्रियाओं एवं उपकरणों के उपयोग हेतु स्थिति का विश्लेषण एवं समस्याओं का स्पष्ट समझ को स्थापित कर समुदाय के लिए एक दृष्टिकोण बनाना चाहिए।
4. **चक्रीय प्रक्रिया** : योजना को चक्रीय रूप से अंजाम देने के लिए फीडबैक द्वारा परियोजना की गतिविधियों को अनुभव के आधार पर संशोधित करना चाहिए। निर्णयों में चलीलापन सहभागी परियोजना चक्रीय प्रबंध प्रक्रिया की मजबूती प्रदान करता है।
5. **व्यवस्थित विश्लेषण** : परियोजना के विश्लेषण क्रियान्वयन स्थल के बाह्य एवं आन्तरिक पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए।
6. **पर–सांस्कृति संवेदनशीलता** : उन उपायों एवं उपकरणों का प्रयोग करें जो कि समुदाय के विभिन्न सह समूहों की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए स्वीकार्य हो। प्रक्रिया इतनी लचीली हो कि उसमें परिवर्तन संभव हो।
7. **परदर्शिता** : हितभागियों के मध्य खुले संवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा निर्णयों के परिणामें एवं उपायों तथा उपकरणों के प्रयोग पर निरन्तर प्रतिक्रिया लेते रहना चाहिए।
8. **आम सहमति की ओर रूख** : सहभागी योजना प्रक्रिया के अर्न्तगत परिचर्चा के दौरान भिन्न समूहों एवं हितों के कारण सदैव पूर्ण आम सहमति सम्भव नहीं है। हालांकि आपसी समझ और योजना प्रक्रिया में शामिल लोगों के बीच आपस सहमति के आधार पर संबंध विकसित करने के लिए पारदर्शिता की प्रक्रिया द्वारा स्थापित किया जाता है। यह प्रक्रिया प्रत्येक परिस्थिति में आम सहमति प्राप्त करने की ओर काम करती है।

विषय–4

आपदा जोखम न्यूनीकरण एवं सी.सी.ए. को विकास कार्य योजना के साथ कैसे एकीकृत करें।

सामुदायिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण समिति को आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं समुदाय आधारित क्रियान्वयन के सभी मुद्दों की पहचान कर विकास एवं समाज कल्याण कार्यक्रमों में एकीकृत करना चाहिए। जबकि ग्राम सभा की बुनियादी सुविधाओं की वार्षिक कार्य योजना की तैयारी में जैसे रोड, सार्वजनिक भवन एवं अन्य गतिविधियों के साथ सामुदायिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण समिति को जोखिम की पहचान एवं शमन के उपाय तैयार कर उनके प्राथमिकीकरण में अहम भूमिका निभानी चाहिए।

विभिन्न समूहों एवं संगठनों जिनका हित स्थानीय अधिकारियों द्वारा क्रियान्वित आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों में हो के बीच में समन्वय स्थापित करना। समन्वय का उद्देष्य स्थानीय अधिकारियों एवं समुदायों एवं अन्य संगठनों के बीच में सम्बंध स्थापित करना है। उदाहरण के लिए स्वयं सेवी संस्थायें, दानकर्ताओं, जन संगठनों, श्रमिक संघों, निजी संगठनों के क्रम में

- परियोजना के सहयोग हेतु तैयार करना
- अतिरिक्त संसाधनों को तैयार करना
- बेहतर परिणामों के लिए तकनीक एवं ज्ञान को साझा करना।

एक अच्छे समन्वय को स्थापित करने हेतु स्थानीय अधिकारी हितधारकों के साथ बैठक कर परियोजना के उद्देश्यों एवं गतिविधियों को साझा कर सकते हैं। वे परियोजना की गतिविधियों में सुधार हेतु हितधारकों के भी विचार ले सकते हैं।

सत्र -III

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

सत्र का उद्देश्य

सत्र के अन्त में प्रतिभागी यह बताने में सक्षम होगें :

- सहभागी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के सिद्वान्त
- अनुश्रवण के प्रकार
- मूल्यांकन प्रक्रिया

प्रमुख धारणाएं

- समन्वय मौजूदा या भविष्य के कार्यक्रमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए अन्य संगठनों या व्यक्तियों के साथ सम्बंधों के बारे में काम कर रहा है।
- क्षमता निर्माण स्थानीय अधिकारियों एवं सामुदायिक संगठनों के मध्य समन्वय एवं सम्बंध स्थापित करने के लए अति आवश्यक है।
- अनुश्रवण की देखरेख हितधारकों एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन के प्रबंधकों द्वारा करनी चाहिए। जिससे सुविधाओं, कार्य, अनुसूची, लक्ष्यों एवं अन्य गतिविधियों की प्रगति योजना के अनुरूप हो सके।

अनुश्रवण को तीन श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं :

1. प्रक्रिया अनुश्रवण
2. प्रभाव अनुश्रवण
3. अनुश्रवणिक परिवर्तन
4. मूल्यांकन एक गतिविधि है जिससे परियोजना के परिणामों का विश्लेषण होता है जिससे परियोजना के उद्देश्यों की प्राप्ति का ांकलन किया जा सकता है।

सामग्री की रूपरेखा

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन स्थानीय अधिकारियों एवं समुदाय को परियोजना की गतिविधियों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के बारे में बताने के लिए महत्वपूर्ण है। स्थानीय अधिकारी एवं सामुदायिक सदस्य मिलकर उनकी गतिविधियों के उद्देश्यों एवं कार्य प्रणाली के अनुश्रवण के लिए सहमत हो सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि स्थानीय अधिकारियों के प्रतिनिधि, समुदाय और अन्य किसी स्थानीय संगठन उदाहरण के लिए स्वय सेवी संस्था, जन संगठनों की इस प्रक्रियों भागीदार बनाया जाये।

<u>सत्र का पूर्ण समय 1 घंटा 15 मिनट</u>

<u>विस्तृत सत्र योजनाः</u>

प्रशिक्षक निर्देशिका

प्रशिक्षक को चाहिए कि इस सत्र में मंथन हेतु यह प्रश्न उठाये कि ''अनुश्रवण एवं मूल्याँकन से वे क्या समझते हैं?'' ''यदि वे अपने दैनिक कार्यों के विभिन्न स्तरों से उदाहरण दे सकते हैं''। ''अनुश्रवण एवं मूल्याँकन में क्या अन्तर है?'' के उपरान्त क्योंकि अनुश्रवण विकास कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के सफल प्रबन्धन की एक महत्वपूर्ण कुंजी है व यह मूल्याँकन से किस प्रकार भिन्न है और क्यों मूल्याँकन एक परियोजना की योजना एवं क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है।

अनुश्रवण एक समीक्षा है और हितधारकों और गतिविधियों के क्रियान्वयन के प्रबन्धकों द्वारा इनपुट डिलिवरीज, कार्य अनूसूची, लक्ष्य एवं परिणामों का योजनानुसार प्राप्ति की देख रेख है। अनुश्रवण के द्वारा

हम समय पर परियोजना की प्रभावशीलता की सटीक सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अनुश्रवण के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि गतिविधियां समय पर और योजनानुरूप समय पर नहीं चल रहा है तो स्थानीय अधिकारी और समुदाय के सदस्य इस पर उचित कार्यवाही करने का निर्णय ले सकते हैं व जिससे वांछित परिणाम प्राप्त किये जा सके। एक परियोजना के क्रियान्वयन में अनुश्रवण निम्न पहलुओं पर लागू किया जा सकता है।

प्रक्रिया अनुश्रवणः—

यह गतिविधियों को समय पर आवश्यक इनपुट के साथ योजनानुरूप देखरेख के लिए है। यदि क्रियान्वयन कार्यक्रम से पीछे चल रहा है तो स्थानीय अधिकारी एवं सामुदायिक सदस्य इस पर कार्यवाही कर परिस्थिति में सुधार कर सकते हैं। वे क्रियान्वयन को तेज करने के लिए नए कर्मचारियों की भर्ती का निर्णय ले सकते हैं या वे क्रियान्वयन की सुविधा हेतु और उपकरण एंव मशीनें खरीद सकते हैं। यदि उनके पास और कर्मचारियों की नियुक्ति एवं मशीनों तथा उपकरणों की खरीददारी के लिए पर्याप्त धन नहीं है तो वे परियोजना के कार्यकाल को बढ़ाने या कुछ गतिविधियों को हटाने का निर्णय ले सकते हैं।

प्रभाव एवं परिवर्तन अनुश्रवणः

प्रभाव अनुश्रवण में स्थानीय अधिकारी एवं समुदाय इस बात की समीक्षा कर सकते हैं कि क्रियान्वित गतिविधियां लक्षित लाभार्थियों पर धनात्मक प्रभाव डाल रहे हैं या नही। वे इस बात की भी निगरानी करेंगे कि लाभार्थियों या समुदाय के अन्य किसी समूह पर ऋणात्मक प्रभाव तो नहीं डाल रहे हैं। यदि किसी कारण सभी लाभार्थियों को परियोजना गतिविधियों से लाभ नहीं मिल पा रहा है तो स्थानीय अधिकारी एवं सामुदायिक सदस्य इसके कारणों का विश्लेषण कर सकते हैं और उन रणनीतियों को पता कर सकते हैं जिसमें सभी को लाभ मिले। यदि कुछ समूहों को परियोजना की गतिविधियों के कारण हानि हो रही है तो स्थानीय अधिकारी एवं सामुदायिक सदस्यों को उचित परिवर्तन कर हानि को रोक सकते हैं।

अनुश्रवण के विभिन्न माध्यम, निम्नवत हैं—

- परियोजना कर्मचारियों एवं परियोजना प्रबन्धकों के बीच समीक्षा बैठकें करना।
- स्थानीय अधिकारियों एवं सामुदायिक सदस्यों द्वारा परियोजना स्थल का मुआयना करना।
- गतिविधियों के क्रियान्वयन पर प्रगति रिपोर्ट तैयार करना।
- परियोजना की सफलता एवं प्रभाव को जानने के परियोजना लाभार्थियों का सर्वेक्षण करना।

मूल्याँकनः

मूल्याँकन स्थानीय अधिकारियों एवं सामुदायिक सदस्यों को उपलब्धियों, परिणामों एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजना प्रभाव या गतिविधियों की गणना करने में सहायता प्रदान करता है। मूल्याँकन सामान्यतः गतिविधियों या परियोजना के समापन पर किया जाता है। यद्यपि मूल्याँकन क्रियान्वयन के समय स्वतः किया जा सकता है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि परियोजना अपने उद्देश्यों एंव आपदा जोखिम न्यूनीकरण के परिणामों को प्राप्त करने में सफल रहा है या नहीं।

मूल्याँकन के परिणाम स्थानीय अधिकारियों एवं सामुदायिक सदस्यों को उपलब्धियों की गणना एवं जोखिम न्यूनीकरण के लक्षित समूहों पर संवेदनशीलता न्यूनीकरण के प्रभाव को जानने में मदद करता है। यदि संवेदनशीलता में काफी गिरावट नहीं हुई है तो इसके कारणों का विश्लेषण करना चाहिए। मूल्याँकन उन्हें लागू की गयी सफल रणनीतियों को सीखने में मदद करता है। वे अच्छी आदतों को भविष्य में जारी रख सकते हैं और अन्य क्षेत्रों में भी उसको बढ़ावा दे सकते हैं। मूल्याँकन द्वारा इस बात का भी विश्लेषण कर सकते हैं यदि समुदाय में कोई समूह परियोजना गतिविधियों के कारण ऋणात्मक प्रभावी हो रहा है। उचित कार्यवाही को पता करके परिस्थितियों में सुधार लाया जा सकता है और लोगों से ऋणात्मक प्रभाव को रोका जा सकता है। मूल्याँकन एवं विश्लेषण के आधार पर स्थानीय अधिकारी एवं समुदाय भविष्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों से बेहतरी के लिए पाठ सीख सकते हैं। एक अच्छे मूल्यांकन हेतु निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डालना महत्वपूर्ण है।

- मूल्याँकन का स्पष्ट उद्देश्य परिभाषित हो।
- मूल्याँकन के क्षेत्रों पर ध्यान देना।
- विभिन्न हितधारकों को मूल्याँकन प्रक्रिया में सहभागी बनाना; उदाहरण के लिए स्थानीय अधिकारी, सामुदायिक समूहों, परियोजना लाभार्थी, अन्य स्थानीय संगठनों उदाहरण (स्वयं सेवी संस्थाऐं, जन संगठन इत्यादि)
- मूल्याँकन कार्यप्रणाली पर आम सहमति।
- मूल्याँकन प्रक्रिया निम्न पहलुओं को सम्मिलित करती है।

- परियोजना प्रारूप एवं परियोजना प्रगति की रिपोर्ट की समीक्षा करना।
- परियोजना कर्मचारियों से सलाह करना।
- परियोजना लाभार्थियों से सलाह करना।
- अन्य सामाजिक समूहों जो कि परियोजना गतिविधियों से सीधे या परोक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं उनसे सलाह करना।
- अन्य प्रमुख हितधारकों, उदाहरण के लिए जन संगठनो, से सलाह करना
- परियोजना गतिविधियों की परियोजना स्थल पर गणना करना, उदाहरण के लिए आधारभूत सुविधायें।

मूल्यॉंकन एक विशेषज्ञों की स्वतन्त्र टीम जिनका क्रियान्वयन संगठन एवं लाभार्थी समुदाय से सम्बन्ध न हो द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार स्थानीय अधिकारी एवं समुदाय को उनके परियोजना के प्रभाव के बारे में निष्पक्ष मत प्राप्त हो सकता है। जबकि अन्य मामलों में मूल्यॉंकन एक मिश्रित टीम जिसमें वाह्य विशेषज्ञ एवं परियोजना हितधारकों को मिलाकर किया जा सकता है। वाह्य विशेषज्ञ क्रियान्वयन की प्रक्रिया में मार्ग दर्शन कर सकते हैं जबकि स्थानीय अधिकारियों के प्रतिनिधि एक समुदाय के साथ–साथ परियोजना लाभार्थी मूल्यॉंकन में सहभागी बन सकते हैं। यह कार्य प्रणाली अनुमति देती है कि सभी हितधारकों के दृष्टिकोण को उद्देश्यों, क्षेत्र, मूल्यॉंकन प्रणाली और सफलता या असफलता के पहलुओं को स्थापित करने में मदद करे।

सत्र– IV

आपदा जोखिम संचार

सत्र उद्देश्य
सत्र की समाप्ति पर प्रतिभागी यह वर्णित करने में सक्षम होंगे कि :

- आपदा जोखिम संचार की रूपरेखा
- जोखम संचार के उद्देश्य एवं महत्व
- जोखिम संचार के महत्वपूर्ण विचार एवं व्यवस्थित योजना

प्रमुख धारणाएं

- जोखिम संचार एक प्रक्रिया है सूचनाओं के आदान प्रदान की ओर समुदाय सदस्यों, स्थानीय अधिकारियों, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं अन्य हितधारकों के लिए एक सीख है। इसमें जोखिम की प्रकृति का संवाद, आपदा जोखिमक ा कारण एवं जोखिम के न्यूनीकरण की कार्य प्रणाली समाहित है। लोग आपदा जोखिम से निपटने के लिए अपने दृष्टिकोणों, विचारों या प्रतिक्रिया पर आम सहमति बनाकर साझा कर सकते हैं।
- विशिष्ट आपदा जोखिम संचार अभियान केन्द्रित हो सकता है एक अन्य संगठन के विशिष्ट आपदा से सम्बंधित विचारों को प्रभावित करने के लिए आपदा जोखिम संचार प्रक्रिया समाहित करता है।
    - जोखिम संचार के उद्देश्य को परिभाषित करना
    - आवश्यकता की पहाचन
    - जोखिम संचार सामग्री या कार्य प्रणाली को विकसित करना
    - सामग्री का परीक्षण
    - जोखिम संचार का क्रियान्वयन
    - जोखिम संचार अभियान के प्रभाव का मूल्यांकन

सामग्री की रूपरेखा
आपदा जोखिम संचार आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु समुदाय को तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। जब जागरूकता दृष्टिकोण यह मानता है कि लोग अनभिज्ञ है और इसलिए सरकार, स्वयं सेवी संस्थाओं और तकनीकी विशेषज्ञों को चाहिए कि उनकी जागरूकता बढ़ाये। अनुभव बताते है। कि स्थानीय समुदाय आपदा से निपटने की बहुत सी विधियों को जानते हैं। अनुभव यह भी बताते हैं कि स्थानीय अधिकारियों, समुदायों एवं अन्य कार्यकर्ता जैसे मीडिया, विद्यालयों, साधु और इमामों एवं व्यापारियों के मध्य आम सहमति से आपदा से निपटने की प्रभावी तैयारी करनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि एक क्षेत्र. में रहने वाले सभी पक्षों को एक दूसरे के विचारों को समझना चाहिए और एक सामान्य रणनीति बनानी चाहिए। स्थानीय स्तर के साथियों के मध्यम इस प्रकार के संचार के दृष्टिकोण यको आपदा जोखिम संचार के रूप में परिभाषित करते हैं।

सत्र की पूर्ण अविध : एक घंटा तीस मिनट (14.00 से 15.30)

विस्तृत सत्र योजना
विषय – 1 – आपदा जोखिम संचार की रूप रेखा : (30 मिनट)

आपदा जोखिम संचार लोकप्रिय है। जन जागरूकता या जन शिक्षा के रूप में यह आपदा जोखिम प्रबंधन में एक बहुत ही सामान्य रणनीति है। जन जागरूकता का लक्ष्य है किजोखिम एवं रोकथाम की गतिविधियों के प्रति समुदाय एवं अन्य हितधारकों को जागरूक करें। जबकि पारम्परिक अवरोही जन जागरूकता दृष्टिकोण की बहुत सारी सीमाएं हैं।

जोखिम संचार को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है कि व्यक्तियों समूहों एवं संस्थाओं के मध्यम सूचनाओं एवं आपसी विचारों का आदान प्रदान एक प्रक्रिया है, अक्सर इसमें आपदा की प्रकृति या चिंता व्यक्त करना, विचारों या जोखिम संदेशों या कानूनी एवं संस्थागत आपदा प्रबंधन के संदेश समाहित रहते हैं।

जोखिम संचार के कार्यकर्ता हैं सरकार, स्थानीय अधिकारी, निजी क्षेत्र, वैज्ञानिक संगठन, नियाक्त एवं कर्मचारी, समाचार, मीडिया, नगरीय सामाजिक संगठन, पर्यावरणविद, जोखिम में समूहों, नागरिकों एवं वे जिनकी कार्यवाही जोखिम को कम करती है। विभिन्न आपदा प्रबंधन उपायों पर हितधारकों की सहमति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। आपदा जोखिम प्रबंधन की रूपरेखा के लिए संयुक्त कार्यवाही अति आवश्यक है। आपदा जोखिम प्रबंधन के कार्यकर्ता विभिन्न स्तरों पर उपस्थिति करते रहते हैं। नियोजित जोखिम संचार यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न हितधारकों की धारणाओं एवं दृष्टिकोण को सुना गया है और सम्मिलित किया गया है।

जोखिम संचार निर्णयों की पारदर्शिता एवं फलादेश स्वीकारने की क्षमता में अवश्य मदद करता है,

विषय – 2 – जोखिम संचार का उद्देश्य एवं महत्व

जोखिम संचार के उद्देश्य हैं :

- जोखिम की प्रकृति एवं धारणाओं को समझने हेतु सूचनाओं के आदान एवं प्रदान में सहायता प्रदान करता है।
- जोखिम संबंधी विषयों में एक सामान्य उपायोग को तैयार करना।
- जोखिम निर्णयों के लिए बनाये गए ढांचे को सहायता या महत्व देना।
- एक आपसी सहमति को विकसित करना बजाए इसके किसी एक पक्ष के दृष्टिकोण को बढ़ाना।

जोखिम संचार के उद्देश्य हैं:

- जोखिम पर रह रहे लोगों को उस जोखिम के बारे में जानने का अधिकार है।
- यह जोखिम पर रह रहे लोगों को सूचित करने एवं समझदारी वाला विकल्प चुनने में मदद करता है।
- यह पारदर्शिता और खुलेपन के माध्यम से व्यवासायिक निकायों की वैद्यता सुनिश्चित करता है।
- यह सभी संबंधित पक्षों में आपसी समझ साझा जिम्मेदारी और निर्णय लेने में भागीदारी को बढ़ता है।
- यह दूसरों के मतों एवं दृष्टिकोण के लिए आदर एवं सम्मान विकसित करता है।

विषय – 3 – महत्वपूर्ण विचार एवं व्यवस्थित योजना का जोखिम संचार में

संचार एक गतिशील प्रक्रिया है, जिसमें लोग एक साथ श्रोता एवं स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। सामाजिक संदर्भ में संचार ने अपना एक स्थान बनाया है। कई मनोवैज्ञानिक घटक के उन संदेशों की धारणाओं एवं प्रभाव को प्रभावित करते हैं। इन मनोवैज्ञानिक घटकों के उदाहरण हैं ज्ञान और पहले के अनुभवों विश्वास और मूल्य प्रणाली भावनाओं में दूसरों की राय महत्वपूर्ण है।

अर्थ की अवधारणा दो तरफा होता है, अर्थ सूचना के स्रोत पर निर्भर करता है। लेकिन सूचना के प्रत्कर्ता भी अपना अर्थ उस सूचना में समाहित कर देते हैं। स्रोत एक विशेष इरादे के साथ संदेश व्यक्त करता है किन्तु प्राप्तकर्ता संदेश को भेजने वाले की मंशा से बिल्कुल भिन्न तरीके से व्यक्त कर सकता है। इसका अर्थ है कि संचार पर इरादतन एवं गैर इरादतन रूप से प्राप्तकर्ता को प्रभावित करता है। इसलिए संचार में प्रतिक्रिया एक महत्वपूर्ण पक्ष हैं, संचार की सफल प्रक्रिया के लिए पांच कारकों को प्रतिष्ठित किया जा सकता है, वे हैं :

- स्रोत : संदेश का उत्पादक
- संदेश : स्रोत से मौखिक सूचना
- प्राप्तकर्ता : संदेश के स्रोता
- प्रणाली : स्रोत द्वारा प्रयोग किये गये संचार के माध्यम
- गंतव्य : उदाहरण संदेश के हर संभव प्रयास जैसे कि सूचना का आदान प्रदान, रवैया या व्यवहार परिवर्तन, भय या असुरक्षा की भावना को घटना, दीर्घकालिक या अल्पकालिक प्रभाव।

एक अर्थपूर्ण जोखिम संचार प्रक्रिया को संचालित करने के लिए लक्षित समूहों एवं उसके प्रभाव की पहचान आवश्यक है। यदि चिन्हित उद्देश्यों एवं लक्षित समूह उपस्थित नहीं होगें तो आप यह कभी नहीं कह

पायेंगें कि आपने जोखिम संचार के पूर्वनिर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। जोखिम संचार के प्रभाव अपने लक्ष्य के उलटे हो सकते हैं। गैर इरादतन परिणामों को संचार का दुष्प्रभाव कह सकते हैं।

सबसे खराब मामले में ये दुष्प्रभाव संचार के लक्ष्यों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। जोखिम संदेश के पूर्व इस बात का अनुसंधान आवश्यक है कि अनुभव के आधार पर इस बात की गणना की जाये कि प्राप्तकर्ता विषय के बारे में कितना जानता है और उसे कितनी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है। अतः जोखिम संचार विकास पर चर्चा करते समय लक्ष्यों की प्राप्ति पर बात करे। इस परिचर्चा में संचार के प्रभाव एवं व्यवहार भी अहम् भूमिका निभाता है। व्यवस्थित योजना के लिए आवश्यक है कि यह जाना जाये कि जोखिम संचार क्यों और कैसे कार्य करता है?

जोखिम संचार एक राजनैतिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में लोगों के मूलभूत मूल्य दांव पर लगे होते हैं। प्रेरक तकनीक का प्रयोग लोगों के मूल्यों में गड़बड़ी जैसे विश्वास और स्रोत की साख, सार्वजनिक विवाद, आक्रोश आदि का एक नुकसान के लिए अग्रणी भूमिका निभाता है। नैतिक समस्याओं की तब संभावना होती है जब लक्षित समूह जोखिम के बारे में मौलिक सूचना चाहता है। जैसे कि जोखिम निर्णयों के ढांचे को सहायता या प्रभावित करने की सूचना और यदि सूचना के स्रोत इस सूचना को छिपाता है या नकारता है तथा बाद में सूचना का पता चलता है तो यह विश्वास को खो सकता है।

जोखिम संचार हेतु व्यवस्थित नियोजन दृष्टिकोण

जोखिम संचार को व्यवस्थित नियोजन की सूचनाओं को साझा करने पर आधारित होना चाहिए। इसे वैज्ञानिक अनुसंधान और सामाजिक धारणाओं पर आधारित होना चाहिए। जोखिम समस्याको कम करने या समाधान करने के लिए लक्षित समूह को उनके मनोनुकूल सूचना (जोखिम संदेश) भेजना। जोखिम संचार एक सामाजिक प्रक्रियाहै। जिसमें विभिन्न प्रकार के संचार (एक तरफा, दो तरफा, विभिन्न तरफा) लागू किये जाते हैं। जो कि भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियों एवं योजना प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर आधारित होता है।

व्यवस्थित नियोजन दृष्टिकोण जोखिम संचार की प्रभावशीलता में सहायक हो सकता है। यह एक विशिष्ट प्रकार के जोखिम में क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है यह अनुभव जन्य साक्ष्यों पर आधरित होता है क्योंकि जोखिम जहां घटित हो रहा है वहां कि परिस्थितियों एवं संदर्भ भिन्न भिन्न हो सकते हैं। प्रत्येक जोखिम जिसके लिए संचार होना आवश्यक है, व्यवस्थित नियोजन के प्रत्येक चरण के प्रत्येक चक्र का पूर्ण होना आवश्यक है। अन्य मत है कि : जोखिम संचार के विकास हेतु मनोवैज्ञानिक कारकों की खोज अति महत्वपूर्ण है जिसमें जोखिम की धार एवं जोखिम को कम करने वाला व्यवहार अर्न्तनिहित है।

संचार का मूलभूत नियम है कि सूचना को प्राप्तकर्ता के अनुकूल करके भेजो, इस विषय के तीन पहलू हैं :

- सूचना लक्षित समूह के प्रश्नों का उत्तर होना चाहिए।
- यह असंगत या जो प्रश्न कभी पूछे नहीं गये उनके उत्तर देने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
- सूचना समझने योग्य होनी चाहिए और भ्रम को नहीं बढ़ाना चाहिए।

जोखिम संचार की प्रक्रिया की शुरूआत की पहल समुदाय में सूचना की खोज अथवा आपदा प्रबंधन संबंधी संगठनों एवं विशेषज्ञों से होती है।

जोखिम संचार के लिए विचारोतेजक प्रयास

- अभियान का प्रमुख उद्देश्य यह है कि सभी को संदेश बृहद स्तर पर पहुंचे। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें बृहद स्तर के राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय जागरूकता अभियान चलाये गये हैं जो एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन लाने में सफल हुये हैं उदाहरण के तौर पर बच्चों का टीकाकरण, कार में सीट बैल्ट का प्रयोग एवं धूम्रपान निषेध आदि समाहित है।

अभियान के गतिविधियों में एक सेट जो शामिल हो सकता है

- प्रकाशन जिसमें बिलबोर्ड, समाचार पत्र, पत्रिकाएं सम्मिलित हैं।
- सूचना कार्ड, फ्लायर्स, बुकमार्क एवं बाउचर्स।
- पाठ्यक्रम, प्रारूप एवं प्रदर्शन जिसमें स्लाइड एवं मौखिक प्रदर्शन सम्मिलित हैं।
- ई–लर्निंग
- क्षेत्रीय कला प्रदर्शन

- खेल एवं प्रतियोगिता
- देखने एवं सुनने वाली सामग्री
- वेब पन्ने एवं गतिविधियां
- सामाजिक मीडिया एवं टेली संचार

इन गतिविधियों को प्रमुख घटकों एवं इस दृष्टिकोण के रूपान्तरों में विभाजित किया जा सकता है।

अभियान के प्रमुख घटक एवं रूपान्तर

प्रमुख घटक	रूपान्तर
संदेश	• एक संदेश या कई एक साथ या अलग अलग
श्रेता	• थ्जला • स्थानीय • समुदाय
रणनीति	• प्रक्षेपण • विशिष्ट दिवस जैसे शादी की साल गिरह या स्मृति दिवस • एक राष्ट्रीय सरकारी दिवस या सप्ताह • अर्न्तराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस (अक्टूबर में) • साप्ताहिक या मासिक कार्यक्रमों या गतिविधियों • पुरस्कार या प्रतियोगिता • प्रदर्शन • अग्नि सुरक्षा दिवस • भूकम्प सुरक्षा दिवस • सड़क सुरक्षा दिवस
अवधि	• लम्बाई : अल्पकालिक या दीर्घ कालिक • अवधि : पूरे वर्ष या मौसमी • आवर्ती : एक बार या लगातार

1. **सहभागी सीख** लोग उन उपायों से ज्यादा प्रेरित होते हैं जिनके सामधान मं उन्होंने खुद भाग लिया हो और विशेषकर जब उन्हें यह लगता है कि यह उनका स्वयं का विचार है, सहभागी सीख का ये केन्द्र बिन्दु है जो व्यक्तियों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए समाधान एवं खोज में व्यस्त रखा जाये। इन गतिविधियों को सभी के दिल में समुदाय के सशक्तीकरण का अपना अनुभव है। यह आम तौर पर उपकरणों द्वारा पूरा किया जाता है। जैसे
   - कार्यवाही उन्मुख अनुसंधान जैसे कि सहनशीलता एवं क्षमता का मूल्यांकन
   - आपदा प्रबंधन योजना सामुदायिक एवं अन्य स्तर पर
   - कार्यक्रमों एवं योजनाओं के एकीकरण द्वारा जोखिम न्यूनीकरण उपयों को लागू करना
   - अभ्यास एवं निरन्तरता द्वारा अनुश्रवण एवं योजना का विकास

2. **अनौपचारिक शिक्षा** अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य उन संक्षिप्त क्षणों एवं एनकाउण्टर्स का लाभ उठाना है और व्यक्तियों को सुरक्षात्मक क्रिया एवं व्यवहार की खोज करने में व्यस्त रखा जाये। समुदायों और स्कूलों में अनौपचारिक शिक्षा सभी दृष्टिकोणों में जैसे दर्शकों और समय सीमा के सम्बंध में सबसे लचीली है।
3. **अनौपचारिक शिक्षा** के प्रकार निम्न तालिका में प्रस्तुत हैं :

लक्ष्य	ज्नता	स्मूह	अकेला
स्थान	घर	स्कूल	कार्य
माध्यम	टेलीविजन	रेडियो	इण्टरनेट
अवधि	कुछ मिनटों के लिए	कुछ घंटों के लिए	सहज या वायरल तत्व

अनौपचारिक शिक्षा के लिए प्रयोग किये जाने वाले विशेष उपकरण सम्मिलित हैं

- **प्रकाशन :** पोस्टर्स, निर्देशिक, फलायर्स, ब्रोसचर्स, पुस्तिका, गतिविधि पुस्तिका, कहानी पुस्तक, रंगभरो पुस्तिका, प्रार्थना किट और शिक्षक संसाधन

- **पाठ्यक्रम, प्रारूप एवं प्रदर्शन :** शिक्षक ब्रीफिंग और समुदाय प्रशिक्षण
- **ई–लर्निंग :** स्व शिक्षा पाठ्यक्रम
- **प्रदर्शन वं सांस्कृतिक कला :** नाटक, नृत्य, कवितायें, गाने, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली
- **खेल एवं प्रतियोगिता :** कार्ड खेल, बोर्ड खेल, सहकारी गतिविधि भूमिका निभाना कला प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता, टूर्नामेन्ट, रेडियो प्रश्नोत्तरी
- **दृश्व एवं श्रव्य सामग्री :** वीडियो, रेडियो कार्यक्रम, टेलीविजन कार्यक्रम
- **वेब पन्ने एवं गतिविधि :** वेब साइटस, ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी, सामाजिक मीडिया एवं टेलीसंचार, पूर्व चेतावनी

प्रशिक्षण मॉड्यूल–IV

क्षेत्र अभ्यास

सत्र – 1

क्षेत्र अभ्यास

क्षेत्र अभ्यास हेतु योजना : क्षेत्र भ्रमण के लिये योजना बनाने का कार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूर्व आरम्भ कर लेना चाहिए। संयोजक को लक्षित गांव को समय से सूचित कर देना चाहिए एवं ग्राम वासियों तथा निम्न योजना के साथ इस अभ्यास/गतिविधि के लिए उनके नेता/प्रधान की सहमति भी प्राप्त कर लेनी चाहिए।

- अभ्यास का समय एवं एकत्रित होने के लिए निर्धारित जगह
- प्रतिभागियों के लिए आवागमन की व्यवस्था
- भोजन एवं ठहरने आदि की व्यवस्था
- भ्रमण किये जाने वाले गांव के विषय में प्रतिभागियों का अभिमुखीकरण

समूह गठन एवं समूह कार्य : निम्न कार्य सम्पादित करने के लिए चार समूहों का गठन किया जाएगा, प्रत्येक समूह में 5–6 सदस्य होगें।

1. मौसमी कैलेण्डर एवं खतरों का मानचित्रण
2. ट्राजेक्ट वाक एवं सामाजिक/जोखिम मानचित्रण
3. आजीविका एवं कोपिंग रणनीति का विश्लेषण
4. सामुदायिक संगठनों की क्षमताओं का आंकलन

समूह अभ्यास को नेतृत्व प्रदान करने के लिए समूह में से एक सदस्य को नेता के रूप में चिन्हित करना होगा, शेष सदस्य इस कार्य में उसके साथ सहयोग करेगें। समूह के नेता द्वारा एक अन्य सदस्य को चिन्हित किया जाएगा जिसका कार्य समूह अभ्यास के दौरान अपनायी गयी प्रक्रिया को अभिलेखित करना होगा।

क्षेत्र में जाने से पहले सभी सदस्यों को समूह अभ्यास के लिए उनकी भूमिकाओं, दायित्वों के विषय में पूरी तरह आवगत कर सभी आवश्यक उपकरण, स्टेशनरी आदि उपलब्ध करा देना आवश्यक है।

चयनित गांव में समूह अभ्यास की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए प्रत्येक समूह के साथ समुदाय के कुछ सदस्यों का होना भी आवश्यक है।

समूह कार्य की रिर्पोटिंग : प्रशिक्षक/संयोजक एक या दो प्रतिभागियों को चुन सकता है जो कि क्षेत्र की सभी गतिविधियों की तैयार करने, फोटोग्राफ लेने और क्षेत्र भ्रमण के उपरान्त रिपोर्ट बनाने में उसकी सहायता करेंगें जिससे कि प्रशिक्षण के अन्त में या क्षेत्र भ्रमण के

अगले दिन सफलता की कहानियां/सामने आई चुनौतियां, सीख बताई जा सके/चर्चा की जा सके। चयनित गांव में समूह अभ्यास की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए प्रत्येक समूह के साथ समुदाय के कुछ सदस्यों का होना भी आवश्यक है।

दिशा निर्देश :

- प्रशिक्षण कार्यक्रम के अर्न्तगत क्षेत्र अभ्यास में सहयोग प्राप्त करने हेतु निकटस्थ गांव/समुदाय एवं सामुदायिक नेताओं को तिथि निर्धारण के पूर्व ही सूचित कर देना चाहिए।
- क्षेत्र अभ्यास आपदा संभावित समुदाय में ही सुनिश्चित करना चाहिए तथापि, यह भी सुझाव है कि क्षेत्र अभ्यास हेतु समुदाय की किसी एक आपदा का चयन करना चाहिए जिससे प्रतिभागियों में संदेह न उत्पन्न हो और आपदा से सम्बंधित सही समझ बने।
- प्रतिभागियों को चयनित समुदाय को भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक स्तर एवं आपदा से सम्बंधित सूचना अवश्य प्रदान कर देनी चाहिए। प्रतिभागियों से निवेदन करना चाहिए कि समुदाय से अभिमुखित होते समय उनके सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रखें, उनके नेताओं का सम्मान करें एवं अनुशासन बनाये रखें।
- सभी प्रतिभागियों को क्षेत्र अभ्यास पर जाने से पूर्व अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। यह सुझाव है कि समुदाय में जानकारी प्रदान करने का सत्र धन्यवाद प्रस्ताव के साथ करना चाहिए।

क्षेत्र अभ्यास की योजना बनाते समय

समूह	समूह का कार्य	समूह कार्य हेतु समय	आवश्यक सामग्री	टिप्पणी
I	आपदा इतिहास एवं मौसमी कैलेण्डर	120 मिनट	ड्राइंग पत्र, स्केच पेन, पेन्सिल, चॉक, रंगीन बुरादा, नोटबुक, कलम	समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत के दौरान पिछले 5–10 वर्षों के आंकड़ों को एकत्रित करना चाहिए। एक बार कार्य पूर्ण हो जाने पर समूह III को संकट पर विश्लेषण में सहयोग प्रदान करना चाहिए। पिछले तीन दिनों में बताये गये समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपकरणों का संदर्भ लें। समूह अभ्यास हेतु बताये गये मैट्रिक्स रेटिंग का प्रयोग करें।
II	मानचित्रण एवं ट्रांजेक्ट वॉक	180 मिनट		समूह सदस्यों को चित्रण के अनुभव का प्रयोग करते हुए समुदाय का एक रफ मानचित्र समुदाय के सुझावों को सम्मिलित करते हुए रेखांकित करना चाहिए। जब मानचित्र का रेखांकित करें तो निम्न घटकों को ध्यान में रखें: • दिशाओं को चिन्हित कर समुदाय को उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम बतायें। • गांव की सीमा को रेखांकित करते हुए विभिन्न दिशाओं के गांवों को चिन्हित करें। • गांव के मार्गों के साथ–साथ सभी पहलुओं को चिन्हित करें। • समुदाय की सहायता से मानचित्र पर चिन्हित सभी पहलुओं को सूचकांकों द्वारा प्रदर्शित करें। • सूचकांक सरलता से समझ में आने चाहिएए जैसा कि समुदाय ने बताया हो। • सभी सूचकांकों को स्पष्टता से समझ में आने हेतु विभिन्न रंगों का प्रयोग करें। • एक बार रफ मानचित्र तैयार हो जाने के बाद मानचित्र को नोटबुक या ड्राइंग चार्ट पर अंकित कर लेना चाहिए।
III	सामुदायिक संगठनों की क्षमता का आंकलन	180 मिनट		समूह सदस्यों को क्षमता आंकलन के पूर्व निम्न पहलुओं को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। • समूह सदस्यों को तीन उप समूहों में (2–3 व्यक्ति प्रति) विभक्त करना चाहिए जो कि 1. समुदाय में उपस्थित संगठनों का सूचीबद्व करना 2. वर्तमान में उपस्थित क्षमता (मानव संसाधन, वाणिज्य एवं आधारभूत संरचना) सुविधाओं को प्रदान हेतु संग्रहण करना। 3. प्रमुख चुनौतियां जिनका सामना किया हो।

				• सभी उप समूहों के प्रयोग में आने वाली प्रश्नावली का निर्माण स्वयं समूह सदस्यों द्वारा ही करना चाहिए। • समूह चर्चा के दौरान समुदाय के उत्तरों को अपने पास अंकित करने हेतु उप समूहों को उत्तरदायित्वों का निर्धारण कर देना चाहिए।
IV	आजीविका विश्लेषण	180 मिनट		इस समूह को समूह चर्चा हेतु छोटे समूहों को उनकी आय के अनुसार चयनित करना चाहिए जैसे – खेती, मजदूर, व्यापार एवं नौकरी इत्यादि के बारे में उनसे निम्न प्रश्न पूछिएः • इस प्रकार के स्रोतों से उनकी कितनी आय हो जाती है? • क्या यह उनके खर्चों के लिए पर्याप्त है, यदि नही ंतो अधिक आय को के लिए क्या करते हैं तथा किन स्रोत से, • आपदा काल में यह आय के स्रोत किस प्रकार प्रभावित होते हैं? • आपदा के पश्चात् कितने समय में परिस्थितियां सामान्य हो जाती है? • आजीविका हेतु उनके क्या वैकल्पिक स्रोत है? • वे आजीविका हेतु आपदा के दौरान एवं आपदा के पश्चात किस प्रकार की बाह्य सहायता की आशा करते हैं? समूह सदस्यों को उपरोक्त प्रश्नों के उत्तरों को संकलित करने हेतु सदैव तत्पर रहना चाहिए। एक सदस्य को एक–एक करके प्रश्न पूछने चाहिए जिससे समुदाय उनका उत्तर दे सके तथा दूसरे सदस्यों को उन उत्तरों को सावधानी पूर्वक संकलित कर लेना चाहिए। परिचर्चा के समाप्त होने के पश्चात् समूह सदस्यों का आपस में चर्चा करने के लिए बैठना चाहिए। उत्तरों का मिलना कर इस समुदाय में आजीविका के प्रमुख स्रोतों तथा आपदा से वे किस प्रकार प्रभावित होते हैं एवं समुदाय में उपलब्ध वैकल्पिक स्रोतों तथा बाह्य सहयोग जो उनकी आजीविका को सुदृढ़ता प्रदान करेए विश्लेषण करना चाहिए।

उपरोक्त अभ्यास के आधार पर समूह सदस्यों को अपने दिये गये कार्यों पर प्रस्तुतीकरण तैयार कर व्याख्या सत्र के समय उपस्थित प्रतिभागियों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। प्रत्येक समूह को एक/दो सदस्यों को चिन्हित कर सम्बंधित विषय पर प्रदर्शित करने का उत्तरदायित्व दें और अन्य सदस्य समूह समुदाय से प्राप्त अनुभवों को अवगत करा सकते हैं या क्षेत्र अभ्यास के दौरान प्राप्त अनुभवों के बारे में अन्य प्रतिभागियों से भी पूछ सकते हैं। यह अभ्यास उन्हें वास्तविक समस्या/परिस्थिति को समझने तथा मिलकर उसका उपाय निकालने में सहायक सिद्व होगी।

प्रशिक्षण मॉड्यूल – 5

मुद्दे एवं समापन

सत्र – 1

समुदाय आपदा जोखिम कोष

सत्र का उद्देश्य
सत्र के अंत तक प्रतिभागी निम्न विषयों पर चर्चा करने में सक्षम हो जायेंगे:

- आपदा न्यूनीकरण कोष का महत्व एवं उद्देश्य
- आपदा न्यूनीकरण कोष का प्रबंधकीय पक्ष
- आपदा न्यूनीकरण के प्रबंधकीय पक्ष

मुख्य अवधारणा
समुदाय स्तर पर आपदा न्यूनीकरण गतिविधियों को बनाये रखने के लिए समुदाय सदस्यों तथा समुदाय समूहों के लिए कोष का प्राविधान करना अनिवार्य है। इससे स्थानीय समुदाय को परिवार व समुदाय स्तरों पर आपदा जोखिम न्यूनीकरा गतिविधियों का क्रियान्वयन करने में सक्षम बनाया जा सकेगा।

ट्रस्ट कोष स्थापित करने का औचित्य
- वर्तमान समुदाय आधारित आपदा न्यूनीकरण कार्यकलापों को आगे भी बनाये रहना
- सर्वाधिक संवेदनशील सामाजिक समूहों के स्थिति स्थापक को सुदृढ़ करना
- आपदा न्यूनीकरण गतिविधियों के प्रति स्वामित्व की भावना विकसित करना
- त्वरित राहत, बचाव व पुर्नत्थान गतिविधियों को संयोजित करना जिससे कि बिना किसी बाह्य सहायता के जीवन और सम्पत्तियों की रक्षा की जा सके।

विषय वस्तु की रूपरेखा
समुदाय स्तर पर आपदा न्यूनीकरण गतिविधियों को सतत् रूप से संचालित करते रहने के लिए कोष का निरन्तर स्रोत विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। इससे परिवारों और समुदाय के समूहों को समुदाय की कार्य योजना में चिन्हित की गयी आपदा जोखिम की तैयारी करने व न्यूनीकरण की गतिविधियों में सहायता मिलेगी। अतएव, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा एक कोष स्थापित करने के लिए सीड धनराशि देकर सर्वाधिक संवेदनशील समुदायों की सहायता करनी चाहिए। इस कोष के विकसित होने से स्थानीय समुदाय भविष्य में सी धनराशि का उपयोग करके अन्य एजेंसियों से भी कोष प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकेंगे। समुदाय के सदस्य आपदा न्यूनीकरण उपायों, जैसे–घर की नींव ऊँची करना, घर या विद्यालय का पुनः संयोजन, सूखा–प्रतिरोधी बीच और पौधे आदि को अपनाने हेतु इस कोष से सूक्ष्म ऋण प्राप्त करने में भी सक्षम हो सकेंगे।

सत्र की कुल अवधि : एक घंटा (10.00–11.00 बजे)

विस्तृत सत्र योजना

कोष का स्रोत
सर्वाधिक संवेदनशील ग्रामों अथवा पड़ोस में समुदाय आपदा कोष स्थापित करने के लिए स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जिला विकास/राहत कोष से सीड राशि उपलब्ध करनी चाहिए। स्थानीय प्राधिकारियों के अतिरिक्त अन्य संस्थाएं भी समुदाय आपदा कोष स्थापित या सुदृढ़ करने का स्रोत हो सकती है।

कोष का प्रबंधन
समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण समितियां विशेष आपदा कोष समिति की सहायता से इस कोष का प्रबंधन कर सकती है। इन समितियों में संवेदनशील समूहों के प्रतिनिधि, समुदाय आधारित संगठनों के नेता और स्थानीय प्राधिकारी सदस्य हो सकते हैं। समुदाय के सदस्यों को कोष के आवंटन के सभी निर्णय एक मानदण्ड तथा समिति के सदस्यों की सहमति के आधार पर किया जाना चाहिए। स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा समिति को समुदाय आपदा कोष के प्रबंधन हेतु नीति व प्रक्रिया निर्धारण में सहायता करनी चाहिए। इसमें कोष की सदस्यता, योगदान, आपदा के पूर्व व पश्चातृ की परिस्थितियों में सूक्ष्म ऋण भुगतान, ऋण

वापसी, ऋण माफी पर नीतियां सम्मिलित की जानी होगी। इस कोष का प्रबंधन पारदर्शी ढंग से किया जाना चाहिए।

अनुभव दर्शाते हैं कि कोष को सतत् बनाये रखने के लिए माइक्रो–क्रेडिट समूह का गठन एक महत्वपूर्ण रणनीति हो सकती है। इसके लिए समूह के सदस्य आपसी सहमति के आधार पर कोष में साप्ताहिक या मासिक अंशदान करेंगे, तदानुसार समूह सदस्य आपदा न्यूनीकरण गतिविधियों के लिए मापदंड के आधार पर कोष का उपयोग करने के पात्र हो जायेंगे। संवेदनशील समूह के आकार एवं समुदाय की रूचि के आधार पर प्रत्येक सदस्य के अंशदान की धनराशि निर्धारित की जा सकती है।

जिला अथवा म्यूनिसिपल आपदा फंड

समुदाय आपदा कोष की स्थापना एवं क्रियान्वयन हेतु स्थानीय अधिकारी एक जिला आपदा अनुक्रिया एवं न्यूनीकरण कोष स्थापित कर सकते हैं। इस कोष का उपयोग समुदाय आपदा कोष स्थापित करने के उद्देश्य से समुदाय समूहों को ''सीड राशि'' उपलब्ध कराने हेतु किया जा सकता है। म्यूनिसिपल या जिला प्राधिकारी इस कोष के एक अंश का उपयोग अन्य आपदा न्यूनीकरण कार्यों हेतु कर सकते हैं। इस प्रकार के जिा कोष की स्थापना निम्नांकित स्थानीय हितधारकों की सहभागिता से किया जा सकता है:

- स्थानीय, म्यूनिसिपल, जिला या पंचायत शासन के मुखिया
- आपदा प्रबंधन विभाग के प्रतिनिधि
- अन्य संबंधित विभागों जैसे– वन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण के प्रतिनिधि
- इच्छुक बैंकों के अधिकारी
- इच्छुक व्यापारिक कम्पनियां व एसोसिएशन के प्रतिनिधि
- महिला संगठनों के प्रतिनिधि
- संवेदनशील समूहों के प्रतिनिधि जैसे– मत्स्य पालक, कृषक, युवा, बुजुर्ग, दिव्यांग, अल्पसंख्यक

सत्र– 2

समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण में जेंडर संचेतना दृष्टिकोण

सत्र उद्देश्य

सत्र के अंत तक प्रतिभागी निम्न पर चर्चा करने में सक्षम हो जायेंगे:

- सेक्स व जेंडर में अन्तर
- गतिविधि प्रोफाइल
- आपदा में त्रिपक्षीय भूमिका (पूर्व, दौरान, पश्चात्)

- व्यवहारिक एवं रणनीतिक जेंडर की आवश्यकताएं
- आपदा/प्रबंधन/आपदा जोखिम न्यूनीकरण में महिलाओं का मैट्रिक्स

मुख्य अवधारणा

समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण की जेंडर संचेतना दृष्टिकोण का तात्पर्य मात्र जेंडर के मुद्दों की जानकारी के अलावा आपदा जोखिम प्रबंधन के दौरान प्रचलित असामान्य जेंडर संबंधों में परिवर्तन लाने के लिए कार्यवाही करना भी है।

विषय वस्तु की रूपरेखा

जेंडर संचेतना दृष्टिकोण आपदा परिस्थितियों में मात्र महिलाओं एवं पुरूषों की व्यवहारिक आवश्यकताओं की पूर्ति की ही मांग नहीं करता है बल्कि परिवार, समुदाय एवं संगठन के स्तरों पर आपदा प्रबंधकों के रूप में महिलाओं एवं पुरूषों की भूमिकाओं पर दृढ़तापूर्वक बल देना है। चूंकि जेंडर संचेतना दृष्टिकोण के कारण आपदा जोखिम प्रबंधन बेहतर तरीके से हो सकेगा। अतः भविष्य में समुदाय भी अधिक सुरक्षित हो सकेंगे। इस सेक्शन में हम मात्र परिवार व समुदाय स्तर पर जेंडर संचेतना दृष्टिकोण को अपनाने के विषय में चर्चा करेंगे।

आपदा अनुक्रिया के प्रति जेंडर संचेतना दृष्टिकोण समुदाय स्तर पर सभी तीन चरणों में अपनाया जा सकता है। पूर्व, दौरान एवं पश्चात्। समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन में विभिन्न रूपरेखाएं विकसित की गयी है जो कि इस संदर्भ में भली–भांति अपनाई जा सकती हैं।

सत्र की कुल अवधि : एक घंटा चालीस मिनट (11.15–13.00 बजे)

विस्तृत सत्र योजना

सेक्स एवं जेंडर में अन्तर

सेक्स एवं जेंडर में विभेद किया जाना आवश्यक है जिससे कि परस्तपर भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो सके। सेक्स महिलाओं व पुरूषों के बीच जैविक अन्तर है और यह सम्पूर्ण विश्व में इसी प्रकार माना जाता है।

जेंडर महिलाओं व पुरूषों की भूमिकाओं की सामाजिक संरचना और उसके कारण उनकी भूमिकाओं से जुड़े हुए बोध के विषय मं इंगित करता है। महिलाओं एवं पुरूषों की भूमिकाएं तथा अपेक्षाएं सम्पूर्ण विश्व में एक समान नहीं हैं। जेंडर महिलाओं एवं पुरूषों को अलग–2 तथा एक दूसरे के संदर्भ में संबोधित करता है।

जेंडर संबंध संदर्भ पर निर्भर होते हैं जो समय के साथ कई बार आपदा घटनाओं में भी परिवर्तित हो सकते हैं। जेंडर संबंध का वर्णन महिलाओं और पुरूषों के मध्य असमान प्रभुत्व संबंधों के रूप में भी किया जा सकता है जो कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों महिलाओं एवं पुरूषों के हाशिये पर प्रभावहीन होने में व्यक्त होता है। अनेक समाजों में महिलाओं की भूमिका कुछ कार्यों तथा क्षेत्रों तक सीमित होती है जैसे – घरेलू दायित्व, पुनरूत्पादक प्रक्रियाएं, बच्चों व परिवार की देखभाल आदि अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां महिलाओं के लिए भौतिक और अभौतिक संसाधनों तक पहुंच व अवसर – भूमि का स्वामित्व, शिक्षा, प्रशिक्षण, सीमित कर दिये जाते हैं। जेंडर सम्बंध अन्य कारणों से भी प्रभावित होते हैं। जैसे – धर्म, संस्कृति, जाति, वर्ग तथा आयु इत्यादि।

जेंडर संबंधों के कारण अपनी जेंडर भूमिकाओं और वन की परिस्थितियों पुरूष व महिलाओं की क्षमताओं तथा संवेदनशीलता में भी अंतर होता है। वे आपदाओं से अलग अलग तरीके से प्रभावित होते हैं।

अनेक संदर्भों में पुरूष सार्वजनिक स्थलों में आने जाने तथा संचार के अनौपचारिक चैनलों तक पहुंच, उदहारणतः रेडियो, टी.वी. अनौपचारिक समुदाय नेटवर्क, अधिकारियों, कार्मिकों से मेल–मिलाप, के कारण खतरे की पूर्व चेतावनी की प्रक्रियाओं से बेहतर जुड़े रहते हैं।

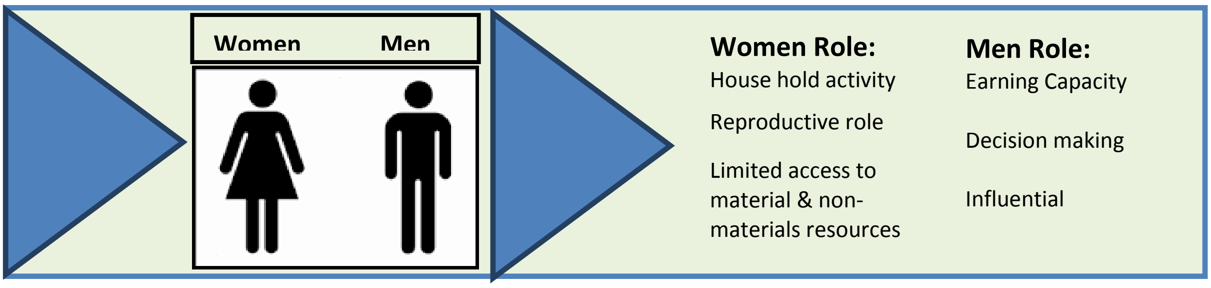

वैज्ञानिक से सामाजिक, राहत से आपदा जोखिम न्यूनीकरण, ऊपर से नीचे की जगह नीचे से ऊपर परिपेक्ष्य में परिवर्तन के दृष्टिगत यह संस्तुति की जाती है कि आपदा जोखिम प्रबंधन के प्रयासों में जेंडर संचेतना प्रक्रिया को सभी स्तरों पर, विशेषकर समुदाय के स्तर पर अपनाया जाना चाहिए। आपदा अनुक्रिया के प्रति समुदाय स्तर पर जेंडर संचेतना दृष्टिकोण सभी तीन अवस्थाओं, पूर्व, दौरान व आपदा के पश्चात् में अपनाया जा सकता है। इस हेतु विभिन्न फ्रेमवर्क विकसित किये गये हैं जो कि समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन में उपयोग में किए जा सकते हैं।

हार्वर्ड एनालिटिकल फ्रेमवर्क (Harvard Analytical Framework) या सामान्य तौर पर प्रचलित जेंडर भूमिका फ्रेमवर्क या जेंडर विश्लेषण फ्रेमवर्क परिवार और समुदाय में पुरूषों एवं महिलाओं के कार्यों को वर्णित करता है। किसी समुदाय विशेष में एकत्र किये गये आंकड़े/डाटा परियोजना की योजना बनाने में उपयोगी होगा।

जेंडर भूमिकाएं	आपदा के पूर्व		आपदा के दौरान		आपदा के पश्चात्	
	महिलायें	पुरूष	महिलायें	पुरूष	महिलायें	पुरूष
भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना	Y		Y	Y	Y	
बच्चों की देखभाल	Y		Y	Y	Y	
जल संग्रहण	Y			Y	Y	
ईंधन एकत्र करना	Y		Y		Y	
बजार जाना	Y		Y		Y	
घर की सफाई और वस्त्र धोना	Y	Y			Y	Y
बीमारों की देखभाल	Y		Y		Y	
स्वास्थ्य शिक्षा देना	Y		Y		Y	
घर की मरम्मत	Y	Y			Y	Y
समुदाय की बैठक में भाग लेना	Y	Y			Y	Y
निकासी योजना बनाना	Y	Y		Y	Y	Y
चेतावनी प्राप्त करना	Y				Y	
परिवार व अन्य की निकासी करना	Y	Y	Y	Y	Y	Y
घर की निगरानी	Y			Y		

(स्रोत : मात्र उदाहरण के लिए, इसे जेंडर भूमिकाओं को जानने के ए समुदाय स्तर पर संवेदीकरण बैठक के दौरान भरवाया जा सकता है।)

कैरोलिन मोजर द्वारा विकसित मोजर फ्रेमवर्क परियोजना नियोजनकर्ता को ऐसे कार्यक्रम बनाने में भी मदद कर सकता है। जो महिलाओं को सशक्त कर सके। इसमें से कुछ टूल्स समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण में प्रयोग करने के लिए उपयुक्त है।

त्रिपक्षीय भूमिकाएं महिलाओं के त्रिपक्षीय बोझ आर्थिक या उत्पादक, पुररूत्पादक या देखभाल करने के, और समुदाय प्रबंधन कार्य को मुखर करने के अतिरिक्त लगभग **जेंडर भूमिका फ्रेमवर्क** (Gender Roles Framework) के समान ही हैं। प्रत्येक भूमिका के लिए मात्र ध्या नही नहीं बल्कि महिलाओं की भागीदारी भी आवश्यक है। पुरूषों व महिलाओं की भूमिकाएं स्थिर या अचल नहीं होती हैं। आपदा से आमना सामना होने और उत्तरजीविता व पुनः ठीक होने की आवश्यकता पर वे परिवर्तित भी होती है।

जेंडर भूमिकाएं	आपदा के पूर्व		आपदा के दौरान		आपदा के पश्चात्	
	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष
उत्पादक कार्य						
उभोग एवं व्यापार हेतु उत्पाद एवं सेवाओं का उत्पादन (कृषि, मत्स्य पालन आदि)						
नगद अर्जन						
पशुओं की देखभाल करना						
राहत सामग्री प्राप्त करना जैसे भोजन सहायता						
भण्डार घर में चावल एवं धान तैयार करना						
राहत सहायता प्राप्त करना जैसे बीज एवं पशुधन सहायता						
पुनरूत्पादक कार्य						
परिवार एवं सदस्यों की देखभाल व रखरखाव						
बच्चों की देखभाल						
भोजन तैयार करना						
जल संग्रहण						
ईधन एकत्र करना						
बाजार जाना						
घर व वस्त्रों की सफाई						
बीमार सदस्यों की देखभाल						
फर्स्ट एड देना						
स्वास्थ्य शिक्षा देना						
घर की मरम्मत						
सामुदायिक कार्य						
सामाजिक कार्यक्रमों का सामूहिक आोजन						
सामाजिक कार्यक्रमों हेतु बैठकों में भाग लेना (स्वास्थ्य, उत्पादन आदि)						
रिक्तीकरण/निकास योजनायें बनाना						
चेतावनी प्राप्त करना						
चेतावनी प्रसारित करना						
सुरक्षा एवं संरक्षण						
परिवार एवं अन्य को घर खाली करा कर अन्यत्र ले जाना						
घर की रखवाली						
पशुओं एवं अन्य सम्पत्ति की रखवाली						

(स्रोत : मात्र उदाहरा के लिए इसे समुदाय स्तर पर उन्मुखीकरण बैठक के दौरान उनकी जेंडर भूमिकाओं को जानने के लिए भरा जा सकता है)

व्यवहारिक एवं रणनीतिक जेंडर आवश्यकताऐं

अन्य टूल्स महिलाओं व पुरूषों की अल्प कालीन आवश्यकताओं अथवा व्यवहारिक जेंडर आवश्यकताओं एवं परिवार और वृहद समाज में उनकी स्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता के सन्दर्भ में है :

सहायता	व्यवहारिकक जेंडर आवश्यकताएं		रणनीतिक जेंडर आवश्यकताएं	
	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष
भोजन				
पानी				

दवाएं				
आश्रय				
कौशल प्रशिक्षण				
जेंडर नियंत्रण				
ऋण/क्रेडिट				
साक्षरता				
संगठन				

(मेाजर फ्रेमवर्क)

आपदा प्रबंधन/आपदा जोखिम न्यूनीकरा में महिलाओं की भूमिका की मैट्रिक्स

निम्न मैट्रिक्स समुदाय स्तर पर आपदा प्रबंधकों के रूप में महिलाओं की क्षमता निर्माण हेतु कार्यकलापों के क्षेत्रों एवं आपदा के चरणों हेतु मार्गदर्शिका प्रदर्शित करती है। ये मार्गदर्शिकायें पारस्परिक रूप से निर्भर है। चिन्हित की गयी कुछ रणनीतियां एक से अधिक चरणों में भी लागू की जा सकती है, जैसे–सूचना प्रबंधन, मार्गदर्शिकाएं महिलाओं के दृष्टिकोण को दर्शाती हैं और इस मानव संसाधन के अधिकाधिक उपयोग को प्रोत्साहित करती है। साथ ही आपदा जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया की सभी अवस्थाओं में उनके योगदान को भी सुनिश्चित करती हैं।

समुदाय स्तरीय कार्य रणनीति	क्रियान्वयन		
	तैयारी	प्रतिक्रिया	पुनरूत्थान
आपदा प्रबंधन में नीति निर्धारण			
महिलाओं को रानीतिक एवं नीतिनिर्धारण प्रक्रिया में सम्मिलित करना तथा उनकी क्षमताओं व विशेषता का आकस्मिकता प्रबंधन में निर्णयों को प्रभावित करने के लिए उपयोग करना			
सभी समूहों को लाभ को सुनिश्चित करने के लिए पुनरूत्थान गतिविधियों हेतु सम्मिलित करना			
मानव संसाधन का विकास			
आपदा प्रबंधन में महिलाओं के ज्ञान व कौशल वृद्वि हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना। इसमें नेतृत्व प्रशिक्षण, खोज व बचाव प्रशिक्षण , फर्स्ट एड, डाटा एकत्रीकरण और जोखिम एवं संवेदनशीलता विश्लेषण को सम्मिलित किया जा सकता है।			
सूचना प्रबंधन			
जोखिम आंकलन के आंकड़े एकत्र करने एवं अपने समुदायों में संसाधनों को चिन्हित करने के लिए महिलाओं को सम्मिलित करना			
आपदा की स्थिति में सूचना को प्रसारित करने के लिए औपचारिक तथा अनौपचारिक संचार व्यवस्थाओं चिन्हित करने व प्रयोग करने में महिलाओं को सम्मिलित करना			
त्वरित हानि/आवश्यकता के आंकलन हेतु सूचना एकत्र करने व प्रयोग करने के लिए महिलाओं को सम्मिलित करना			
महिलाओं को संगठित करना			
पेशेवर			

सत्र–3

समावेशित आपदा जोखिम न्यूनीकरण

सत्र उद्देश्य

इस सत्र के अंत तक प्रतिभागी समावेशित आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं तरीकों का वर्णन करने में सक्षम हो जायेंगे।

मुख्य अवधारणाएं

बहिष्कार का कारण प्रायः असमान अधिकार के सम्बंध ही होते हैं जो संसाधनों, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं देखभाल, रोजगार, कल्याणकारी योजनाओं तक असमान पहुंच का कारण बनते हैं। इसके अतिरिक्त परिसम्पत्तियों का निर्माण करने और जोखित का कम करने की सामर्थ्य का अभाव एवं आपदा–पश्चात् राहत प्राप्त कर सकने की सीमित क्षमता भी मुख्य कारण होते हैं।

विषय वस्तु की रूपरेखा

समावेशित आपदा जोखिम न्यूनीकरण अधिकारों एवं अवसरों की समानता, व्यक्ति के सम्मान, विविधता को स्वीकार करने एवं सभी के लिए लचीलेपन के प्रति योगदान के बारे में है। साथ ही आयु, जेंडर, अशक्तता या किसी भी अन्य आधार पर समुदाय के सदस्यों को सम्मिलित न करने को नकारने के विषय में भी INCRISD एवं सहयोगी कार्यक्रमों से प्राप्त सीखें इसके लिए कार्य के तीन क्षेत्र पर बल देती हैः

1. आपदा के संदर्भ में बहिष्कार करने के मूल कारणों को समझना, बहिष्कृत समूहों को चिन्हित करना और उनके आपदा जोखिम को कम करने में उन्हें अर्थपूर्ण ढंग से सम्मिलित करना
2. हितकर एवं सहायक नीति वातावरण का निर्माण करना जो कि बहिष्कार के कारणों, समाहित करने वाली रणनीतियों तथा संसाधनों के आवंटन को प्रोत्साहित करें।
3. एक क्रियान्यन ढांचा निर्मित करना जोकि सभी हितधारकों को सम्मिलित करें और साथ ही जोखिम के प्रति जबावदेह/जिम्मेदार शासन के माध्यम से सामुदायिक लचीलेपन को भी सुनिश्चित करें।

सत्र की कुल अवधि : डेढ़ घंटा (14.00–15.00 बजे)

विस्तृत सत्र योजना

समावेशित आपदा जोखिम न्यूनीकरण का महत्व

अतिसंवेदनशीलता की अवधारणा से अभिप्रायः बहिष्कृत और हाशिए पर स्थित समूहों से है क्यों कि उन्हें आपदा से सबसे अधिक खतरा रहता है चूंकि इस तरह के अधिकांश समूह अदृश्य रहते हैं इसलिए इनकी चिन्ता और अधिक बढ़ जाती है।

सामाजिक बहष्किार बहुत अधिक संख्या में लोगों को प्रभावित करता है और इसका आधार जाति, वर्ग, जेंडर, अशक्तता जैसे अनेक कारण होते हैं। इस प्रकार का बहिष्कार सामाजिक ढांचे की बनावट के कारण होता है। बहिष्कार सबसे अधिक तब होता है जब लोग अनेक प्रकार के भेदभाव से प्रभावित होते हैं। असमान सत्ता के सामाजिक संबंधों की व्यवस्था में उनके स्थान के कारण बहिष्कृत समूहों को उनके मानवाधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। सामाजिक बहिष्कार प्रायः कुछ विशेषताओं (व्यक्ति, परिवार, समुदाय) से जोड़कर देखा जाता है जिसमें उनका जन्म हुआ है। इस प्रकार की विशेषताएं इन समुदायों को विभिन्न स्तरों पर प्रभावित करती हैं जैसे – प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच, आधारभूत सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार आवास, वित्तीय सेवाएं एवं बाजार तक पहुंच आदि। इस प्रकार के सुविधाहीन, वंचित समुदाय उच्चतम स्तर के जोखिम से घिरे पाए जाते हैं और इन्हें बाद में दूसरों की तुलना में आपदाओं से अधिक दुष्कर परिणाम सहने पड़ते हैं।

जेंडर पुरूष व महिला होने के कारण सम्बृद्व सामाजिक विशेषताओं व अवसरों, साथ ही महिला, पुरूष, लड़की, लड़कों के मध्य संबंधों और महिलाओं के परस्पर संबंधों व पुरूषों के परस्पर संबंधों की ओर संकेत करता है। ये विशेषताएं, अवसर व सम्बंध सामाजिक रूप से संरचित सीखे गये और समय के साथ परिवर्तनीय है। छूटे हुए सभी (गरीबी में रह रहे निम्न जाति के अशक्त, या वैकल्पिक यौनिक संवेदित लोग) महिलाएं व लड़कियां जेंडरवश बनी हुयी प्रभुत्व संबंधों जो कि पुरूषों को विशेषाधिकार देते हैं और

महिलाओं को गौंण बनाते हैं के कारण सामान्यतः और अधिक हाशिये पर पहुंच जाती है। महिलाओं की प्रतिकूल स्थिति – संसाधनों तक उनकी असमान पहुंच विधिक संरक्षण निर्णय लेना व प्रभुत्व उन पर पुनरूत्पादन का भार और हिसां के प्रति उनकी संवेदनशीलता – पुरूषों की तुलना में आपदाओं के प्रभाव के प्रति उन्हें निरन्तर अधिक संवेदनशील बना देती है। प्रायः महिलाओं का उनकी प्रजनन क्षमता, यौनिकता, अथवा दाम्पत्य पसन्द पर बहुत कम नियंत्रण रहता है। साथ ही उनकी गतिशीलता भी सीमित होती है। इन सबके कारण जोखिम न्यूनीकरण अथवा आपदा अनुक्रिया क्रियाकलापों में उनकी भागीदारी सीमित हो जाती है और आपदाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है।

अशक्तता

एक प्रासंगिक और निरन्तर होती हुयी अवधारणा है। UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) द्वारा इसके प्रथम अनुच्छेद में उल्लिखित है : ''अशक्तता में वे सभी सम्मिलित हैं जो ऐसी दीर्घ कालीन शारीरिक, मानसिक, बौद्विक अथवा ऐन्द्रिक दुर्बलता से ग्रसित हैं जो विभिन्न अवरोधों के कारण समाज में दूसरों के साथ समान आधार पर उनकी पूर्ण व प्रभावी भागीदारी को बाधित कर सकता है। (अनुच्छेद–11व 32), इस आवश्यकता पर बल देता है कि अशक्त जन आपदा राहत से लाभान्वित हों तथा राहत, आपातकाल अनुक्रिया एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों में सहभागिता करें। यह देखा गया है कि अशक्त जन प्रायः अदृश्य रहते हैं और इसी कारणवश जोखिम न्यूनीकरण एवं आपदा अनुक्रिया उपायों से न केवल बाहर हो जाते है बल्कि पर्याप्त रूप से पहचाने भी नहीं जाते हैं और पूरे आपदा जोखिम चक्र के दौरान उपेक्षित रह जाते हैं। समावेशन के सरोकारों का संबंध आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों में सीमित सामाजिक भागीदारी, सूचना व सेवाओं तक कम पहुंच, निर्धनता, राहत कार्यो के दौरान न दिखाई देना। मूलभूत आवश्यकताओं का पूरा न हो सकना और विशेष आवश्यकताओं की अनदेखी होने स हैं। आर्थिक रूप से हाशिये पर बुजुर्ग, युवा, जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक सभी आपदा के संदर्भ में ऊपर वर्णित समूहों के समान ही प्रतिकूल स्थिति में हो सकते हैं।

समावेशित आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु संस्तुति प्रक्रियाएं

अप. आपदा के संदर्भ में मूल कारण को समझना, अपवर्जित समूहों को परिभाषित करना और उनके आपदा जोखिमों को कम करने में उन्हें अर्थपूर्ण तरीके से सम्मिलित करना

4. अपवर्जन एक एकाकी प्रक्रिया नहीं है और अपवर्जित लोग मात्र लाभान्वित होने वाले ही नहीं है। वेबतर होगा कि अपवर्जित लोगों को परिवर्तनकर्ता के दृष्टिकोण से परिभाषित किया जाये। अपवर्जन को जोखिम संचालक के रूप में विशेषकर दक्षिण एशिया के संदर्भ में, पहचाना जाये, अपवर्जित लोगों को अग्रसक्रिया प्रतिभागी और रिजीलियन्स प्रक्रिया में नेता के रूप में देखा जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन चक्र में गहन सत्ता विश्लेषण के साथ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देखा जाना चाहिए।

5. आवश्यकता इस बात की है कि वर्तमान नीतियां बेहतर परिणाम देने की ओर उन्मुख हों, नीतियों को क्षेत्रीय सीखें और विभिन्न प्रकार के अपवर्जित समूहों से संबंधित अलग अलग उपलब्ध ज्ञान के प्रति प्रतिक्रियाशील होना चाहिए, इसके लिए क्षेत्रीय व राष्ट्रीय डाटाबेस का सृजन किये जाने की आवश्यकता है। इस डाटा से संबंधित समावेशित संकेतकों के आधार पर प्रगति को मापा जाना चाहिए और HFA2 मॉनीटर इस प्रगति के प्रति समावेशित व प्रतिक्रियात्मक होना चाहिए।

6. समावेशित को आपदा प्रबंधन से संबंधित सुस्पष्ट उपायों से परे जाने की आवश्यकता है और विशिष्ट क्षेत्रों जिन्हें विशिष्ट रूप से निर्मित समाधानों जैसे, निर्मित वातावरण की उपयुक्तता व सुरक्षा, दैनिक तनाव के लिए क्रॉस कटिंग आपदा अल्पीकरण उपायों एवं धीमे प्रारम्भ होने वाली आपदाएं तथा जलवायु परिवर्तन की आवश्यकता है। इन सभी के अर्न्तगत आवश्यकताओं पर विस्तृत कार्य किये जाने की आवश्यकता है। उदाहरण के रूप में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अशक्तता के लिए सार्वभौमिक डिजाइन को मात्र रैम्प के डिजाइन के स्थान पर विस्तृत संदर्भ में समझा जाये।

ब. हितकर और सक्षम नीति का वातावरण बनाना हो अलगाव के कारण को पहचानता हो एवं समावेशित रणनीतियों व संसाधनों के आवंटन को प्रोत्साहित करता हो

7. यह बार बार सिद्व हो चुका है किस प्रकार आपात स्थितियां छूटे हुए लोगों को दूसरों की अपेक्षा काफी अधिक प्रभावित करती है। आपदा पश्चात् के संदर्भ में आपात स्थितियों की अनुक्रिया द्वारा प्रथम दिन से ही समावेशित जोखिम न्यूनीकरण को सक्रिया किये जाने की आवश्यकता है। ऐसे छूटे हुए लोगों के पास सहायता पहुंचाना आवश्यक है जो स्वयं सहायता तक नहीं पहुंच सकते और समावेशित आपदा जोखिम न्यूनीकरण को वहां से सक्रिया करके आपदा प्रबंधन चक्र के आगामी चरणों तक ले जाया जाये।

8. छूटे हुए समूहों के सरोकारों को आवाज देने के लिए और उनके नेतृत्व को प्रोत्साहित करने के लिए अर्थपूर्ण सहभागी प्रक्रियाएं आवश्यक है। एक अविरत तरीके से नीतियों और प्रथाओं को प्रभावित करने के लिए इसे आर्थिक एवं अपवर्जित संदर्भों की समझ के साथ संस्थागत किया जाना आवश्यक है।

9. वर्तमान नीतियों, विधिक उपकरणों और प्रदत्त अधिकारों में समावेश के प्राविधानों को क्रियान्वित करना एक प्राथमिक आवश्यकता है। आवश्यक है कि उपयुक्त प्राविधानों के माध्यम से विभेदों को चिन्हित एवं संबोधित किया जाये। नीतियों का अनुश्रवण कानून, प्रशासनिक उपकरण, नियोजन तथा वित्तीय व मानव संसाधनों के आवंटन के साथ किया जाना चाहिए।

स. एक क्रियान्वयन ढांचा तैयार करना जो उत्तरदायी जोखिम शासन के माध्यम से समुदाय के स्थिति स्थापक को सुनिश्चित करता हो और जिसमें सभी हितधारक सम्मिलित हों।

10. कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं में पारस्परिक समन्वय व अर्थपूर्ण तालमेल होना चाहिए, जिससे कि विभिन्न विषयों को मुख्यधारा में समाहित किया जा सके। समावेश पर कार्य कर रहे संस्थानों व आन्दोलनों को सम्मिलित करते हुए प्लेटफार्म और नेटवर्क का उपयोग अनुभवों के आदान प्रदान में किया जा सकता है। इस प्रकार का दृष्टिकोण होना चाहिए जिसमें प्रचलित सामाजिक ढांचों के प्रति स्वीकार्यता हो और जिसका लक्ष्य परम्पराओं, नीतियों तथा सकारात्मक व सक्षम समुदाय आधारित व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाना हो।

11. जोखिम प्रबंधन के लिए जोखिम शासन, सामुदायिक स्थिति स्थापक तथा सतत् विकास से सम्बंधित उपकरणों के माध्यम से समावेशित सुविधा वितरण सुनिश्चित करने हेतु एक उत्तरदायी ढांचा स्थापित करना आवश्यक है, जो कि जलवायु परिवर्तन पर भी ध्यान दें। समावेशित सामाजिक ऑडिट को संस्थागत करने की आवश्यकता है। जिसमें आवंटन, प्रस्तरण और परिणाम भी सम्मिलित हो।

12. शोध, प्रशिक्षण व शिक्षा के माध्यम से समावेशित आपदा जोखिम न्यूनीकरण को सुदृढ़ करने के लिए शैक्षणिक समुदाय को सम्मिलित किया जाना चाहिए, साथ ही विधिमान्य व दोहराई जा सकने वाली देशी जानकारी, स्थानीय नवाचारों और विज्ञान को साधन के रूप में सम्मिलित करने के प्रयास किये जाने चाहिए। शैक्षणिक जगहों का उपयोग करते हुए हितधारकों एवं विभिन्न सेक्टर के साथ सूचना/डाटा का आदान प्रदान की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए उपयुक्त शोध, प्रसार व पैरवी के लिए समुचित संसाधनों के साथ दीर्घ कालीन क्षमता विकास के उपायों की आवश्यकता है।

13. प्राईवेट सेक्टर को सहभागी की भूमिका में जिसमें दक्षता प्रदान करना, आजीविका हेतु सहयोग देना एवं आधारभूत संरचना व विकास के माध्यम से परिसम्पत्तियां निर्मित करना सम्मिलित है। समावेशित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए और अपनी विशेषज्ञता शेयर करते हुए संवेदनशील एवं प्रतिक्रियाशील होना चाहिए। समावेशित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए बिजनेस केस इस मान्यता पर आधारित होना चाहिए कि बहिष्कृत लोगों की भी अर्थव्यवस्था में एक भूमिका होती है और आपदा जोखिम न्यूनीकरण अच्छे लाभप्रद व्यवसाय का एक अनिवार्य अंग हैं।

सत्र 4

भावी योजना एवं समापन

सत्र का उद्देश्य

प्रशिक्षण के अंत में सभी प्रतिभागियों को अपनी पंचायत में सर्वाधिक संवेदनशीलता समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण में प्रक्रिया प्रारंभ करने तथा पर अन्य पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करनी होगी। यह करने से प्रतिभागियों को की प्रक्रिया का अभ्यास करने में मदद मिलेगी और साथ ही समुदाय भी आपदाओं के जोखिम को कम करने में सक्षम हो जाएंगें। कार्य योजना तैयार करने में निम्न मैट्रिक्स का प्रयोग किया जा सकता है:

जिला	विकास खंड	ग्राम पंचायत	ग्राम	समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रारंभ करने की प्रस्तावित तिथि	समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण समाप्त/पूर्ण करने की प्रस्तावित तिथि

द्वितीय, प्रशिक्षण के प्रभावशीलता का विश्लेषण करने और अंतर, यदि कोई हो को चिन्हित करने के लिए निम्न प्रारूप का उपयोग करते हुए एक मूल्यांकन भी किया जाना होगा, जिसके आधार पर आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बेहतर बनाया जा सकेगा।

मूल्यांकन का प्रारूप

पंचायती राज संस्थाओं के लिए ''समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना'' पर फेस–टू–फेस प्रशिक्षण कार्यक्रम (FFTP) हेतु प्रतिभागी का मूल्यांकन प्रारूप

1. प्रतिभागी का नाम :
2. सम्पर्क विवरण एवं ई–मेल के साथ पता :
3. क्या आपको FFTP के विषय में संस्थान के ओर से अग्रिम सूचना प्राप्त हुयी थी? यदि हां तो क्या अपने संस्थान को प्रत्युत्तर दिया था?

   हां नहीं
4. आप FFTP के आयोजन और रूपरेखा के विषय में क्या सोचते हैं?

बहुत ठीक 4	ठीक से सांरचित 3	थोड़ा बहुत असांरचित 2	अधिक 1

5. यह प्रशिक्षण आपके लिए त्वरित रूप से कितनी उपयोगी होगी?

बहुत उपयोगी 4	कुछ उपयोगी 3	सीमित उपयोगी 2	बिल्कुल उपोगी नहीं 1

6. यह प्रशिक्षण भविष्य में प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए कितनी उपयोगी होने की संभावना है?

बहुत उपयोगी 4	कुछ उपयोगी 3	सीमित उपयोगी 2	बिल्कुल उपोगी नहीं 1

7. FFTP के अन्य प्रतिभागियों के साथ पारस्परिक मेलजोल से आप कितना लाभान्वित हुए?

काफी हद तक 4	अत्यधिक 3	पर्याप्त 2	बिल्कुल नहीं 1

8. प्रशिक्षण मैनुअल, ऑडियो/वीडियो कार्यक्रमों FFTP की विषय वस्तु से कितना सम्बंधित एवं प्रासंगिक थे?

अत्यधिक प्रासंगिक 4	अधिक प्रासंगिक 3	कुछ प्रासंगिक 2	बिल्कुल प्रासंगिक नहीं 1

9. संदर्भ व्यक्तियों का आंकलन

बहुत उपयोगी 4	कुछ उपयोगी 3	सीमित उपयोगी 2	बिल्कुल उपयोगी नहीं 1

10. FFTP के कौन से घटक आपको सबसे अधिक सहायक लगे? हां नहीं
    - आपदा प्रबंधन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण का महत्व
    - जलवायु परिवर्तन का प्रभाव एवं अनुकूलन हेतु उपाय
    - समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण में पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की भूमिका एवं आपदाओं के विभिन्न चरण
    - समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण का महत्व एवं इसकी प्रक्रिया
    - समुदाय आधारित जोखिम आंकलन
    - समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण नियोजन एवं विकासपरक योजनाओं के साथ जोड़ना
    - समुदाय संचालित आपदा जोखिम न्यूनीकरण समितियों तथा कार्यदलों का गठन व प्रशिक्षण
    - समुदाय प्रबंधित क्रियान्वयन
    - सहभागी मॉनीटरिंग एवं में मूल्यांकन
    - आपदा जोखिम संचार
    - समुदाय आपदा जोखिम न्यूनीकरण कोष
    - समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण में जेंडर संचेतना तरीके
    - समावेशित आपदा जोखिम न्यूनीकरण

11. FFTP के कौन से घटक आपको सबसे क सहायक लगे? हॉ नहीं
    - आपदा प्रबंधन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण का महत्व
    - जलवायु परिवर्तन का प्रभाव एवं अनुकूलन हेतु उपाय
    - समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण में पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की भूमिका एवं आपदाओं के विभिन्न चरण
    - समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण का महत्व एवं इसकी प्रक्रिया
    - समुदाय आधारित आपदा जोखिम आंकलन
    - समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण नियोजन एवं विकासपरक योजनाओं के साथ जोड़ना

- समुदाय संचालित आपदा जोखिम न्यूनीकरण समितियों तथा कार्यदलों का गठन व प्रशिक्षण
- समुदाय प्रबंधित क्रियान्वयन
- सहभागी मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन
- आपदा जोखिम संचार
- समुदाय आपदा जोखिम न्यूनीकरण कोष
- समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण में जेंडर संचेतना तरीके
- समेकित आपदा जोखिम न्यूनीकरण

12. परियोजना के उद्देश्यों, तरीकों एवं परिणाम के प्रति कुल मिलाकर आपको विचार/धारणा

उत्कृष्ट 4	**अति उत्तम 3**	**उत्तम 2**	**ठीक 1**

13. क्या परियोजना से भविष्य में आपदा प्रबंधन में निम्न क्षेत्रों में कोई विशेष सुधार हो सकेगा?

हां नहीं

- ज्ञान/जानकारी
- कौशल
- नजरिया/प्रवृत्ति

14. क्या आप अनुभव करते हैं कि इस परियोजना ने आपको आपदा प्रबंधन में अन्य लोगों की क्षमता वृद्वि हेु प्रेरित किया?

काफी हद तक 3	**कुछ हद तक 2**	**अधिक नहीं 1**

15. कृपया आपदा प्रबंधन में निम्न लक्ष्य समूहों की क्षमता वृद्वि में भविष्य में सुधार लाने के लिए आपने सुझाव दें

- सरकारी कर्मी
- पंचायती राज संस्थानों के चुने गए प्रतिनिधि
- शहरी स्थानीय निकायों के चुने गए प्रतिनिधि
- अन्य कोई

दिनांक : **हस्ताक्षर**

अंत में यह प्रशिक्षण समस्त प्रतिभागियों एवं संदर्भ व्यक्तियों, विषय विशेषज्ञों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए सभी प्रतिभागियों को ''प्रशिक्षण प्रमाण पत्र'' देना चाहिए। सभी प्रतिभागियों के विवरण, सम्पर्क सूत्र, पता, मोबाइल नम्बर सहित एक सूची तैयार कर सभी को भविष्य में सम्पर्क/समन्वय हेतु देनी चाहिए। यदि सम्भव हो संयोजक को सभी प्रतिभागियों की संदर्भ व्यक्तियों/विषय विशेषज्ञों के साथ ग्रुप फोटोग्राफ लेने की भी व्यवस्था करनी चाहिए जिसकी प्रति प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के साथ सभी को स्मृति चिन्ह के रूप में देनी चाहिए।

सन्दर्भ